महानगर नई दिल्ली बुधवार 5 फरवरी, 2020, रु. 5.00 (18 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

प्रधानमंत्री का इशारों में आप-कांग्रेस पर प्रहार

दिल्ली में हो रही सिर्फ नफरत की राजनीति

दिल्ली को दोष देने वाली नहीं, दिशा देने वाली सरकार चाहिए।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में केवल घृणा, स्वार्थ व नफरत की राजनीति की जा रही है। प्रधानमंत्री का इशारा आम आदमी पार्टी व कांग्रेस की तरफ था। प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि 2015 में जब दिल्ली वालों ने वोट किया था तो किसी ने ऐसी उम्मीद की थी क्या? उन्होंने कहा कि देश की राजधानी का विकास 21वीं सदी की आंकाक्षाओं व आवश्यकता के हिसाब से होना जरूरी है। ये तभी संभव हो सकता है, जब नकरात्मकता की राजनीति खत्म हो। प्रधानमंत्री ने द्वारका में एक चुनावी सभा को करीब 45 मिनट तक संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 फरवरी को छुट्टी का दिन नहीं है बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वालों की छुट्टी करने का दिन है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन बाकी पेज 8 पर

एनआरसी पर फिलहाल फैसला नहीं

लोकसभा में केंद्र सरकार ने दी जानकारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

लोकसभा में सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) लाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में चंदन सिंह और नमा नागेश्वर राव के प्रश्नों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में कई स्थानों पर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहे हैं।

राय ने कहा कि अभी तक एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है। सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या सरकार की पूरे देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है? 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद संसद या कैबिनेट में इस बारे में चर्चा नहीं की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पिछले शुक्रवार को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन में एनआरसी का जिक्र नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी के उन्नयन का काम केवल असम में हो रहा है।

लोकसभा में ही के नवासखनी ने एक प्रश्न में सरकार से जानना चाहा कि क्या मुसलिम शरणार्थियों को अब भारत में नागरिकता दी जाएगी। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में कहा कि किसी भी श्रेणी के वैध प्रवासी देशीकरण अधिनियम की धारा 6 अथवा पंजीकरण अधिनियम की धारा 5 के माध्यम से भारतीय नागरिकता हासिल करने की मौजूदा कानूनी प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

उन्होंने बताया कि पड़ोसी देशों के बहुसंख्यक लोगों वाले धर्म के कई प्रवासियों को भी उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किए जाने और बाकी पेज 8 पर

चीनी नागरिकों व चीन गए विदेशियों के वैध वीजा रद्द

चीन के कई और शहरों में आवाजाही पर प्रतिबंध, एक करोड़ 20 लाख लोग प्रतिबंधों के दायरे में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर भारत ने चीनी नागरिकों और पिछले दो हफ्तों में चीन गए विदेशी नागरिकों के मौजूदा वीजा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही चीन के लिए वीजा नियमों को मंगलवार को और सख्त कर दिया गया।

कोरोना वायरस से चीन में मृतकों की संख्या 425 पहुंच गई है। चीन में 20,438 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर दो फरवरी को भारत ने चीनी यात्रियों और चीन में रह बाकी पेज 8 पर

शाहीन बाग में गोली चलाने वाले का आप से संबंध!

संबंधित खबर पेज 8 पर

अंडर 19 के फाइनल में भारत पेज 18

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Khushal Chand S/O Late Shri Shanker Lal R/O 16/354-H,Gali No.5,Arya Samaj Road, Bapa Nagar,Karol Bagh New Delhi-5, Have Changed My Son's Name from Lavanya Kundra to Laksh Kundra For all Future purposes. 0040530197-1

I, Sudhanshu S/o Satya Vrata R/o 54 Vikas Niketan Pitam pura Delhi have changed my name to Sudhanshu Dhanda permanently. 0040530247-4

I, Shekhar Maria Joseph,S/o Viswasam,R/o-D-3,New Zealand High Commission, Nyaya Marg Chanakya Puri,New Delhi-110021,have changed my name to Maria Susai Shekhar in my children birth certificate. 0040530308-1

I, Sanjay Kumar Dhania S/o Nafa Singh R/o 354 Kh No-971 Harijan Basti Siraspur Badali Delhi have changed my name to Sanjay Kumar permanently. 0040530247-6

I, Rubina Mumtaz w/o Sachin Chaudhary R/o-Flat.No.02-LGF, Tower-5,Palm Valley,Sector-1,Greater Noida West,Uttar Pradesh-201306,have changed my name Rubina Khan for all purpose. 0040530258-1

I, Ramesh Chandar Singh/Ramesh Chandra Singh/Ramesh Chand Singh S/o-Sh.Narayan Singh,R/o-B-1/A,East Vinod Nagar,Delhi-110091,have changed my name to Ramesh Chandar Singh for all,future purposes. 0040530258-4

I, Pankaj Kumar Malhotra S/o Om Prakash Malhotra R/o 14/45 Punjabi Bagh Delhi have changed my name to Pankaj Malhotra permanently. 0040530247-2

I, Narinder Kaur Kathuria W/o Gurwant Singh Kathuria R/o 104 Dhudial Appts Madhuban Chowk Pitampura Delhi have changed my name to Narinder Kaur permanently. 0040530247-8

I, Mukesh Kumar Sharma S/o Teeka Ram Sharma R/o WZ-226 Sri Nagar Gali No-4 Rani Bagh Delhi have changed my name to Mukesh Kumar permanently. 0040530247-10

I, Khushi Alang D/o Jasbir Singh R/o-B-1/35 Third-Floor, Model-town-2 Delhi-110009. I want to Add my Sir Name Kaur in My Name. Khushi Alang to Khushi kaur Alang for Passport. 0040530278-8

I, Gulshan Arora S/O Mulkh Raj R/O C-45,Tagore Garden Extension, Delhi-110027. Changed My Name To Gulshan Kumar. 0040530256-5

I, Jitu Bhai Devilal Khattri S/o.Khatri Devilal Achalaji R/o-C-002, Sector-15,Part-II, Rail-Vihar, Gurgaon, Haryana-122001 have changed my name to Jitu Devilal Khattri. 0040530256-10

I, Vipin Kumar S/O Trilok Chand R/O-B-1/301, HIG Flats, Qd-Block, Pitampura, Delhi-110034. Changed My Name To Vipin Kumar Agarwal. 0040530256-4

I, Vinod Girdhar S/o Har Bhagwan R/o-G-26/265, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Vinod Kumar. 0040530289-7

I, Vandena Sharma W/o Anil Kumar Sharma R/o-92-E, Pocket-IV, Mayur Vihar-I, Delhi-110091 have changed my name to Baby Sharma permanently. 0040530289-3

I, Tarsem Singh,S/o Kehar Singh R/o-C/80, Guru-Nanak Dev-Colony, Bhalswa Dairy, Outer North Delhi-110042 have changed my name from Tarsem Singh Kalsi to Tarsem Singh, for all future purpos-es.& my Actual Date of Birth 29.08.1967 0040530278-9

I, Sindori Devi, wife of No.1406975F Rank L/NK Name Late Pitambar Datt, resident of Lansdowne, District-Pauri Garhwal, Uttarakhand have changed my name from Sindori Devi, DOB:15-July-1930 to Gayatri Devi, DOB:12-July-1939 vide affidavit dated 03-Feb-2020 before the Hon'ble Court Lansdowne. 0040530168-1

I, Shikha Gautam W/O Harpreet Singh R/O A-340, Gharoli Dairy Farm Delhi-110096. Changed My Name To Shikha Kaur Gautam. 0040530289-9

I, Sanjeev Kumar S/o Yash Pal Gupta R/o-B-93, 2nd-Floor, Shivalik, Malviya Nagar, N.Delhi-110017.have changed my name to Sanjeev Gupta permanently. 0040530256-2

I Mohammad Aasim alias Babar Abbas S/o Shamim Abbas R/o 960/3, Mohalla Kishan Ganj, Near Masjid Imli Wali, Teliwara, Delhi-110006 have changed my name to Babar Abbas for all purposes. 0040530160-3

I Kiran Bala w/o Sunil, H.No-799/11 Mata Darwaja Rohtak Haryana 124001 have changed my name to Kiran 0040530265-9

I Kanika/kanika Kumari W/O, Anoop Gandhi R/o Jg-1/63 Vikas Puri New Delhi have changed my name to Kanika Gandhi for all purposes. 0040530173-1

व्यक्तिगत

I, Samiksha D/o Ajay Malhotra R/o-H-154, Karampura New Delhi-15, have changed my name from Samiksha to Samiksha Malhotra, permanently. 0040530289-1

I, Sachin Kumar Bansal S/O Naresh Chand Bansal R/O-1092, Wardno.25, Mohan Nagar, Jhajjar-Road, Bahadur garh,Jhajjar-124507. Changed my Name to Sachin Bansal. 0040530256-7

I, Rooma Kailash Malhotra W/o Suresh Malhotra R/o J-56, 3rd Floor, Lajpat Nagar-III, Delhi-110024 have changed my name to Rooma Malhotra for all purposes. 0040530169-1

I, Rita Malhotra S/O Chaman Lal Malhotra R/O E-15/111, Sector-8, Rohini, Delhi-110085. Have Changed My Name To Reeta Malhotra. 0040530256-6

I, Neha Rani D/o Surender Singh H.no-454, VPO-Atrena, Sonipat, Haryana-131023,have changed my name from Neha Rani to Neha Chauhan, permanently. 0040530256-3

I, Neha Nehra R/o D-201, Bestech Park View Spa Next , Sector-67, Gurgaon, Haryana have changed my minor son's name from Abhiveer Mahant to Abhiveer Singh for all purposes. 0040530267-1

I, Neetu Kakkar W/O Deepak Khurana R/O-13/313 Block-13 Geeta Colony Gandhi Nagar Delhi-110031 Have Changed My Name To Veenu Khurana. 0040530289-8

I, Navdeep Singh S/O Hardip Singh R/O-Village-Basti, Gobindpur, P.O-Bhawanipur, Kapurthala, Punjab-144601 Declare that my Given name is Navdeep and my Surname is Singh. 0040530265-1

I, Nafisha W/o Mehboob R/o F-68 Shaheed Nagar Sahibabad, Ghaziabad UP-201006, have changed my name to Nafeesa, for all purposes. 0040530278-7

I, Mumtaz Parveen W/o Mukim Ahmed R/o-C-227 Ground Floor Gali No.10 Cut GaliNo. 5/2 Chauhan-Banger Garhi-Mendu Delhi-110053 changed my name to Mumtaz Begum. 0040530320-1

I, Mangla Devi D/o Sh. Sarwan Singh R/o E-455, Gali No-77, Mahavir Enclave, Part-3, Delhi-110059 have changed my name after marriage Madhu W/o Sanjay Kumar for all purposes. 0040530195-1

I, Mahesh Kumar S/O Hardayal R/O-35d, Mig Flats Sheikh Sarai Phase-1 New Delhi-110017 Changed My Name To Mahesh Kumar Sharma. 0040530278-3

I, Mahboob Ali S/o Ishak R/o-F-68 Shaheed Nagar Sahibabad, Ghaziabad UP-201006, have changed my name to Mehboob for all purposes. 0040530265-10

I, Madhumita Dutta W/o Prabir Datta R/o Tower-E-1, Flat No.1904,Radicon Vedantam,Sector-16C,Greater Noida West(U.P.),have changed my name to Madhumita Datta for all future purposes. 0040530242-1

I, MOHAMMAD YUNUS s/o BADRUDDIN r/o 09, Road No.-12, Jawahar Nagar Mango, Jamshedpur East Singhbhum, Jharkhand-832110 have changed my name to MOHAMMAD YUNUS KHAN. 0040530246-1

I, Khattri Manjulaben Devilal w/o Khatri Devilal Achalaji R/o-F-24/314, Utsav-Appartment opp-Bhavsar Hostel-Nava Wadaj-Ahmadabad City Ahmadabad Gujrat-380013. have changed my name to Khatri Manjulaben Devilal. 0040530265-6

I, Khattri Devilla Achlaji s/o Achalaji R/o-F-24/314, Utsav-Appartment opp-Bhavsar Hostel-Nava Wadaj-Ahmadabad City Ahmadabad Gujrat-380013. have changed my name to Khatri Devilal Achalaji. 0040530265-7

I, Khaleel Ahmed S/o Abdul Sattar, R/o 7392, Gali Rajawali Qasab Pura Sadar Bazar, Delhi-110006 have changed my name to Mohammad Khalil for all purposes. 0040530164-1

I, Kajol Dua D/o Kishore Kumar Dua R/o UP-43 Maurya-Enclave Pitampura. Delhi-110034 have changed my name to Riya Dua. 0040530289-6

I, Jameel Ahmad S/o Mushtaq Ahmed R/o 3320-21, 1st Floor Kucha Syed Jalal Bukhari, Darya Ganj, New Delhi-110002 have changed my name to Jamil Ahmed. 0040530222-1

I, Jaiwanti W/O Laxman Basandani R/O B-9/92, Sector-18, Rohini, Delhi-110089. Changed My Name To Megha Basandani. 0040530256-8

I Pawan Goyal s/o Dushyant kumar Goyal h.no-639 A/17, Shivaji Nagar, Gurgaon have changed my name to Pawan kumar Goyal. 0040530265-8

I Om Prakash Bajaj S/o Gyan Chand R/O-B-17 2nd-Floor Manak-Vihar Tihar-Village Delhi-110018, Changed My Name To Om Parkash Bajaj. 0040530278-1

I Nikhil Chanji S/o Sh.Tilak Raj R/o H.No.38-39, First Floor, Pocket-19, Sector-24, Rohini, Delhi-85,have Changed my Name Nikhil to Nikhil Chanji for all purpose. 0040530163-1

I Munuren Guria W/O Anuj Barla R/O J-258, Nepali Camp Huts Vasant Vihar Delhi-110057. Changed My Name To Munuren. 0040530299-2

I, Inderjeet Singh S/o Hardit Singh R/o-52, Sukh Vihar, Krishna Nagar, Delhi-110051 have changed my name to Inderjeet Singh Chawla. 0040530175-1

I, Hemlata D/o Shyam Lal W/o Sanjay Kumar H.No.20, main-Road, Chhaterpur Gaon Delhi-110074,have changed my name to Seema 0040530289-4

I, Ghufran Ahmed S/o Noor Ahmed R/o 2348, Gali Ambiya, Kucha Chelan, Darya Ganj, Delhi-110002 have changed my name to Gufran Ahmed for all purposes. 0040530182-1

I, Geeta Devi Alias Neetu Devi W/o.Jitlal R/o-Nainaha Dhanapur, Amethi,U.P.-227407 Presently at Delhi,My Lic Policy-No.332971336, My name Mentioned is Neetu Devi,Geeta Devi and Neetu Devi Same and one parson. 0040530159-1

I, Deep Narayan Mahto S/o Ram Dev Mahto R/o 943, Extn. Village Pooth Kalan, Rohini, Delhi-110086, have changed my name to Deep Narain Prasad. 0040530222-3

I, Nadem S/O Naeim Akhtar R/O C-398, Street No-19, Old Mustafabad Delhi-94, Changed My Name To Nadeem Akhtar. 0040530278-4

I, Chanderpati Devi W/o-Late Ramniwas R/o-H.No.546/8, Gali.No.1,Behind Baba Cinema,Adarsh Nagar, Sonipat, Haryana-131001,have changed my name to Chanderpati for all future puposes.Correct Date-Of-Birth is 01.01.1943. 0040530242-2

I, Bhanu Prasad S/o Chandra Dhar R/o 124/4, Third Floor, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Delhi-110029 have changed my name to Bhanu Prasad Bhatt. 0040530245-1

I, Bhagwant Singh f/o Abhinit Singh r/o VPO-Mavi Kalan, Teh-Samana, Distt-Patiala-147102 have changed my minor son's name from Abhinit Singh to ABHINEET SINGH for updating records in army. 0040530283-1

I, Balbir Kaur W/o-Tarsem Singh R/o-C/80, GuruNanak Dev-Colony, Bhalaswa-Dairy, Outer-North Delhi-110042. have changed my name,from Balbir Kaur Kalsi to Balbir Kaur,for all future purposes. 0040530278-10

I, Ayyoob Khan Saifi S/o Bundu Khan R/o-G-59 HIG, Sector-11, Pratap Vihar, Ghaziabad, UP have changed my name to Ayyoob Khan. 0040530299-1

I, Asad Anwar S/o Anwarul Haque R/o-751/15, Inder-Enclave,Block-A, Phase-I, Village-Kirari Suleman-Nagar, Delhi-86,declare that my father name has been wrong-ly mentioned as Hafiz Anwar in my passport bearing No.R3173030. My father's cor-rect-name is Anwarul Haque. 0040530289-5

I, Aryan Dalal S/O Surender Dalal R/O K-444a,Street No-12, Mahipalpur Extn, Nd-37 Have Changed My Name To Aryan Dalal For All Future Purposes. 0040530278-2

I, Anuj Kumar Gautam S/o Rajender Gautam R/o 1/3502, Gali No.6 Ram Nagar Extension, Delhi-110032 have changed my name to Anuj Gautam for all purposes. 0040530171-1

I, Anju Alias Anjali Chanana D/O Surinder Kumar Puri W/O Rajesh Chanana R/O H.No 79-B, New Deol Nager Ext, s.p. Prime School, New deol Nager, Jalandhar – 1, Jalandhar, Punjab - 144003 Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Anjali Chanana. 0070696324-2

I, Anil Kumar s/o Om Prakash r/o BN-27, West Shalimar Bagh, Delhi-110088 have changed my name to ANIL JAIN permanently. 0040530170-1

I, Anil Kumar S/O-Braham Dutt Jangid R/O-RZD-2/72, Gali No-3, Mahavir-Enclave, New Delhi-110045 have Changed my name to Anil Kumar Jangid. 0040530278-6

I, Amandeep Kaur Pannu, D/o. Mr. Jatinder Singh Pannu, R/o. A-27, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110 019, wholly renounce/relin-quish and abandon the use of my former name/surname of Amandeep Kaur Khanna so that I may hereafter be called, known and distin-guished by my name/sur-name of Amandeep Kaur Pannu for all future purposes. 0040530217-1

I, Ajay Kumar S/O Ganesh Dutt Sharma R/O-D-14, Vijay Vihar Phase-2, Sector-4, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name To Ajay Sharma. 0040530256-9

I, Abdul Shahab @ Shahab Khan S/o Abdul Hafiz Khan R/o 3746, Churiwalan Chawri Bazar Delhi-110006 have changed my name to Mohd Shahab Khan. 0040530222-2

I Rohini W/O Sujesh Kumar R/O 194, 3rd Floor, Sector-46, Gurgaon Haryana-122007 Have Changed My Name To Rohini Gautam. 0040530289-2

I Ridol Topo S/O Helarush Toppo R/O E-4/5, VTC, Vasant Vihar, Delhi-110057 Have Changed My Name To Rinol Toppo. 0040530256-1

I Raju Kumar R/o- H118 Gali No-26 Molarband Badarpur New Delhi-110044 have changed my name to Raju Kumar Singh 0070696325-1

व्यक्तिगत

I, ALSINA A HABIB D/o Mr. M. Arif Habib R/o H.No. 233/234, 2nd Floor Mustafa Lodge, Ghaffar Manzil, Okhla, New Delhi-110025 have changed my name from Alseena Arif Habib to ALSINA A HABIB for all future purposes. 0040530165-1

I nipur kumar S/o nitin kumar Add-naya-bazar gola ganj bahjoi sambhal up-244410, changed my name to nipur varshney. 0040530265-5

I Yusuf Khan/Md.Yusuf Khan S/O Haji Mohd Khalil R/O-275, Hauz Rani Malviya Nagar Delhi-110017. Changed My Name To Mohd Yusuf. 0040530299-3

I Sukhjinder Singh S/o Saroop Singh R/o-WZ-283/101 (F.F.)Maddi Wali Gali-No.4 Vishnu-Garden New Delhi. have changed my name to Sukhwinder Singh. 0040530265-2

I Shweta Dutta D/O, Rajinder Kumar Dutt R/o 602 Tower B7 Rps Savana Sector-88 Faridabad-121002 have changed my name to Shweta Mehta for all purposes. 0040530172-1

I Sheel Basra W/o-Ashok Kumar Basra R/o-A-36 Pink Appartment Paschim Vihar New Delhi-110063. have changed my name to Sushila Basra. 0040530265-3

I Shamsher S/O, Hafijul R/o F-55/b Shiva Enclave East, Vikas Nagar, Delhi-110059 have changed my name to Shamsher Hafijul for all purposes. 0040530174-1

I Satish Kumar S/O, Surender Kumar R/o B3/44 Sector-11 Rohini Delhi-110085 have changed my name to Satish Kumar Sharma for all purposes. 0040530269-1

I Saraswati R/O.House No.C-34, S/F, Sujan SinghPark, Lodhi Road, Central Delhi,Delhi 110003 HaveChanged My Name To Saraswati Rajput As PerDocument 0070696295-1

I Sandeep Kumar S/O Kuldip Chander R/O-G-128/1, Second Floor MohammadPur New Delhi-110066. Changed My Name To Sandeep Kumar Bhatia. 0040530289-10

I Prabha W/O. Kehar Singh, R/O D 244, Sehrala (5), Palwal, Haryana - 121102 DOB: 23/11/1980 Have Changed My Name From Prabha To Prbha For All Purposes 0070696298-1

I Piyush S/O Pyare Lal Maurya R/o 85 DDA SFS Flats, Pocket-3, Sec-11, Dwarka, New Delhi-110075 have changed my name to Piyush Maurya for all purposes 0040530270-1

I Inder Jeet Singh Sandhu S/O Charan Singh Sandhu R/O-49 Rameshwar-Nagar, Azadpur-Delhi-110033, Have Change My Name To Inder Jeet Singh. 0040530278-5

I Gulshan Kumar S/o Late Sh.Tilak Raj R/o 313/73-F, Plot No.67, Anand Nagar, Inder Lok, Delhi-110035 have changed the name of my minor son from Hitesh alias Konark to Konark Kapoor for all purposes. 0040530160-2

I Ghulam Hussain Roomi S/O Ahtisham Ali R/O RZC-187, Nihal Vihar, Nangloi, New Delhi-110041 declare that my name is written in some doc-uments as Ghulam Husain Roomi, Ghulam Hasan Roomi, Gulam Hussain Roomi, Gulam Hasan Roomi and G H Roomi. I sworn before Tehsildar that my correct and real name is Ghulam Hussain Roomi 0040530179-1

I Anisha D/O Gyan Singh Add-Staff Quarter, 2, Teen Murti Lane, New Delhi-110011. changed my name to Anisha chauhan. 0040530265-4

I Anil Sharma S S/o Subhash Sharma R/o Ward No-11, Sagwa, Jhunjhunun, Rajasthan-333034, have changed my name to Anil Sharma 0070696324-1

I Anil Kumar S/O, Bahadur Chand R/o T 76 Vishnu Garden New Delhi-110018 have changed my name to Anil Kumar Arora for all purposes. 0040530178-1

I Alka alias Alka Mulwani alias Sanya Matreja D/o Late Sh.Hari Chand W/o Sh.Ravi Matreja R/o A-2/58, Sector-3, Rohini Sector-7, Delhi-110085 have changed my name to Sanya Matreja for all purposes. 0040530160-1

I Adiba Ali W/O Abdus Samad H.No-G-77, Second-Floor Nizamuddin West-Hazrat Nizamuddin Delhi-110013. Changed My Name To Adeeba Ali. 0040530299-4

I, Pradip Kumar Dinda S/o Late Sudhanshu Shekhar Dinda hereby solemnly affirm and declare that correct name my son is **Sourav Dinda (DoB 13 Sep 1993).** Due to oversight his name is recorded as Sourabh Kumar Dinda (DoB 13 Sep 1995) in my Service Documents. I swear this affidavit for correction of my son's name from Sourabh Kumar Dinda (DoB 13 Sep 1995) to **Sourav Dinda (DoB 13 Sep 1993)** in my Service Document.

खोया-पाया

I, Harsh S/o Rajesh R/o M-596 shakurpur delhi-110034 have lost my original, certificate/ marksheet Class-10th Rollno-8698414 year-2019 CBSE-Delhi. 0040530299-8

I, JAY Kran sharma S/o Meva ram R/o-gram karod-post karod pilibhit up-262001.have lost my original certificate/ marksheet class-10th(2017) Rollno-8649485 class-12th (2019) Rollno-9605796 CBSE-Delhi. 0040530299-10

I, Mukesh Sharma/Priyanka Sharma, Residing At-D-184, Top-Floor, Sector-8, Dwarka, New Delhi-77, Lost My Original Documents Of Parsvanath Palacia-Builder Buyer-Agreement, Payment-Reciepts, And Allotment-Letter At Sector-8, Metro Station, Dwarka, On-23rd January,2020.Finders Please Call-7065594154 Or My Email Id-Mukesh4154@ymail.com. 0040530320-3

I, Rohit Thakur S/o Surender Thakur R/o-H.no.1483, Gali.No. 15, Nathu-Pura, Burari, Delhi-84. have lost my 10th-CBSE Certificate/Marksheet Roll no.8160953(2014) and Marksheet of BTE Diploma all 6 Semesters Roll.no.1401131104(2014-2017). 0040530320-2

I Seema Grover D/o Sh.Madan Gopal Ailawadi R/o E-114, East of Kailash, New Delhi have lost original Perpetual Lease Deed, Allotment Letter, Payment Receipt, Possession Slip, C Form, D Form, Sanction Letter, Map Plan etc. of above said property. Finders may contact at Mobile No.9311277875. 0040530160-4

It is notified for the informa-tion that my original qualify-ing examination certificate & marksheet of main secondary & sr. sec. examination of year 2014 roll no.8189098 & year 2016 roll no.9197466 issued by CBSE has been actually lost. Mahima D/o Shishupal Singh , Add: N-3, Hargobind Enclave, Chhattarpur-110074 0040530244-1

It is notified for the informa-tion that my Original Examination Certificate of Main Secondary Examination of Year 2005 and Roll No.1121659 issued by CBSE has been actually Lost. Name of candidate Manish Kumar S/O Sh. Tek Ram , 1745 sector 9 Faridabad, 9910275552 0050161819-1

I, TANNU D/o late kamar pal R/o-T-171 st.no-2 baljeet nagar Delhi-08 have lost my original/certificate class-12th year-2016 Rollno-9687463 CBSE-Delhi 0040530299-9

LOST AND FOUND

I, Inderjit Singh Johal, would like to inform the general public that I have misplaced Original of - Perpetual Lease Deed dated 24.01.1961 bearing Doc. No. 813, registered in the SRO, New Delhi in Addl. Book No. I, Vol. No. 621, on pages 10 to 12, on 01.02.1961 ; Relinquishment Deed dated 12.10.1999 bearing Doc. No. 3127, registered in the SRO, New Delhi in Add. Book No. I, Vol. No. 1629, on pages 104 to 106 on 12.10.1999; Will and Testament dated 24.06.1988; Letter No. L&DO/PS-II/300 dated 28.02.2000; Conveyance Deed dated 19.07.2000 bearing Doc. No. 7727, registered in SRO, New Delhi in Addl. Book No. I, Vol. No. 2011, on pages 147 to 150, on 16.08.2000; Allotment Letter, Possession Letter and other documents, in respect of property bearing No. 5A, Lajpat Nagar-IV, New Delhi-110024. If anyone finds them, kindly contact me at **+91 9876291344** within 15 days of this Ad.

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I Saroj Sachdev w/o (Late) Sh. S.K. Sachdev R/o FF-46-D, Laxmi Nagar, Delhi-110092, purchaser of Flat No. 1-C, BG – II, Paschim Vihar, Delhi has applied for conversion of the aforesaid flat from lease hold to free hold vide application No 81597 dated 03/07/2008 in DDA. Allotment cum demand letter of the above flat has been lost. FIR to this effect has been lodged in Police Station – Crime Branch, Delhi.

Any person (s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original document, may write / contact with above named person at above address / phone No. 9873589176 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objections with respect to this property can personally inform or write to Dy. Director (LAB) H or Director (H) -1, D Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

PUBLIC NOTICE

Be it known to general public that my client Munni Devi W/o Late Shiv Dayal R/o A-2/7, Sultanpuri, Delhi-110086, has disowned/ debarred her son Naveen Kumar @ Naurangi and his wife Smt. Nisha and their son Jatin, aged about 7 years, from all her movable and immovable properties and severed all her relations with them, as they are not in control of my client. If anybody deals with them, he/she shall do so at his/her own risk and my client shall not be responsible.

Sd/-
HARI BABOO SINGH
(Advocate)
(M) 9312396859

PUBLIC NOTICE

My Client Abdul Mannan S/o Abdul Qayyoom, R/o H.No. 11/1A, Gali No.1, Block J-2, Sangam Vihar, New Delhi-110080, has severed all his relations from his son namely Mohd Affan Ansari, due to his misbehaviour and disobedient towards my client and his family members debarred/ disowned them from his all relation, moveable and immoveable properties, anybody dealing with their deal with their own risk, my client shall not be responsible in any manner whatsoever.

AAMER AHMED MADNI (Advocate)
Ch. No. 17, Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

My Client Charan Singh S/o Late Sukh Ram And wife Kasturi, R/o H.No. S-253/52, T-Huts, Gulak Wali Masjid, Panchsheel Colony, Malviya Nagar, Corner, Malviya Nagar, New Delhi-110017, has severed all his relations from his son namely Ram Khilari, due to his misbehaviour, disobedient and not to look after towards my client and his family debarred /disowned them from his all relation, moveable and immoveable properties, anybody dealing with their deal with their own risk, my client shall not be responsible in any manner whatsoever.

AAMER AHMED MADNI (Advocate)
Ch. No. 17, Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

My clients Lokendra Kumar S/o Sarder Singh & Smt. Pushpa Rani W/o Sh. Lokendra Kumar both R/o 410, Pocket-6-2, Sector-II, Rohini, Delhi-85 have disowned & debarred their son Nikunj Kumar from all their movable & immovable properties with immediate effect & severed all their relations & connections with him because he is out of control of my clients. Anybody dealing with him shall do so at his own risk & responsibilities thereto & my clients & their family shall be in no way responsible for any act, deeds & things done by him.

Advocate M. K. Jha
195, Uttam Ngr., N.D.-59

PUBLIC NOTICE

"My client, Shri Dhara Singh S/o Sh. Narotam Lal R/o J-236, Mangolpuri, Delhi-110083, hereby severe all relations with his son, Raj Kumar and his wife Smt. Kiran and hereby debar and divest them from claiming or inheriting his movable and immovable properties.
Any body dealing with Raj Kumar and Smt. Kiran be doing at his/her/their own risks and costs to which in any manner my client or his properties shall not be answerable or responsible to any extent or in any manner."

Sd/-
SANJAY DEWAN
(Advocate)
Ch. No. 401, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती ज्योति अग्रवाल, पत्नी श्री ... अग्रवाल निवासी बी–1, गली नं 11, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059, जो कि अपनी संपत्ति तीसरी मंजिल के फ्लैट को छत के अधिकार सहित, संपत्ति नंबर 82 – 85 ... की तरफ है, खसरा नम्बर 62, 64, 71 और 72 ..., जो कि मानस कुंज, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित है (संपत्ति) को श्रीमती ... पत्नी ... निवासी ..., संपत्ति नंबर 23 ... नंबर 36 / 17 ..., नई दिल्ली को रकम की एवज में बेचने का इच्छुक है।
यदि किसी व्यक्ति का उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग पर कोई अधिकार, हित, हक, दावा, अभिभार, किसी भी प्रकार का प्रभार है तो वह अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर दस्तावेजी प्रमाण के साथ नीचे दिये गये पते पर भेज सकता है और ऐसा नहीं करने पर यह मान लिया जाएगा कि उक्त संपत्ति किसी भी दावे, हित, प्रभार, अधिकार आदि से मुक्त है।
यह सूचना **दिनांक 05 फरवरी 2020** को प्रकाशित।
रवि सक्सेना (अधिवक्ता)
... नोएडा- 201301, जिला - गौतम बुद्ध नगर (यूपी)

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Priyansh Verma S/o Sh. Yogesh Kumar Verma R/o M-7/B-9, Jhulelal Apartments, Pitam Pura, Road No. 44, Delhi-110034 do hereby declare that name of my father has been wrongly written as Yogesh Verma in my 10th class combined marksheet and certificate, 12th class marksheet and passing certificate, Migration certificate, School Leaving Certificate, Voter ID Card No. URU1944321 and Driving License No. DL-0820170401271 The actual name of my father is Yogesh Kumar Verma, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all, through this Public Notice, that my clients Shri Kishore Kumar Roy S/o Late Shri Dilip Kumar Roy and Smt. Geeta Roy W/o Shri Kishore Kumar Roy both R/o 2A, Radhey Shyam Park, Delhi-110051 have severed all kind of their relationship and disowned & disinherited their son namely Shri Kaushik Dutta Roy, who is not staying with them since October 2017, from their all movable and immovable properties. Anybody dealing with him in any manner, shall do the same at his/her own risk and my clients shall not be responsible for any act, deed and omission of their aforesaid son- Shri Kaushik Dutta Roy.

Sd/- **(UMESH GUPTA)**
ADVOCATE
Chamber No. 660, Western Wing
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Be it known to all to whom it may concern that My Client MRS. MAYA DEVI @ MAYA WIDOW OF LATE NANAK CHAND R/O K-1059, Madangir, New Delhi-110062 has broken down & severe her all relations & disclaim, disown & debar her son AMIT KUMAR @ CHHOTU S/O LATE NANAK CHAND, from her all movable & immovable properties & right of succession, who is habitual drunkard having relation with bad elements, usually involved in anti-social activities & residing in the property of my client illegally, so having no good cordial relation with my client and always/usually involved in quarrels (anytime life and property of my client & other family members may be harm). Hence due to his disobedient behavior & misconducts as he is working beyond the control of my clients, & my client is being harassed, humiliated, misbehaved by him. In future my client shall not be responsible for his any misconduct. If anybody dealing with him in any manner shall be doing so at own risks, costs, consequences & responsibilities.

RANJAN GUPTA (Advocate)
Ch. No. 311, Saket Courts, New Delhi-17

प्रशासनिक खंड में प्रधान न्यायाधीश करेंगे सुनवाई

नई दिल्ली, 4 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्त्व वाले मामलों की अदालती सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति के उसके 2018 के फैसले के क्रियान्वयन संबंधी मुद्दे को प्रशासनिक खंड में प्रधान न्यायाधीश सुनेंगे। मामले पर कोई न्यायिक आदेश देने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि यह उपयुक्त होगा कि प्रधान न्यायाधीश प्रशासनिक भाग में इस मुद्दे पर सुनवाई करें। इस पीठ में न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एमआर शाह भी थे ।

शीर्ष अदालत के महासचिव की ओर से पेश अतिरिक्त महान्यायवादी माधवी दीवान ने पीठ को बताया कि 2018 के फैसले को लागू करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि महासचिव ने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आधारभूत संरचना तैयार कराने का काम शुरू कर दिया है। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशासनिक भाग पर कोई आदेश नहीं हो सकता। प्रधान न्यायाधीश को प्रशासनिक भाग में इस मुद्दे पर विचार करना है।

PUBLIC NOTICE

To be known to all that I ASHISH SABHARWAL & PUNEET SABHARWAL Both R/o Property No - 84, Block-A-2, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029 Allotte/Mutatee of Residential Property No - 84, Block - A -2, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029 has applied for conversion from lease hold into free hold of the aforesaid Residential Property Dated 22.01.2019 in DDA. All the Original Documents ie DDA Original Allotment Letter, Original Perpetual Lease Duly Registered, Original Possession Letter, Site Possession Letter, 'C' and 'D' Form' etc. Conversion in respect of the above said property have been lost. A FIR to this affect has been lodged in P.S Delhi SO NO: SWD-S-E-000561 Dated 02.08.2019. Any Person meet these documents please inform to P.S SDA or Dy Director (Residential) or Director Residential I, Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023.

PUBLIC NOTICE

Sale of ENTIRE THIRD FLOOR (WITH ROOF RIGHTS) OUT OF FREEHOLD BUILT UP PROPERTY BEARING NO. WZ-66/1, LAND AREA MEASURING 200 SQ YDS OUT OF KHASRA NO.292 & 311 SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE TIHAR KNOWN AS MEENAKSHI GARDEN, NEW DELHI.

Notice is hereby given for information to the General Public by my client i.e. HDFC LTD that Mr. Sukhvinder Singh, Kamal Negi HUF through Sh. Kamal Negi & Kewal Krishan Dua HUF through Sh. Kewal Krishan Dua acquired the above said property through Sale Deed dated 14.01.2013 registered vide no. 560. Now the said Mr. Sukhvinder Singh, Kamal Negi HUF through Sh. Kamal Negi & Kewal Krishan Dua HUF through Sh. Kewal Krishan Dua intends to sell the above referred property to the customer (Sh. Tarun Dhawan & Smt. Rinni Dhawan) of my client, HDFC Ltd. The customer is availing the financial facility to purchase the above referred property and against the security of above referred property. If any person including banks, financial institutions or any other person, relative, organization, company, firm or government authority having any claim, right, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the above-referred property, is hereby called upon to make the same known, in writing with documentary evidence by registered AD Post to the undersigned at the address mentioned herein below within 15 (Fifteen) days of publication of this notice to the undersigned on the below mentioned address, failing which the same shall be deemed to have been waived and/or abandoned. In the event of no response being received to this notice, the purchase/ mortgage of this property shall be completed by our client without any reference to and without in any manner being affected by any such right title, interest or claim whatsoever.

MANISHA CHAUDHARY, ADVOCATE
JUS LEGALIS, 210, VARDHMAN STAR CITY MALL (NEAR RAMPHAL CHOWK), SECT-7 DWARKA, NEW DELHI-110075
011-45606363, 9899006723

असम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रणब गोगोई का निधन

गुवाहाटी, 4 फरवरी (भाषा)।

असम में कांग्रेस विधायक व विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रणब गोगोई का आयु संबंधी बीमारियों के कारण यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटे भी हैं। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि शिवसागर से विधायक गोगोई बीते कुछ दिन से बीमार थे।

उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। पेशे से अधिवक्ता गोगोई 2006 से 2011 तक कानून मंत्री रहे। वह 2011 से 2016 के बीच राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख रिपुन बोरा ने गोगोई के निधन पर शोक प्रकट किया है। पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

Classifieds

EXPRESS EDUCATION

M. PURI ONLINE
GS PAPER 2
ADMISSIONS OPEN in the latest batch
100+ LECTURES UPDATED WITH LATEST CURRENT AFFAIRS
A course without which your GS Paper 2 preparation is incomplete
Stellar IAS ACADEMY
www.stellariasacademy.online
CALL: 99152-14599

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841

हत्या मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शहपुर में व्यक्ति की कथित रूप से पीट-पीटकर हत्या करने के लिए 42 वर्षीय व्यक्ति और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। (भाषा)

दिल्ली पुलिस
शांति सेवा न्याय

चुनाव से संबंधित सार्वजनिक सूचना आपत्तिजनक संदेश

ऐसी घटनाएं देखने में आई हैं जब चुनावों के दौरान कुछ आपत्तिजनक संदेश एवं अन्य सोशल मीडिया संदेश भेज दिए जाते हैं, जिनसे चुनाव कानूनों, आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होता है। ऐसे आपत्तिजनक संदेशों के प्राप्तकर्त्ता अपनी शिकायत **श्री अनीश राय, उपायुक्त पुलिस (साइबर अपराध शाखा, CyPAD)** को भेज सकते हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए "नोडल अधिकारी" नियुक्त किया गया है।

ऐसे आपत्तिजनक संदेशों के शिकायतकर्त्ता, संदेश या लिंक को उस फोन नंबर के साथ जहाँ से उन्हें ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है, को **नोडल अधिकारी के मोबाइल नंबर 8130099105** पर अग्रेषित कर सकते हैं।

संदेश अग्रेषित करने के अलावा, यदि शिकायतकर्त्ता चाहे तो अपनी शिकायत **ई–मेल आईडी : acp-cybercell-dl@nic.in** पर ई–मेल और **011-28031130** पर फैक्स भी कर सकते हैं।

DP/8216/2020

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	22.7 डि.से.	22.7 डि.से.	20.8 डि.से.	22.7 डि.से.
न्यूनतम	5.3 डि.से.	5.3 डि.से.	5.3 डि.से.	5.3 डि.से.

सुल्तानपुरी में एक युवक पर ब्लेड से हमले का मामला

हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

सुल्तानपुरी में एक युवक की ब्लेड से गला काटकर हत्या के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने युवक की हत्या करने के बाद परिजनों को फोन किया और उनसे 15 लाख की फिरौती भी मांगी। युवक के परिजनों की ओर से 2 फरवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के कुछ देर बाद फिरौती के लिए फोन आने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले में दबिश देनी शुरू की और छापेमारी करते हुए दो युवकों सलीम और पंकज उर्फ विवेक को पकड़ लिया।

बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, सोमवार दोपहर सुल्तानपुरी के रहने वाले राम खिलाड़ी ने अपने भतीजे पुष्पेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुष्पेंद्र के पिता राम गणेश ने बताया कि उनके फोन पर पुष्पेंद्र को छोड़ने के लिए 15 लाख रुपए फिरौती मांगी गई थी।

पुलिस के मुताबिक, जांच शुरू हुई तो पता चला कि पुष्पेंद्र रविवार की रात मंगोलपुरी में रहने वाले सलीम और पंकज उर्फ विवेक से मिलने उनके घर गया था। सलीम को संदेह था कि पुष्पेंद्र के कारण ही उसका अपनी पत्नी से अनबन होती है। पंकज भी पुष्पेंद्र से ईष्या रखता था। दोनों आरोपियों ने पहले पुष्पेंद्र के सिर पर छोटे गैस सिलिंडर से हमला कर घायल किया। आरोप है कि सलीम ने ब्लेड से उसका गला काट दिया। हत्या के बाद घर को बंदकर दोनों सोमवार सुबह फरार हो गए।

50 लाख की लूट में पांच पकड़े गए

केशवपुरम इलाके से 50 लाख रुपए की लूट में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरे रोहिणी सेक्टर-तीन के एक निर्माण कंपनी में काम कर रहे 50 साल के विकासपुरी नामक व्यक्ति से हथियार के बल पर लूटपाट की थी। विकासपुरी वारदात के दिन अपने साथी राजहंस के साथ मोटरसाइकिल पर अशोक विहार की तरफ से कंपनी के मालिक से एक बैग में 50 लाख रुपए लेकर आ रहे थे। रुपए कंपनी के दफ्तर रोहिणी सेक्टर-तीन में जमा करना था। प्रेमबाड़ी पुल के पास दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार बदमाश आए और जबरन मोटरसाइकिल रोककर रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। केशवपुरम पुलिस ने 20 जनवरी को मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम पर जेएनयू शिक्षक संघ ने जताया एतराज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) शिक्षक संघ ने बजट 2020-21 के कई प्रावधानों की ओलाचना की है। शिक्षक संघ ने कहा कि बजट में वंचित वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन स्नातक पाठ्यक्रम शुरू की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह है कि वंचित वर्ग ऑनलाइन पढ़ेंगे और जिनके पास पैसा है वे कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। शिक्षक संघ ने इसकी कड़ी निंदा की है।

जेएनयू शिक्षक संघ के अध्यक्ष डीके लोबियाल और सचिव सुरजीत मजूमदार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति के जल्द जारी होने की बात कही है। शिक्षक संघ की ओर से कहा गया है कि शिक्षा नीति के ड्राफ्ट के मुताबिक वर्तमान सरकार शिक्षा को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने जा रही है। जिला अस्पतालों में निजी मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है।

एक्वा लाइन : ऑटो एक्सपो के लिए हर छह मिनट पर चलेगी मेट्रो

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 4 फरवरी।

एक्सपो मार्ट में लग रहे ऑटो एक्सपो के दौरान नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) प्रत्येक छह मिनट के अंतराल पर मेट्रो दौड़ाएगा। सात से 12 फरवरी तक चलने वाले एक्सपो की टिकट भी तीन मेट्रो स्टेशनों पर मिलेगी। हर स्टेशन पर टिकट के लिए दो-दो बूथ बनाए जाएंगे। नोएडा- ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे स्थित नॉलेज पार्क- 2 से करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित प्रदर्शनी स्थल तक जाने के लिए 10 ई-रिक्शा चलेंगे। जो अधिकतम 10 रुपए के किराए में मेट्रो स्टेशन से प्रदर्शनी स्थल तक दर्शकों को पहुंचाएंगे।

एनएमआरसी अधिकारियों के मुताबिक, ऑटो एक्सपो में आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। डीएमआरसी के मेट्रो स्टेशनों पर भी एक एक्सपो समेत एनएमआरसी सेवा की जानकारी देने के लिए बूथ बनाए जाएंगे। जहां से लोग मेट्रो से प्रदर्शनी तक पहुंचने की जानकारी आदि ले सकेंगे। एक्सपो में आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक्वा मेट्रो व्यस्त घंटों (पीक आवर्स) के दौरान छह मिनट और सामान्य घंटों में साढ़े सात मिनट के अंतराल पर चलेगी। प्रदर्शनी जाने के लिए दर्शक एक्वा लाइन से नॉलेज पार्क-2 तक जाएंगे। एक्सपो जाने के लिए एक्वा लाइन के सेक्टर- 51, सेक्टर- 137 और नॉलेज पार्क-2 में ऑटो एक्सपो के टिकट मिलेंगे। प्रत्येक स्टेशन पर टिकट के लिए दो बूथ होंगे। साथ ही सेक्टर- 51, 76, 101, 137, 142, नॉलेज पार्क-2, परी चौक, अल्फा-1 और डेल्टा-1 पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑटो एक्सपो और एनएमआरसी की सुविधाओं की जानकारी देने के लिए ब्लू लाइन मेट्रो के सेक्टर- 18, बॉटैनिकल गार्डन, सेक्टर- 52 और मजेंटा लाइन के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन पर यात्री सहायता केंद्र बनाए बनाए जाएंगे।

जल्द लागू हो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : एबीवीपी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम उठाने का स्वागत किया है। भारत के शैक्षणिक संस्थानों की दशा और दिशा में तेजी से सुधार होने चाहिए और अलग-अलग पैमानों पर तेजी से सुधार के लिए शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षकारों को अपनी भूमिका अनुसार तेजी से कदम बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। इसके लिए एबीवीपी ने सरकार से तुरंत नई शिक्षा नीति लागू करने की मांग की है।

मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता को एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रीय मीडिया संयोजक राहुल चौधरी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष अक्षित दहिया भी उपस्थित रहे।

सूरजकुंड : चंबा के रूमाल की कशीदाकारी जीत रही दिल

अनूप चौधरी
फरीदाबाद, 4 फरवरी।

हिमाचल के पहाड़ों की सुंदर वादियों में उकेरे गए चंबा के रूमाल मेले में पर्यटकों को काफी लुभा रहे हैं। इस रूमाल की खासियत है कि एक ही चित्र दोनों तरफ दो अलग दिशाओं में दिखाई देता है। चित्र पलटते ही दृश्य भी पलट जाता है। अपनी मां-दादी से सीखी कढ़ाई-बुनाई की इस कला को हिमाचल की इंदू शर्मा बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित कर रही हैं। साथ ही महिलाओं को उनके भीतर छुपी प्रतिभा को उजागर करने के लिए प्रेरित कर रही है।

34वें सूरजकुंड मेले में इस बार की थीम राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। हिमाचल के सैकड़ों कारीगर मेले में पिछले पांच दिनों से अपना डेरा जमाए हुए हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो पहली बार सूरजकुंड आए हैं और इंटरनेट या ऑनलाइन की दुनिया से अभी पूरी तरह वाकिफ भी नहीं है। इन्हीं में से एक है इंदु शर्मा, जो कि चंबा के रूमाल की कला की यहां अलग छाप छोड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि चंबा हिमाचल की खूबसूरत वादियों से घिरा ऐसा जिला है, जहां की महिलाएं घर में खाली बैठना पसंद नहीं करती और वे घर में अपना कोई ना कोई व्यवसाय शुरू कर देती हैं। फिर चाहे वे कोई व्यंजन बनाएं या कपड़े पर काशीदाकारी, मेहनत करके आमदनी करना वहां की महिलाओं को खूब भाता है।

इंदु शर्मा ने अपनी मां-दादी से सूती कपड़े के रूमाल पर कढ़ाई-बुनाई करना सीखा और अब इसी कला को वह आगे बढ़ा रही हैं। रूमाल पर अधिकतर राजा-रानी, गुलाब का फूल, भगवान श्रीकृष्ण-राधा के चित्र बनाए जाते हैं। इंदु ने बताया कि एक छोटा सा रूमाल बनाने में भी आराम से एक सप्ताह का समय लग जाता है। जिसकी कीमत करीब एक सौ पचास रुपए है। चित्र को लकड़ी के घूमने वाले फ्रेम में लगा दिया जाए तो उसकी कीमत बढ़कर चार से पांच हजार रुपए तक हो जाती है।

आरपी मीणा दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त बनाए गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

चुनाव आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली का पुलिस उपायुक्त नियुक्त किया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त प्रथम मीणा को तुरंत प्रभाव से दक्षिण-पूर्वी जिले में पदभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जामियानगर में चल रहे विवादास्पद धरना प्रदर्शन की गाज दक्षिण-पूर्वी जिला के पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल पर गिरी थी। रविवार रात अचानक बिश्वाल को हटाने के बाद कुमार ज्ञानेश को तब उपायुक्त पद पर कार्यभार संभालने को कहा गया था। मंगलवार को जारी एक निर्देश के मुताबिक चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि आइपीएस (एजीएमयूटी 2010 बैच) मीणा को तत्काल प्रभार संभालने का निर्देश दिया जाता है।

www.readwhere.com

ऐ भाई...

दिल्ली में जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समर्थकों में जोश भरते हुए।

500 को चाहिए चुनाव आयोग की विशेष सुविधा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय (सीईओ) ने मतदान के दिन बुज़ुर्ग नागरिकों को घर से मतदान केंद्र तक ले जाने और फिर घर छोड़ने की सुविधा के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख पांच फरवरी तक बढ़ा दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि 'पिक एवं ड्रॉप' सुविधा के लिए पहले अंतिम तारीख 31 जनवरी थी। इस सुविधा के लिए पंजीकरण कराने के लिए अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद निर्वाचन कार्यालय ने पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी। मुख्य चुनाव अधिकारी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा- हमें सिर्फ 500 लोगों के पंजीकरण मिले हैं। पंजीकरण को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण अंतिम तारीख को बढ़ाया गया है। इसके लिए 25 जनवरी को पंजीकरण शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि शारीरिक रूप से विशेष मतदाताओं को सहूलियत के लिए मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके लिए बड़ी संख्या में चलने में असमर्थ मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है।

झुग्गी-झोपड़ियों में प्रचार करेंगे भाजपा के 240 सांसद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

रणनीति

चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भाजपा के 240 सांसद दिल्ली के चुनावी दंगल में प्रचार करते नजर आएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय प्रकाश नड्डा की अगुआई वाली बैठक में यह फैसला लिया गया है। इन सभी सांसदों को घनी आबादी वाली कॉलोनियों में प्रचार में जुट जाने के निर्देश दिया गया है।

पार्टी सूत्रों ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में यह घोषणा की। जेपी नड्डा ने कहा कि इन सांसदों को प्रचार खत्म होने तक झुग्गी-बस्तियों और घनी आबादी वाले इलाकों में ठहरना होगा। उन्होंने चुनाव में भाजपा की जीत का भरोसा भी जताया। इन स्थानों पर रहने वाले गरीब मतदाताओं की बड़ी संख्या को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के आधार वोट के तौर पर देखा जाता है, जिसमें सेंध लगाने के लिये भाजपा ने यह रणनीति बनाई है। दिल्ली में चुनाव प्रचार छह फरवरी को खत्म हो जाएगा।

दिल्ली चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'आप' के नेता कह रहे है कि मेरे खिलाफ इतने नेता उतारे हैं। बहुत सारी पार्टी एक परिवार की पार्टी जबकि भाजपा एक परिवार है। देश के सभी सांसद चार दिन झुग्गी में जाएंगे और रात्रि प्रवास करेंगे। प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि दिल्ली का कैडर देख रहा कि शाहीनबाग क्या हो रहा है। इसका जवाब चुनाव में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 8 फरवरी का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। 40 लाख से अधिक लोग कच्ची कॉलोनी में रह रहे हैं।

हनुमान चालीसा ओवैसी भी पढ़ेंगे : आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है और एआइएमआइएम नेता असदुद्दीन ओवैसी से भी ऐसा ही करने की उम्मीद की जाती है। निश्चित रूप से ऐसा होगा। आदित्यनाथ ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत विपक्ष इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि जिन समस्याओं ने देश को जकड़ रखा है, उनका समाधान है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या मंदिर का भी जिक्र किया।

घोषणापत्र के साथ गारंटी कार्ड में किया वादा

मुफ्त सेवाएं जारी रखेगी 'आप'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

वादा

सभी पार्टियों के घोषणापत्र जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए सबसे अंतिम में मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कि है कि दिल्ली में इस बार 'आप' की सरकार बनती है तो दिल्ली में मुफ्त बिजली-पानी की सुविधा जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त सभी 24 घंटे बाजार खुलने की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत अन्य बड़े नेता उपस्थित थे। घोषणापत्र में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल और 24 घंटे बिजली जैसे वादे किए गए हैं। दिल्ली में आठ फरवरी को मतदान और 11 फरवरी को मतगणना होगी।

घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार देने का भी वादा किया है। इसके अतिरिक्त 'आप' सरकार बनाने के बाद एक बार फिर से दिल्ली जन लोकपाल कानून और दिल्ली स्वराज कानून बनाने की दिशा में काम करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को एक आधुनिक राजधानी बनाना है। ऐसी ही दिल्ली बनाने के लिए हमने अपना घोषणापत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि यह कर पाना हम लोगों के लिए अकेले संभव नहीं है। इसके लिए हमें दिल्ली के दो करोड़ लोगों के सहयोग की जरूरत है। केंद्र सरकार के सहयोग की भी जरूरत है और तमाम सरकारी संस्थानों के सहयोग की भी जरूरत है।

सफाईकर्मी की मौत पर एक करोड़ का मुआवजा : 'आप' नेता मनीष सिसोदिया ने 28 बिंदुओं वाला 'गारंटी कार्ड' नामक घोषणापत्र जारी किया। इस घोषणापत्र में घर पर राशन पहुंचाने, 10 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थयात्रा कराने और ड्यूटी के दौरान किसी भी सफाई कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसके परिवार वालों को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा कि उसका लक्ष्य हर परिवार को समृद्ध बनाना है और वह दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए भी काम करती रहेगी। घोषणापत्र में प्रायोगिक तौर पर 24 घंटे बाजार खोलने की अनुमति देने की बात भी कही गई है।

इन पर रहेगा जोर

जगमगाती दिल्ली : 24 घंटे 200 यूनिट मुफ्त बिजली
शुद्ध पानी : हर घर 24 घंटे शुद्ध पीने के पानी की सुविधा
बेहतर शिक्षा : हर बच्चे के लिए होगी विश्वस्तरीय शिक्षा
बेहरीन इलाज : हर परिवार को इलाज की व्यवस्था
सुधारेंगे परिवहन : छात्रों को भी मुफ्त बस यात्रा मिलेगी
प्रदूषण करेंगे कम : 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे
स्वच्छ दिल्ली : दिल्ली को कूड़े से मुक्ति दिलाएंगे
महिला सुरक्षा : मोहल्ला मार्शल को भी तैनात होंगे
कच्ची कॉलोनी सुधार : सभी कच्ची कॉलोनियों में सड़क,
जहां झुग्गी, वहीं मकान : झुग्गीवासी को पक्का मकान

बिजली-पानी बनाम राष्ट्रवाद की लड़ाई

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

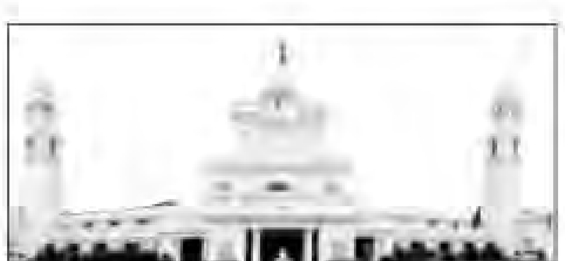

सिकंदर कौन

मुद्दा

दिल्ली के चुनावी दंगल का सिकंदर कौन होगा, इसका निर्णय तो जनता को करना है लेकिन जहां तक चुनावी मुकाबले का सवाल है तो यहां भिड़ंत बिजली-पानी सरीखे स्थानीय मुद्दों के अलावा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), अनुच्छेद 370, तीन तलाक आदि राष्ट्रीय मुद्दों के बीच हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली आम आदमी पार्टी (आप) मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस का सफर सरीखे लोकलुभावन कदमों के सहारे वोट बटोरने की ताक में है तो भाजपा ने इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों के बदले राष्ट्रीय मुद्दों को तवज्जो दी है और इस चुनाव को राष्ट्रविरोधी व राष्ट्रवादी ताकतों के बीच का चुनाव बताकर मतदाताओं को अपनी ओर करने का जोरदार अभियान छेड़ रखा है।

अरविंद केजरीवाल की अगुआई में आम आदमी पार्टी ने 2015 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीतकर एक नया रिकार्ड बनाया। लेकिन उसके बाद हुए दो चुनावों में उनकी पार्टी को भरी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने तीनों नगर निगमों में विजय दर्ज कर ली, वहीं लोकसभा चुनाव में भी उसने न केवल सातों सीटें जीत लीं, बलिक कई सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत तक जब्त करा दी। लोकसभा के इस चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बन गई।

जानकार बताते हैं कि केजरीवाल के लिए लोकसभा के चुनाव परिणाम एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए। इससे पहले तक केन्द्र सरकार से उनकी सीधी लड़ाई थी। केन्द्र पर काम नहीं करने का आरोप लगाकर उन्होंने उपराज्यपाल निवास में अपने मंत्रियों संग धरना तक दिया। तब उनका नारा था, वे परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने रणनीति बदल ली। उसके बाद से केन्द्र से दिल्ली सरकार के टकराव में कमी आती दिखी और मुफ्त जैसे लोकलुभावन फैसले उनकी सरकार ने किए। उन्हीं के दम पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से जनता से वोट मांग रही है। दूसरी ओर भाजपा ने भी अपने चुनाव घोषणापत्र में लोकलुभावन वादे किए लेकिन उसके नेताओं के भड़काऊ बयान लगातार सामने आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि दरअसल भाजपा के नेता इस प्रकार के बयान देकर इस चुनाव में ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर रह रहे हैं। शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ जारी धरने को भी उसने बड़ा मुद्दा बना रखा है और इस चुनावी मुकाबले को राष्ट्रवादी व राष्ट्रविरोधी ताकतों के बीच की लड़ाई के तौर पर दिखाने में जुटी है। उसके आक्रामक चुनाव प्रचार का परिणाम यह है कि केजरीवाल शाहीन बाग के धरना को समर्थन देने जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके।

कांग्रेस इस चुनाव में उतरी तो पूरे जोशो खरोश के साथ जरूर है लेकिन उसके पास एक चमकते चेहरे का अभाव है। पार्टी अपने 15 साल की पुरानी हुकूमत का हवाला देकर जनता से वोट मांग रही है। कम से कम 18 से 20 सीटों पर उसके उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। दिग्गज पार्टी की साख बचाने में जुटे हैं।

रैली
दिल्ली के संगम विहार में आयोजित कांग्रेस की रैली में रोजगार की मांग के पोस्टरों के साथ नजर आए समर्थक।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का **सांकेतिक कब्जा दिनांक 31, जनवरी, 2020** को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है

क्र0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम	ऋणकर्ता व गारंटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(13/2)मांग नोटिस की तिथि,मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेरठ	मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्रा. लिमिटेड मैसर्स राज स्नेह ऑटो व्हील्स प्रा. लिमिटेड	**मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** पता- 118, नटराज अपार्टमेंट, 67, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली -110092 अन्य पता: हफीजाबाद मेवला, दिल्ली रोड, मेरठ **श्री मनोज कुमार गुप्ता, पुत्र श्री नंद किशोर गुप्ता,** निदेशक/गारंटर, मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्रा.लिमिटेड पता: 214-ए, गंज बाजार, सदर, मेरठ **श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र श्री नरेंद्र कुमार जैन,** निदेशक/गारंटर, मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्रा. लिमिटेड पता: 228, पुरानी प्रेमपुरी रेलवे रोड, मेरठ **श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, पत्नी श्री मनोज कुमार गुप्ता,** गारंटर, मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्रा. लिमिटेड, पता: 214-ए, गंज बाजार, सदर, मेरठ **श्रीमती साधना जैन, पत्नी अशोक कुमार जैन,** गारंटर, मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्रा. लिमिटेड पता: 228, पुरानी प्रेमपुरी रेलवे रोड, मेरठ **मैसर्स राज स्नेह ऑटो व्हील्स प्रा. लिमिटेड** 106, नटराज अपार्टमेंट, 67, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 **श्री प्रियांक जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन,** निदेशक/गारंटर, मेसर्स राज स्नेह ऑटो व्हील्स प्रा. लिमिटेड, पता: 228, पुरानी प्रेमपुरी रेलवे रोड, मेरठ, **श्री आशीष जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन,** निदेशक/गारंटर, मैसर्स राज स्नेह ऑटो व्हील्स प्रा. लिमिटेड, पता: 228, पुरानी प्रेमपुरी रेलवे रोड, मेरठ, **श्री मयंक कुमार गुप्ता, पुत्र श्री मनोज कुमार गुप्ता,** निदेशक/ गारंटर, मैसर्स राज स्नेह ऑटो व्हील्स प्रा. लिमिटेड पता: 214-ए, गंज बाजार, सदर, मेरठ **मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** गारंटर, मैसर्स राज स्नेह ऑटो व्हील्स प्रा. लिमिटेड पता: 118, नटराज अपार्टमेंट, 67, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 अन्य पता: हफीजाबाद मेवला, दिल्ली रोड, मेरठ, **श्री मनोज कुमार गुप्ता, पुत्र श्री नंद किशोर गुप्ता,** गारंटर, मैसर्स राज स्नेह ऑटो व्हील्स प्रा. लिमिटेड, पता: 214-ए, गंज बाजार, सदर, मेरठ **श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र श्री नरेंद्र कुमार जैन,** गारंटर, मैसर्स राज स्नेह ऑटो व्हील्स प्रा. लिमिटेड, पता: 228, पुरानी प्रेमपुरी रेलवे रोड,मेरठ. **श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, पत्नी श्री मनोज कुमार गुप्ता,** गारंटर, मैसर्स राज स्नेह ऑटो व्हील्स प्रा. लिमिटेड, पता: 214-ए, गंज बाजार, सदर, मेरठ **श्रीमती साधना जैन, पत्नी श्री अशोक कुमार जैन,** गारंटर, मैसर्स राज स्नेह ऑटो व्हील्स प्रा. लिमिटेड, पता: 228, पुरसनी प्रेमपुरी रेलवे रोड, मेरठ	(1) आईपी स्थित दिल्ली रोड, खसरा नंबर 210 का भाग, हाफिजाबाद मेवला, मेरठ। संपत्ति मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम, क्षेत्रफल 3412.10 वर्ग मीटर संपत्ति की सीमायें:-पूर्व: 30 मीटर) मनोज कुमार गुप्ता की संपत्ति, पश्चिम: 30 मीटर) मेरठ दिल्ली रोड, उत्तर: 112.54 मीटर) अहाता जैन, दक्षिण: साइट के अनुसार) राज स्नेह ऑटो की संपत्ति (2) प्लॉट नंबर ए-25, मंगतपुरम, कालोनी मेरठ क्षेत्रफल 303.84 वर्ग गज, संपत्ति मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम सीमायें:-पूर्व: 33'0'') 50' चौड़ी सड़क, पश्चिम: 50'6'') अन्य की संपत्ति, उत्तर: 65'0'') प्लॉट ए-24, दक्षिण: 66'0'') अन्य की संपत्ति. (3) प्लॉट नंबर ए -24, खसरा न 215 का भाग मंगतपुरम कॉलोनी, मेरठ क्षेत्रफल 213.32 वर्ग गज, श्री मनोज कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय नंद किशोर गुप्ता के नाम, संपत्ति की सीमायें:- पूर्व: 30'0'') 50' चौड़ी सड़क पश्चिम: 30'0'') अन्य की संपत्ति, उत्तर: 63'0'') प्लॉट न. ए-23, दक्षिण: 65'0'') प्लॉट नं. ए-25 (4) प्लॉट नंबर ए -23, मंगतपुरम, कॉलोनी, खसरा नंबर 215 का भाग, मेरठ क्षेत्रफल 247.50 वर्ग गज। मनोज कुमार गुप्ता के नाम, संपत्ति की सीमायें:-पूर्व: 30'0'') 25' चौड़ी सड़क, पश्चिम: 30'0'') अन्य की संपत्ति, उत्तर: 73'6'') प्लॉट नं. ए-22, दक्षिण: 75'0'') प्लॉट नं. ए-24 (5) प्लॉट नंबर बी -78, मेजर ध्यानचंद नगर, स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली रोड मेरठ मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम, क्षेत्रफल 128.48 वर्गमीटर, संपत्ति की सीमायें:-पूर्व: 10.30 मीटर) प्लॉट नंबर बी -79, पश्चिम: 04.30 मीटर) प्लॉट नंबर बी -77, उत्तर-18.59 मीटर) मंगतपुरम कॉलोनी, दक्षिण: 17.60 मीटर) 6.00 मीटर चौड़ी सड़क (6) प्लॉट नंबर ए-26, खसरा नंबर 215 का भाग, मंगतपुरम कॉलोनी, मेरठ मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्रा. लिमिटेड के नाम क्षेत्रफल 189.22 वर्ग गज, संपत्ति की सीमायें:-पूर्व: 62'3'' प्लॉट नंबर ए-27, पश्चिम: 67'9'') राज स्नेह ऑटो की संपत्ति, उत्तर: 26'4'') 25' चौड़ी सड़क, दक्षिण: 26'4'') राज स्नेह ऑटो की संपत्ति (7) प्लॉट स्थित शेड नंबर सी -1, औद्योगिक एस्टेट, चीनी मिल, नगीना रोड के सामने, बिजनौर मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्रा. लि. के नाम क्षेत्रफल 548.64 वर्ग मीटर संपत्ति की सीमायें:-पूर्व: शेड न. 5, पश्चिम: औद्योगिक एस्टेट की सड़क, उत्तर: शेड नंबर सी -2, दक्षिण: शेड न. सीएफसी (8) प्लॉट स्थित शेड नंबर सी एफ सी औद्योगिक एस्टेट, शुगर मिल के सामने, नगीना रोड, बिजनौर, क्षेत्रफल 1041.67 वर्ग मीटर श्री मनोज कुमार गुप्ता और श्री अशोक कुमार जैन के नाम है। संपत्ति की सीमायें:-पूर्व: शेड नं. सी-1, पश्चिम: औद्योगिक एस्टेट की सड़क, उत्तर: शेड नंबर डी -1 और डी -2, दक्षिण: औद्योगिक एस्टेट की सड़क 9) आईपी स्थित नौ प्लॉटस असर नंबर सी -41, खसरा नंबर 49 एम, गाँव नूर नगर, अब सूर्या पैलेस, दिल्ली रोड, मेरठ, मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्राइवेट लि. के नाम, क्षेत्रफल 314.00 वर्ग गज, संपत्ति की सीमायें:-पूर्व: चार दीवारी कॉलोनी, पश्चिम: 30'0'' चौड़ी सड़क, उत्तर: चार दीवारी कॉलोनी, दक्षिण: चार दीवारी कॉलोनी (10) आईपी स्थित सात प्लॉटस असर नंबर सी-01, सी-20 व सी- 42 से सी-46 खसरा नंबर 49 एम, गाँव नूर नगर, अब सूर्या पैलेस, दिल्ली रोड, मेरठ, मैसर्स राज स्नेह ऑटो इंडिया प्रा. लि. के नाम। क्षेत्रफल 989.13 वर्ग मीटर अर्थात 1183 वर्ग गज, संपत्ति की सीमायें:- ए) प्लॉट नंबर सी-1, पूर्व: 60'0'') चार दीवारी कॉलोनी, पश्चिम: 60'0'' प्लॉट नंबर सी-2, उत्तर: 23'0'' सड़क, दक्षिण: 25'6'' प्लॉट नंबर सी-20, बी) प्लॉट नंबर सी -20, पूर्व: 90'0'') चार दीवारी कॉलोनी, पश्चिम: 90'0'' प्लॉट नंबर सी-19 और 30'' चौड़ी सड़क, उत्तर: 25'6'' प्लॉट नंबर सी-1, दक्षिण: 28'8''प्लॉट नंबर सी-21 (सी) प्लॉट नं. सी -42 से सी -46, पूर्व: 50'0'') प्लॉट नं. सी-41 और रास्ता, पश्चिम: 20'0'') प्लॉट नंबर 47, उत्तर: 135'0'') 30' चौड़ी सड़क, दक्षिण: 135'0'') चार दीवारी कॉलोनी	27.09.2019 रु. 24,23,61,909.47 + बैंक गारंटी + ब्याज व अन्य खर्चे रु. 13,02,71,013.01 + ब्याज व अन्य खर्चे	31.01.2020	श्री प्रवीण प्रसाद

दिनांक:- 04.02.2020 स्थान:- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

भाजपा बुधवार तक बताए कौन है मुख्यमंत्री का चेहरा : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को बुधवार दोपहर बाद एक बजे तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने की चुनौती दी। केजरीवाल कहा कि वह उसके साथ सार्वजनिक तौर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर भाजपा ऐसा नहीं करती है तो वह अगले कदम की घोषणा करने के लिए प्रेस से मुलाकात करेंगे। उन्होंने चुनाव के लिए मंगलवार को घोषणापत्र जारी करने के बाद संवाददताओं से कहा, 'दिल्लीवासी चाहते हैं कि भाजपा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम की घोषणा करे।

मनमोहन सिंह और शशि थरूर पहुंचे समर्थन मांगने

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

चुनाव प्रचार में उम्मीदवारों के समर्थन में बड़े नेता उतरे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजौरी गार्डन से कांग्रेस प्रत्याशी अमनदीप सिंह सूदन ने वास्तविक विकास के नाम पर कांग्रेस को देने की अपील की। कहा कांग्रेस ने अपने 15 साल के शासन में दिल्ली में चौतरफा विकास कार्य किए। विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कांग्रेस को जरूरी बताया। कालकाजी से प्रत्याशी शिवानी चोपड़ा के समर्थन में सांसद शशि थरूर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आपके सपने को पूरा करेगी और दिल्ली के विकास को सुनिश्चित करेगी।

विश्वास नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरन सिंह राजू के समर्थन में अभिनेता और राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने आइपी एक्सटेंशन में जनसभा को संबोधित किया। मंच का संचालन कर रहे नसीब सिंह ने कहा कि आपके प्रत्याशी का उद्देश्य केवल काम करना है। गांधीनगर क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली ने शास्त्री नगर, न्यू सीलमपुर, धरमपुरा एक्सटेंशन और मुलतानी मोहल्ले में पदयात्रा कर समर्थन मांगा। उन्होंने गांधीनगर में फैक्टरियों की सीलिंग को अवैध बताते हुए जीतने के 15 दिन में लोगों को राहत देने का वादा किया। रोहताश नगर में उम्मीदवार विपिन शर्मा के पक्ष में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जनसभा की। वजीरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरि किशन जिंदल ने केशवपुरम इलाके में विशाल कार व बाइक रैली निकालकर लोगों से साथ मांगा। पटपड़गंज इलाके से निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व पार्षद सुरजीत सिंह ने लोगों से समर्थन मांगा।

अलका लांबा के कांग्रेस में जाने के बाद चांदनी चौक में लड़ाई दिलचस्प

बिजली के तारों जैसा उलझा है चुनावी गणित

प्रियरंजन
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

मुकाबला

दिल्ली दंगल में सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच भले हो लेकिन दिल्ली 6 यानि चांदनी चौक में चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय है। और वह दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। यहां इलाकों में जैसे बिजली के तार उलझे दिखते हैं कुछ वैसा ही चुनावी गणित भी उलझा दिख रहा है। तस्वीर ऐसी है कि यहां पिछले चुनाव में झाड़ू की बदौलत विधानसभा पहुंचने वाली अलका लांबा इसबार कांग्रेसी बनकर वोट मांग रही हैं। उनकी छवि कामकाज, लोगों से व्यक्तिगत संबंध यहां से उनकी ताकत बनकर उभरे हैं और उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। भाजपा से सुमन गुप्ता लगातार दूसरी बार मैदान में हैं। 'आप' ने यहां से प्रहलाद सिंह सहनी को मैदान में उतार कर लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। पिछली बार यही सहनी कांग्रेसी झण्डा थामे हाथ के साथ खड़े थे। इस बार उन्होंने केजरीवाल का हाथ पकड़ लिया है।

लांबा ने जहां पारदर्शिता और शीला दीक्षित वाला विकास को मुद्दा बना कर केजरीवाल को घेरा हैं वहीं सहनी का लांबा पर पलटवार है कि पिछली बार वो जिसे ईमानदार बता रही थी उसे ही इस बार बेईमान बताकर वोट मांग रहीं है। यहां की तंग गलियां, आसमान में उलझे घने तारों का मकड़जाल पर 'आप' उम्मीदवार का दावा है कि चांदनी चौक की ये पहचान बदल दी जाएगी।

दरअसल, अपनी ऐतिहासिक विरासत, नफासत और शानदार बाजार के लिए प्रसिद्ध रहा चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। यहां मुकाबला तिकोना होने जा रहा है। हालाकि यहां 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तीनों मुख्य पार्टियों के अलावा सुदेश बसपा से, अनिल जादोन शिवसेना से, रमेश गोयल राष्ट्रवादी जनता पार्टी, सतपाल असंख्य समाजवादी पार्टी से, शादीक्यू मोनिरोद्दीन टीपू सुलतान पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा चार उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में हैं।

www.readwhere.com

सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास

सत्यमेव जयते

रक्षा क्षेत्र में डिजिटल क्रान्ति का अनुभव करें

defexpo INDIA 2020

India : The Emerging Defence Manufacturing Hub

DEFEXPO 20 INDIA

05-09 FEBRUARY 2020 LUCKNOW

Ministry of Defence

डिफेन्स एक्सपो–2020 लखनऊ

का

शुभारम्भ

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री द्वारा

गरिमामयी उपस्थिति

आनन्दीबेन पटेल	राजनाथ सिंह	योगी आदित्यनाथ	श्रीपद येस्सो नाइक
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश	रक्षा मंत्री, भारत सरकार	मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार

केशव प्रसाद मौर्य	डॉ० दिनेश शर्मा	सतीश महाना
उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश	मंत्री, औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 5 फरवरी, 2020 | समय: अपराह्न 1:00 बजे | स्थान: वृन्दावन योजना, सेक्टर–15, लखनऊ

डिफेन्स एक्सपो–2020 में देश–विदेश से पधारे महानुभावों, रक्षा विशेषज्ञों एवं निवेशकों का लखनऊ में

हार्दिक स्वागत

defexpo.gov.in | http://instagram.com/defexpoindia/ | @DefExpoIndia, #DefExpo2020 | http://facebook.com/DefExpoIn

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | Download the official app "DEFEXPO 2020" | @CMOfficeUP | @cmouttarpradesh | सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

www.readwhere.com

सत्ता की खातिर

दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए होने वाले मतदान में अब चंद रोज बाकी हैं। इस बीच यहां के चुनावी मैदान में उतरी तीन मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टियों ने अपने घोषणा-पत्रों या गारंटी पत्रों में जिस तरह के दावे किए हैं, उससे साफ है कि एक बार फिर दिल्ली के मतदाताओं के सामने कई अन्य दावों के अलावा कुछ मुफ्त सुविधाओं के मामले में एक समान आकर्षण परोसा गया है। मसलन, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर जहां एक सीमा तक बिजली-पानी और महिलाओं के सार्वजनिक बसों में सफर को मुफ्त बनाए रखने के अलावा चौबीसों घंटे बाजार खोलने की इजाजत देने का वादा किया गया है, वहीं भाजपा ने कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी और नौवीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल मुफ्त देने का वादा किया है। इसी तरह कांग्रेस ने भी बिजली मुफ्त मुहैया कराने के मामले में 'आप' को पीछे छोड़ने का वादा किया है। तीनों पार्टियों के घोषणा पत्रों में अन्य कई बातें दर्ज हैं, लेकिन मतदाताओं के सामने मुफ्त का आकर्षण परोसने के मामले में किसी ने कमी नहीं की है।

इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता में आने की होड़ में सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए तमाम तरह के आकर्षक वादे करती हैं। लेकिन मुफ्त सुविधाओं के वादों को क्या जनता की समझ के स्तर को कम करके आंकने के तौर पर नहीं देखा जा सकता है? आखिर जो सुविधाएं लोगों की सामान्य पहुंच के दायरे में होनी चाहिए और जिन्हें हासिल करते हुए अतिरिक्त बोझ नहीं महसूस होना चाहिए, उसके प्रति मुफ्त के आकर्षण को कैसे देखा जाएगा? राजनीतिक पार्टियों के लिए यह शायद इसलिए संभव हो पाता है कि लोगों के बीच जागरूकता की कमी होती है। अगर राजनीतिक गतिविधियों के जरिए जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण उचित दिशा में हो, तो यह सवाल अपने आप ही उठ सकता है कि जो सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराने के वादे किए जा रहे हैं, वे क्यों नहीं लोगों के सामान्य अधिकार होने चाहिए। मसलन, अगर सरकार की ओर से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त या कम कीमत में सबकी पहुंच के दायरे में लाने की व्यवस्था करती है, तो यह नागरिकों के अधिकार हैं। लेकिन राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की चेतना के सीमित विस्तार की वजह से लोग इन सुविधाओं को अपने ऊपर सरकार के एहसान के रूप में देखने लगते हैं। फिर अगर किसी व्यक्ति के पास संतोषजनक रोजगार हो, उसकी आय का स्तर अच्छा हो, तो कुछ सुविधाओं के लिए वाजिब कीमत चुकाने में उसे दिक्कत क्यों होगी?

किसी भी लोकतांत्रिक पद्धति वाले शासन में आमतौर पर होता यही है कि जनता की मूलभूत जरूरतों से संबंधित मामलों पर ज्यादातर समय योजनाएं बनाने और उसकी घोषणाओं में ही गुजर जाता है। फिर जब चुनाव का वक्त आता है तब फिर से सभी भागीदार पार्टियां उन्हीं जरूरतों को पूरा करने के वादे बढ़-चढ़ कर करने लगती हैं। लेकिन चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली पार्टी उन वादों को याद रखना या उन्हें शिद्दत से पूरा करना भूल जाती है और विपक्ष में रहने वाली पार्टियां चुनाव घोषणा पत्रों के दावों पर जोर देना छोड़ देती हैं। इस सबके बीच यह सवाल गुम हो जाता है कि जो सुविधाएं मुहैया कराने के वादे किए जाते हैं, वे आमतौर पर जनता के अधिकार होते हैं और सत्ताधारी पार्टियों के आग्रहों या लापरवाहियों की वजह से या तो स्थगित होते हैं या फिर उन्हें सुनिश्चित करने में टालमटोल किया जाता है। सवाल है कि राजनीतिक दलों के चुनावी वादों और जनता के अधिकारों के वास्तविक संदर्भ किस हद तक सुनिश्चित हो पाते हैं!

कैंसर के सामने

यह एक धारणा-सी बन गई है कि कैंसर नाम की बीमारी मौत का पैगाम होती है। अगर किसी को कैंसर हो गया तो उसका बच पाना संभव नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। कैंसर को लेकर इस तरह की धारणा के पीछे जो कारण हैं, उनमें सबसे बड़ा कारण बीमारी के बारे में जागरूकता का अभाव है। इसलिए किसी को भी कैंसर का पता चलने के बाद बीमारी से ज्यादा उसका खौफ सताता है। हालांकि आज भी कैंसर का मुक्कमल इलाज नहीं खोजा जा सका है। कोई ऐसी दवा या टीका ईजाद नहीं हो पाया है जो किसी भी तरह के कैंसर के मरीज को बचा सके। पर यह भी सच है कि अब पहले वाली स्थिति नहीं है। आज से दो-तीन दशक पहले तक तो कैंसर के किसी भी मरीज का जीवन ज्यादा नहीं होता था। पर पिछले दो दशकों में चिकित्सा विज्ञान में हुए शोधों और तकनीक के विकास ने इस बीमारी को अब पूरी तरह लाइलाज नहीं रहने दिया है। कैंसर के कारण, प्रकार और इनसे बचाव के तरीकों को लेकर जितने शोध-अध्ययन और परीक्षण हुए हैं, उनसे इतना तो संभव हुआ है कि कैंसर के मरीजों को बचा लेने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ गई हैं। अगर समय रहते कैंसर का पता चल जाता है और उपयुक्त चिकित्सा मिल जाती है तो रोगी ठीक होकर सामान्य जीवन जी सकता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली सदी में अगर कुछ महामारियों का खात्मा हुआ है तो कैंसर जैसी बीमारी ने इंसान को नए संकट में धकेला है। भारत सहित एशियाई देशों और विकासशील देशों में यह बीमारी तेजी से फैली है। भारत के लिए चिंताजनक इसलिए है कि दस में एक भारतीय को कैंसर होने और पंद्रह में एक भारतीय की कैंसर से मौत होने का खतरा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है। साल 2018 में भारत में कैंसर के ग्यारह लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे और इनमें आठ लाख लोगों की जान नहीं बच पाई। स्पष्ट है कि कैंसरग्रस्त व्यक्ति को बचाने के उपायों में हम काफी पीछे हैं। अगर आज ये स्थिति है तो आने वाले वक्त में हम कैसे भयावह हालात का सामना कर रहे होंगे, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2040 तक विकासशील देशों में कैंसर के मामलों में इक्यासी फीसद की वृद्धि का अंदेशा व्यक्त किया है। यह भारत के लिए भी खतरे की घंटी है।

कैंसर को लेकर सबसे बड़ी जरूरत लोगों को जागरूक बनाने की है। जैसे तंबाकू उत्पादों बीड़ी-सिगरेट, जर्दा आदि को कई तरह के कैंसर का बड़ा कारण माना गया है और शोधों से इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। लेकिन भारत में लोग तंबाकू सेवन ऐसे करते हैं जैसे खानपान का अभिन्न हिस्सा हो। हालांकि तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर साफ-साफ फोटोयुक्त चेतावनी भी छपी होती है, पर उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। जब सरकार कंपनियों को इस तरह की चेतावनी छापने को मजबूर कर सकती है तो फिर तंबाकू उत्पादों पर रोक क्यों नहीं लगाती? क्या लोगों की जान की कीमत पर किसी कारोबार को चलने दिया जाना चाहिए? इसी तरह खेती में कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल, शहरों में बढ़ रहा प्रदूषण, गंदगी भी इस बीमारी को तेजी से फैला रहे हैं। भारत में जिस तेजी से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, उसके अनुपात में सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। निजी अस्पतालों में इलाज इतना महंगा है कि हर कोई वहां जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही खस्ताहाल हैं। ऐसे में कैंसर से जंग हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है!

कल्पमेधा

क्या तुमने कभी ऐसे आदमी का नाम सुना है, जिसने निष्ठा से जन्म-भर प्रयत्न किया हो और किसी हद तक सफल न हुआ हो?

- थोरो

ब्रिटेन का भविष्य और चुनौती

ब्रह्मदीप अलूने

पिछले कुछ वर्षों से यूरोपीय संघ की ब्रिटेन पर दबाव बनाने की कोशिशें ब्रिटिश जनता को नागवार गुजर रही थीं। वास्तव में ब्रिटिश जनता ने ईयू के उन दावों को खारिज करने का साहस दिखाया, जिनमें बार-बार यह बताया जा रहा था कि ईयू के साथ रह कर ही ब्रिटेन सुरक्षित रह सकता है, अन्यथा वित्तीय संस्थानों की आर्थिक स्थिति खराब होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और ब्रिटेन अलग-थलग पड़ जाएगा।

ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। ब्रिटेन के साथ ही, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अव्वल स्थान पर रहने वाले यूरोपीय संघ (ईयू) को भी इस ब्रिटिश अलगाव के बाद नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी बाईस फीसद है। ब्रिटेन के नहीं रहने से यह घट कर अठारह फीसद रह जाएगी। ईयू की आबादी में भी तेरह फीसद की गिरावट आएगी। ब्रिटेन ईयू की अर्थव्यवस्था में जो बड़ा योगदान देता आ रहा था, वह अब बंद हो जाएगा और ईयू से ब्रिटेन को मिलने वाली रियायतें खत्म हो जाएंगी। बदलते दौर में इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि ब्रिटेन भारत जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से मुक्त व्यापार के समझौते करे। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? ब्रिटेन ने अपने व्यापारिक संबंधों को नए विचार के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो अभियान शुरू किया है, वह बेहद दिलचस्प है। ईयू से अलग होते ही ब्रिटेन ने 'ग्रेट-रेडी टू ट्रेड' अभियान शुरू कर दिया है। इसमें तेरह देशों के अठारह शहरों पर फोकस किया गया है। ये देश ईयू से बाहर के हैं और इन्हें भविष्य में ब्रिटेन के बड़े सहयोगी देशों के रूप में बताया जा रहा है। भारत ब्रिटेन की व्यापारिक साझीदारी में ऊपर है और मुंबई उसका केंद्र होगा। इसके अलावा पर्थ, मेलबर्न और सिडनी, शंघाई, हांगकांग, टोक्यो, मेक्सिको सिटी, सिंगापुर, जोहानीसबर्ग, सियोल, इस्तांबुल, दुबई और न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस और शिकागो से ब्रिटेन का कारोबार चलेगा।

यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी। साल 2004 में 'यूरो' मुद्रा ने इसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में यह कोशिश की गई कि सभी देश आर्थिक रूप से एक साथ आगे आएं और एक व्यापार समूह का हिस्सा बनें। यूरोपीय संघ में ब्रिटेन के अलग होने के बाद अब सत्ताईस देश बचेंगे। इन देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं, ताकि व्यापार आसानी से हो सके और लोग एक-दूसरे से कोई विवाद न करें। हालांकि यूरोपीय यूनियन में राष्ट्र की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को लेकर अंतर्द्वंद्व रहा है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति डिगोले बहुत पहले ही कह चुके थे कि यूरोपीय यूनियन के सदस्य अपने राष्ट्र की स्वायत्तता और स्वतंत्रता का परित्याग नहीं करेंगे। यूरोपीय राष्ट्र स्वयं इस मुद्दे पर विभाजित हैं कि यूरोपीय संघ की सुरक्षा नाटो द्वारा हो या उनकी सुरक्षा का स्वायत्त प्रबंध हो। इंग्लैंड, पोलैंड और डेनमार्क शुरू से ही एक समान विदेश और सुरक्षा नीति के विरोधी हैं। साल 2004 में प्रस्तावित ईयू के संविधान में यह स्पष्ट उल्लेखित था कि एक पृथक सुरक्षा संगठन बनाने का प्रयत्न किया जाए, लेकिन ब्रिटेन ने उस समय ऐसी किसी योजना या नीति का विरोध किया था।

साल 2016 से ही यह संभावना मजबूत हो गई थी कि ब्रिटेन ईयू से अलग होकर अपना भविष्य खुद तय करना चाहता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अब उन लोगों को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने 2016 में ईयू से अलग होने का अभियान शुरू किया था। साल 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में लोगों से यह सवाल किया गया कि वे ईयू के सदस्य बने रहना चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जवाब में बावन फीसद लोगों ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के पक्ष में मतदान किया था, जबकि उसमें बने रहने के पक्ष में अड़तालीस फीसद लोगों ने वोट दिया था।

ईयू से अलग होने के ब्रिटेन के फैसले के पीछे कई कारण रहे हैं। एकल बाजार सिद्धांत अर्थात किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ-जा सकते हैं और लोग बिना रोक-टोक के नौकरी, व्यवसाय और स्थायी तौर पर निवास कर सकते हैं। लोगों की मुक्त आवाजाही और मुक्त व्यापार ही यूरोपीय संघ की खासियत है। पर अब ब्रिटेन के नागरिकों के लिए यह स्थिति असहज बन गई है। यूरोपीय संघ से अलग होने की घटना को अपने देश के लिए नई सुबह बताने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के जेहन में यह बात जरूर होगी कि उनके देश का अकेला चलने का राजनीतिक फैसला ब्रिटेन के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक और वैदेशिक स्तर पर बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

ईयू से अलग होने के ब्रिटेन के फैसले को उस राष्ट्र के चरित्र से भी जोड़ कर देखा जा सकता है, जिसने विश्व के अधिकांश भूभाग पर सदियों तक राज किया। पिछले कुछ वर्षों से यूरोपीय संघ की ब्रिटेन पर दबाव बनाने की कोशिशें ब्रिटिश जनता को नागवार गुजर रही थीं। वास्तव में ब्रिटिश जनता ने ईयू के उन दावों को खारिज करने का साहस दिखाया, जिनमें बार-बार यह बताया जा रहा था कि ईयू के साथ रह कर ही ब्रिटेन सुरक्षित रह सकता है, अन्यथा वित्तीय संस्थानों की आर्थिक स्थिति खराब होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और ब्रिटेन अलग-थलग पड़ जाएगा। इसमें ब्रिटेन का विश्वसनीय मित्र अमेरिका भी शामिल था। साल 2016 में ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय ने भी ईयू से अलग होने के नुकसान बता कर जब जनता पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की, तो इसे लोगों ने अपनी अलग पहचान के लिए चुनौती के रूप में लिया था। ब्रिटिश जन समुदाय का मानना था कि जो लोग चेतावनी दे रहे हैं, उनके देश से ज्यादा ईयू के साथ रहने में उनके व्यक्तिगत हित जुड़े हुए हैं। इसलिए ईयू में बने रहने पर संदेह बढ़ता गया और लोगों ने ईयू से अलग होने पर मुहर लगाई।

दुनिया में अप्रवासन को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। ब्रिटिश समाज भी इससे प्रभावित रहा है, विशेषकर परंपरावादी समाज के लिए ईयू के साथ रहना ब्रिटेन की संस्कृति, पहचान और राष्ट्रीयता के लिए चुनौतीपूर्ण समझा जाने लगा। दूसरे देशों से ब्रिटेन आकर बसने वालों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोग बहुत प्रसन्न नहीं हैं। इन सबके बीच यह भी महत्त्वपूर्ण है कि ब्रिटेन की व्यापारिक नीतियां स्वतंत्र होकर भी ईयू से ज्यादा अलग नहीं हो सकतीं। अंततः ईयू और ब्रिटेन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक समानताएं हैं और इनसे पूर्णतः अलगाव ब्रिटेन के लिए आत्मघाती हो सकता है। प्रधानमंत्री जॉनसन अपने देश की जनता के बहुमत का सम्मान करते हुए भले ही इसे नई सुबह बता रहे हों, लेकिन वे अपने सहयोगियों की उस उठती हुई आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें ब्रिटिश सांसदों ने कहा कि हम इस टीम में वापस आएंगे। उन्होंने यूरोप की एकता को महत्त्वपूर्ण बताया है।

बोरिस जॉनसन ने अपने देश की जनता के लिए इसे वास्तविक राष्ट्रीय पुनर्जागरण और बदलाव बताया है। यूरो के सामने पौंड की गिरती स्थिति भी ब्रिटिश जनता को नागवार गुजर रही थी। ब्रिटेन को लगता है कि ब्रेक्जिट के बाद वह अपने आपको मजबूत आर्थिक शक्ति बना सकता है। ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों ने ही उदारवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत का निर्माण किया था। इनमें एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस उल्लेखनीय हैं। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सदैव अपने हितों के लिए कार्य करता है। इन विद्वानों ने बाजारवादी अर्थव्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा कि बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा एक स्वाभाविक सामंजस्य उत्पन्न हो जाता है और मुक्त व्यापार सभी के लिए लाभकारी है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन की नींव यूरोपीय देशों में आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए रखी गई थी। अब ब्रिटेन स्वयं उससे अलग हो गया है। बहरहाल, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का अलग होना यूरोप के राजनीतिक और आर्थिक भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती है।

पीढ़ियों की पीड़ा

राज वाल्मीकि

दुनिया मेरे आगे

कुछ दिन पहले मैं अपने एक मित्र के घर था, तो इस बीच उनके बेटे ने कहा- 'पापा, कृपया और तनाव मत दीजिए! पहले से ही बहुत तनाव है!' मित्र ने कहा- 'मैं तो सिर्फ तुमसे पढ़ने को ही कह रहा हूं। बारहवीं की परीक्षा सिर पर है और तुम हो कि हर वक्त लैपटॉप और स्मार्टफोन में घुसे रहते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते हो। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मुश्किल हो जाएगा। और फिर क्या मुंह दिखाएंगे हम पड़ोसियों और रिश्तेदारों को? तुमने कभी सोचा है?' मैंने मित्र को समझाने की कोशिश की कि इस तरह नहीं डांटते। प्यार से एक दोस्त की तरह समझा देना चाहिए। वे बोले कि आप नहीं जानते... प्यार से ये और बिगड़ जाएगा!

दरअसल, दो पीढ़ियों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। दोनों पीढ़ियां एक दूसरे पर यह आरोप-प्रत्यारोप लगाती रही हैं कि वे हमें और हमारी भावनाओं को नहीं समझते। युवा पीढ़ी को लगता है कि उनके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार पुरातनपंथी हैं, रूढ़िवादी हैं, लकीर के फकीर हैं और उन्हें समझ नहीं है। वे युवा पीढ़ी की भावनाओं को नहीं समझते। वे अनजाने में उनकी प्रगति में रुकावट उत्पन्न करते हैं। माता-पिता वाली पीढ़ी का कहना होता है कि आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं... हमें गंभीरता से नहीं लेते। जबकि हमने दुनिया देखी है। दूसरी ओर, युवा पीढ़ी अगर माता-पिता, परिवार वालों या रिश्तेदारों के सामने कोई रोमांटिक गाना बजाएं और डांस करने लगें तो उन्हें कहा जाएगा कि 'तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है या नहीं!' युवा पीढ़ी कहती है कि ऐसे संस्कार जो हमारी मौज-मस्ती में बाधा बनें, उनकी हमें अनिवार्य रूप से जरूरत क्यों हो!

बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, तब उनका परिवार ही सबसे पहला स्कूल होता है। आज एकल परिवारों का जमाना है। माता-पिता अक्सर कमाने में लगे होते हैं और घर से बाहर रहते हैं। आमतौर पर दादा-दादी भी उनके साथ नहीं होते। उनकी परवरिश या तो घरेलू सहायिका के सहारे होती है या उन्हें छात्रावासों में डाल देते हैं। माता-पिता बच्चे को ट्यूशन भी लगा देते हैं, पर उन्हें अपना समय नहीं दे पाते। इसलिए माता-पिता का बच्चों पर जो प्राकृतिक प्यार होता है वह उन्हें नहीं मिल पाता। यही कारण है कि बड़े होने पर उनमें भी दादा-दादी और माता-पिता के प्रति वह आदर-सम्मान नहीं रह जाता, जो होना चाहिए।

कुछ समय पहले संवेदनहीनता की दिल दहला देने वाली कुछ खबरें आई थीं। एक बेटे ने अपनी बूढ़ी मां की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि वे हरदम बीमार रहती थीं। इसी प्रकार बेटी के किसी व्यक्ति से संबंध को लेकर सवाल करने भर से बेटी ने मां को मार डाला। इस तरह की खबरें पढ़-सुन कर दुख होता है। खुद गीले में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाने वाली, खुद भूखे रह कर भी बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करने वाली मां के साथ कोई इस तरह की ज्यादती कैसे कर सकता है। इसी प्रकार, संपत्ति विवाद में बेटे अपने पिता की हत्या कर या करवा देते हैं। जो पिता बच्चे की अंगुली पकड़ कर चलाना सिखाता है, अपने दुख-सुख की परवाह न करके अपनी संतान को यथासंभव सुख देने का हर संभव प्रयास करता है, उसकी क्यों हत्या कर या करवा दी जाती है! अक्सर युवा अपने बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करने लगते हैं और कई तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं।

युवाओं के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब वे खुद को सर्वाधिक बुद्धिमान और अपने माता-पिता को बुद्धिहीन समझते हैं। उन्हें लगता है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट, ऑनलाइन खरीदारी, ईमेल, यू-ट्यूब और स्मार्टफोन के जमाने में उनके माता-पिता बहुत पिछड़े हुए हैं। उन्हें जीने का सलीका नहीं है! उनके माता-पिता में ज्ञान की कमी है इसलिए ज्ञान प्राप्त करने 'गूगल गुरु' की शरण में चले जाते हैं। गूगल उन्हें सूचनात्मक ज्ञान तो दे देता है पर व्यावहारिक ज्ञान तो माता-पिता और दादा-दादी या नाना-नानी जैसे बुजुर्ग ही प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, देखने में यह भी आता है कि माता-पिता अपनी युवा पीढ़ी को 'बिगड़ने' से बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही सख्त हो जाते हैं। वे उन्हें परंपराओं के दायरे से बाहर नहीं निकलने देते। उनके प्यार में भी जाति-कुल-गोत्र की दीवारें खड़ी कर देते हैं। उन्हें अपने बच्चों की खुशियां नहीं, अपनी आन-बान और शान ज्यादा प्यारी होती है। उन्हें डर होता है कि हमारी संतान हमारी नाक न कटा दे।

इस तरह दोनो पीढ़ियों की अपनी-अपनी पीड़ा है। इसके लिए वे एक दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में सामंजस्य स्थापित करना ही एकमात्र विकल्प होता है। दोनों पीढ़ियों को अपने-अपने दायरे से बाहर आकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करना ही सबसे बेहतर उपाय है। अपने विचारों की कट्टरता को त्याग कर या उसे लचीला बना कर एक दूसरे की भावना को जगह देकर उनमें बेहतर संतुलन बनाने में ही समझदारी है।

भरोसे पर संकट

साठ साल पुरानी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी जीवन बीमा निगम यानी एलआइसी का सफर शानदार रहा है। भारत के बीमा बाजार में एलआइसी का सत्तर फीसद से ज्यादा पर कब्जा है। सरकार जब भी मुश्किल में फंसती है तो एलआइसी किसी भरोसेमंद दोस्त की तरह सामने आई। इसके लिए एलआइसी ने खुद भी नुकसान झेला। वर्तमान बजट में वित्त मंत्री ने 2.1 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। इनमें से एलआइसी और आइडीबीआइ से नब्बे हजार करोड़ रुपए हासिल करने की योजना है। सन 1956 में जब भारत में जीवन बीमा से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों के राष्ट्रीयकरण के लिए एलआइसी कानून लाया गया था, तब इसका अंदाजा कम ही लोगों को रहा होगा कि एक दिन संसद में इसकी बिक्री का प्रस्ताव लाए जाने की नौबत आ जाएगी।

सन 2015 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) के आइपीओ के वक्त भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1.4 अरब डॉलर की रकम लगाई थी। चार साल बाद जब खराब कर्जों से जूझ रहे आइडीबीआई बैंक को उबारने की बात आई तो एलआइसी ने एक बार फिर अपनी झोली खोल दी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और सरकार एलआइसी में सौ फीसदी की अपनी हिस्सेदारी को कम करना चाहती है! यानी सरकार अब तक एलआइसी का इस्तेमाल दूसरों को बेचने में करती थी अब उसे ही बेचने जा रही है। सरकार हिस्सेदारी बेचने के लिए आइपीओ का रास्ता अपनाने जा रही है।

यों अभी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि सरकार कितने फीसदी शेयर आइपीओ के जरिए बाजार के हवाले करेगी। अगर सरकार एलआइसी में पचास फीसद से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है तो इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंधन और बड़ी हिस्सेदारी सरकार के पास ही रहेगी। बीमा बाजार में 30 नवंबर, 2019 तक एलआइसी की हिस्सेदारी 76.28 फीसद थी। 2019 के वित्तीय वर्ष में एलआइसी को 3.37 खरब रुपए की कमाई ग्राहकों से मिलने वाले प्रीमियम से हुई, जबकि 2.2 खरब रुपए निवेश से रिटर्न के रूप में मिले। प्राइवेट कंपनियों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद ये आंकड़े मायने रखते हैं। लेकिन 'भरोसे का प्रतीक' मानी जानी वाली सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के पिछले पांच साल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए दोगुने स्तर तक पहुंच गए हैं।

दरअसल, एलआइसी की यह हालत इसलिए हुई है कि जिन कंपनियों में उसने निवेश किया था, उनकी माली हालत बेहद खराब हो गई और कई कंपनियां तो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघ ने हालांकि आइपीओ लाने के सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है और सरकार के कदम को जनहित के खिलाफ बताया है, क्योंकि एलआइसी की तरक्की बीमा धारकों और एजेंटों के भरोसे और समर्पण का विशुद्ध नतीजा है। सरकार को एलआइसी का आइपीओ लाने से पहले एलआइसी कानून में भी संशोधन करना होगा। एलआइसी एक्ट की धारा 37 कहती है कि एलआइसी बीमा की राशि और बोनस को लेकर अपने बीमाधारकों से जो भी वादा करती है, उसके पीछे केंद्र सरकार की गारंटी होती है। जबकि निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों को यह सुविधा हासिल नहीं है। शायद यही वजह है देश का आम आदमी बीमा कराते वक्त एलआइसी के विकल्प पर एक बार जरूर विचार करता है। फिलहाल बीमा क्षेत्र सरकार के इस फैसले से उलझन में है।

● *निवेदिता मलिक, जीडीएम कॉलेज, मोदीनगर*

नारों से आगे

कहा जाता है कि हमारे यहां बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा, ज्ञान और कौशल के बीच किसी प्रकार का तालमेल क ा न होना। बच्चे परंपरा का पालन करते हैं। प्रत्येक वर्ष लाखों शिक्षार्थी डिग्री प्राप्त करते हैं, जिनका व्यावसायिक बाजार में कोई मांग ही नहीं है। इसलिए दसवीं और बारहवीं के बाद अभिभावक अपने बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तरफ रुझान को मोड़ने में रुचि लें। लेकिन इसके लिए भी आधार का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्या हमारे स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर सरकार गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुलभ करा पा रही है? क्या पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हैं? क्या स्कूलों की आधारभूत संरचना मजबूत है?

मेरे खयाल से नहीं है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू जरूर है, मगर इसे घर-घर तक हम पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए हैं। किसी भी सरकार को अगर देश का भविष्य संवारना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा निवेश करने की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं हो रहा है। इसी से रोजगार और स्वरोजगार के दरवाजे अपने आप खुलेंगे। केवल नारा लगाकर और घोषणा करके कुछ नहीं होने वाला।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

सियासत में शुचिता

राजनीति में नीति को बनाए रखने के लिए इसका शुचितापूर्ण होना आवश्यक है। इसके लिए यह जरूरी है कि सबसे छोटे स्तर से लेकर देश की संसद तक ईमानदार और बेदाग छवि वाले प्रतिनिधि चुने जाकर पहुंचे। न्यायपालिका, विधायिका और चुनाव आयोग अपने सम्मिलित प्रयासों से राजनीति को अपराध मुक्त बनाने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। जनता का जागरूक और शिक्षित होना भी बहुत आवश्यक है। मतदान को अनिवार्य बना जाकर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों को पार्टी टिकट से वंचित करके राजनीति को काफी हद तक साफ सुथरा बनाया जा सकता है।

● *ललित महालकरी, इंदौर*

निंदनीय बयान

पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच हाल ही में एक भाजपा सांसद का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिया गया बयान निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा किए गए कार्यों और जीवन को देश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में सराहा गया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हीं की प्रेरणा लेकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता अभियान चलाने की बात करते हैं। दूसरी ओर, कुछ राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी घटिया सोच के साथ महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। यह देश की जनता के लिए भी अपमानजनक है।

● *पूनम चंद सीरवी, कुक्षी, मध्यप्रदेश*

www.readwhere.com

सुरक्षित सीटों पर क्या सुधरेगा भाजपा का रेकॉर्ड

आशीष दुबे

दिल्ली चुनावी समर में पूरे दमखम से उतरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए राजधानी की सुरक्षित विधानसभा सीटों पर लोगों को विश्वास में लेने की चुनौती होगी। अन्य राजनैतिक दलों के मुकाबले सबसे अधिक समर्थकों का दावा करने के बावजूद, भाजपा का दिल्ली की ऐसी एक दर्जन सीटों का पुराना अनुभव सुखद नहीं रहा है। इन विधानसभा सीटों पर पार्टी अभी तक दो से अधिक प्रत्याशियों की जीत दर्ज नहीं करा पाई है। केवल 1993 में हुए पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 49 सीटें जीती थी। तब पार्टी के दिग्गज मदन लाल खुराना दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी इन सीटों पर जीत दर्ज के लिए पूरे दमखम से जुटी है लेकिन 11 फरवरी के नतीजे सफलता तय करेंगे।

2013 से पहले तक सुरक्षित विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का प्रभाव रहा। 2015 में झाड़ू की आंधी चली और उसने सभी सीटें जीती। खास बात यह है कि परिसीमन से पहले दिल्ली में कुल 13 सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र थे, जिनकी संख्या परिसीमन के बाद 12 रह गई। राजनैतिक जानकारों के मुताबिक शुरुआत से ही इन विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की पैठ अंदर तक रही है। माना जा रहा है कि पूर्व में इन सीटों पर मजबूत

उम्मीदवार नहीं उतारे जाने का भी खामियाजा भाजपा को झेलना पड़ा। ऐसी सीटों में शामिल मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से कई बार एक ही प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस मर्तबा भी पार्टी ने इसी अपने पुराने सिपाही पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया है। सुरक्षित सूची में केवल करोलबार विधानसभा ही ऐसी सीट रही है, जहां से तीन बार भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अन्य कोई ऐसी सीट नहीं है, जहां भाजपा प्रत्याशी लगातार दूसरी बार जीती है। 1993 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 13 सुरक्षित सीटों में से पांच पर जीत दर्ज की थी। 2013 विधानसभा चुनाव के बाद इन सीटों पर कांग्रेस की पकड़ भी कमजोर हुई। तब कांग्रेस को केवल सुल्तानपुर विधानसभा सीट पर जीत बरकरार रखी थी, जो 2015 में आप की आंधी में उसके साथ से निकल गई। फिलहाल सभी 12 विधानसभा सीटों पर आप के विधायक हैं।

दिल्ली विधानसभा में त्रिलोकपुरी, सीमापुरी, पटेल नगर, मंगोलपुरी, मादीपुर, कोंडली, करोल बाग, देवली, अंबेडकर नगर, गोकलपुर, बवाना, सुल्तानपुर माजरा, कुल 12 सुरक्षित सीटें हैं। जानकार बताते हैं कि विगत लोकसभा चुनाव के पहले से भाजपा ने आरक्षित सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की शुरुआत कर दी थी। सभी लोकसभा सीटें जीतने के बाद दिल्ली विधानसभा 2020 इस रणनीति की तकाजा तय करेगी। हालांकि मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी, करोलबाग, पटेल नगर आदि सीटों पर कार्यकर्ताओं ने खासी मेहनत की है। माना जा रहा है अमित शाह, जेपी नड्डा के बाद पूर्वी दिल्ली में सोमवार हुई प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा पार्टी की उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसे आरक्षित सीटों के नतीजे में सुधार लाने के लिए अपनाया गया है।

बड़े नेताओं के निकलने से बसपा गई हाशिए पर?

अमलेश राजू

दिल्ली में भले ही कभी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) का सांसद नहीं जीत पाया लेकिन यहां की दो विधानसभा क्षेत्रों गोकलपुर और बदरपुर में विधायक रहे सुरेंद्र कुमार और राम सिंह नेताजी के साथ एकीकृत दिल्ली नगर निगम में बसपा के 17 निगम पार्षदों की मौजूदगी उसे दिल्ली में विपक्षी राजनीतिक दलों की श्रेणी में ला खड़ा किया था।

संस्थापक कांशीराम ने इस पार्टी को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए जितनी मेहनत की, कार्यकर्ताओं के घर-घर जाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में अपनी गहरी पैठ बनाई शायद उतनी मेहनत कांशीराम के देहावसान के बाद उत्तरप्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों में मायावती नहीं कर पाई। यही कारण है कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी पार्टी इस समय पूरे देश में सिवाय कुछ सीटें हासिल करने के अलावा खास असर नहीं छोड़ पा रही है। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में पांच विधायकों के साथ पार्टी मजबूत स्थिति में थी।

अकाली दल से समझौते के बाद तो बसपा के तीन सांसद और नौ विधायक पंजाब में रहे। हरियाणा में सांसद रहे अमन कुमार नागरा ने अंबाला से तब से मंत्री सुरजभान को हराया था। कभी मध्यप्रदेश में 11 विधायक, बिहार में एक विधायक, उत्तराखंड में कभी आठ, पांच और तीन विधायक, कर्नाटक में दो विधायक, झारखंड और आंध्रप्रदेश में एक-एक विधायक और राजस्थान में मौजूदा विधानसभा में भी छह विधायक जीते और बाद में कांग्रेस में शामिल होकर पार्टी के मतदाताओं के सामने एक प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया कि पार्टी आखिर क्यों दिन प्रति दिन अपना वजूद खोती जा रही है।

राजधानी दिल्ली में 2008 में बसपा कभी दो विधायक के साथ विधानसभा में मौजूदगी ही दर्ज नहीं कराई थी बल्कि नरेला, बाबरपुर, बादली, देवली और तुगलकाबाद जैसे इलाके में दूसरे नंबर पर रहकर यह आभास कराया था कि आने वाले समय में पार्टी अपनी स्थिति ज्यादा मजबूत कर लेगी। लेकिन समय का करवट ऐसे बदला कि दिल्ली में बसपा सांसद वीर सिंह, राजाराम और अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदारियां देने के बाद भी मौजूदा विधानसभा चुनाव में पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में आने की उम्मीद नहीं रख रही है। दिल्ली में 2003 विधानसभा चुनाव में बसपा ने पहली बार जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा था और 9 फीसद वोट पाकर भले ही कोई सीट जीत नहीं पाई लेकिन तीन विधानसभा विधानसभा क्षेत्रों गोकुलपुर, घोंडा और मंगोलपुरी में दूसरे नंबर पर आई।

वह दौर था 2008 का जब बसपा अध्यक्ष मायावती देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थीं और बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2008 में उत्तर प्रदेश के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्धकी और चौधरी लक्ष्मी नारायण को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पश्चिमी उत्तर के दलित नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाला था। बसपा ने दिल्ली में पहली बार सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला भी अपनाया और मेहनत रंग लाई।

गोकुलपुर से चौधरी सुरेंद्र कुमार और बदरपुर से राम सिंह नेताजी सिंह ने जीत हासिल की, वहीं पांच विधानसभा

- बसपा के संस्थापक कांशीराम ने इस पार्टी को देश के कोने-कोने में पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की।
- दिल्ली नगर निगम में बसपा के 17 निगम पार्षदों की मौजूदगी ने उसे दिल्ली में विपक्षी राजनीतिक दलों की श्रेणी में ला खड़ा किया।
- राजधानी दिल्ली में 2008 में बसपा ने दो विधायक के साथ विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी।
- दिल्ली में 2003 विधानसभा चुनाव में बसपा ने पहली बार जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा था और 9 फीसद वोट पाई।

सीटों देवली, तुगलकाबाद, बादली, बाबरपुर और नरेला में दूसरे नंबर पर आई।

दिल्ली में अनुसूचित जाति की आबादी 17 फीसद है। मुसलिम समाज की आबादी 12 फीसद। बावजूद इसके बसपा के खाते में अब वोट नहीं पड़ता। पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया। कभी चौधरी ब्रह्म सिंह, राम सिंह नेताजी, सुरेंद्र कुमार, सहीराम पहलवान, सुरजीत सिंह, संजय कुमार, शरद चौहान जैसे नेताओं से बसपा दिल्ली के हर इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती थी। लेकिन समय ने करवट बदली और ब्रह्म सिंह भाजपा में सहीराम, सुरेंद्र कुमार, रामसिंह नेताजी, शरद चौहान आप में चले गए और विधायक बने और कुछ बनते रह गए। बसपा के पूर्व निगम पार्षद प्रियंका गौतम और वर्तमान जयप्रकाश ने भी बसपा छोड़ दी है।

बहरहाल, बीते साल दिल्ली में देवली पहाड़ी महाआंदोलन और गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद की पुनर्स्थापना के लिए दो बड़े आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी को अवश्य आगे आकर नेतृत्व करना पड़ा लेकिन दिल्ली के मौजूदा विधानसभा चुनावों में 68 सीटें लड़ाने वाली पार्टी को अभी भी अपने वजूद के लिए और साख बचाने के लिए दिल्ली सहित पूरे देश में स्थानीय कार्यकर्ताओं को आगे कर, परंपरागत कार्यशैली में सुधार करते हुए छात्र, अधिवक्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, पूर्व सैनिक और कर्मचारियों के संगठन तैयार करने होंगे। उनके प्रकोष्ठ बनाने होंगे तभी एक बार फिर पार्टी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकती है।

बहुमत के आंकड़े भेदना ही सबका लक्ष्य

पंकज रोहिला

देश नागरिकता कानून लागू होने का सबसे बड़ा असर दिल्ली के चुनावी दंगल पर साफ नजर आ रहा है। इस घमासान ने पूरे चुनाव को दो बड़े धड़ों में खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी, भाजपा व कांग्रेस सीटों संख्या का आंकड़ा छोड़कर अब चुनावी मैदान में केवल बहुमत मिलने का दावा कर रहे हैं। दलों की नजर 10-12 फीसद मत पर है, जिसने बहुमत के आंकड़ों को चौंकाने वाला बनाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शाहीन बाग से शुरू हुई गतिविधियों को सीधे राजनीति से जोड़ा है। यह इशारा ही पूरे घमासान में शांत मतदाता की अशांति की ओर इशारा कर रह है। इस ताजा समीकरण को ही भाजपा अपने बहुमत का आधार मान रही है। यही वजह है कि पार्टी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटी विधानसभा क्षेत्रों में आक्रामक अंदाज में प्रचार कर रहे हैं।

वहीं आम आदमी पार्टी इस चुनाव में बिजली की राहत को एक बड़ा कार्ड मानकर चुनावी मैदान में है। इसका असर पार्टी की हर चुनावी सभा में नजर आ रहा है पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी बहुमत के आंकड़े

दिल्ली की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनता पिछला रेकार्ड तोड़ने की तैयारी में है। हम बहुमत से सरकार बनाएंगे।

आम आदमी पार्टी का सच जनता के सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल की नफरत भरी बातें लोगों को याद है और आप से परेशान हैं। जनता भाजपा को वोट दे रही है। हम बहुमत से सरकार बनाएंगे।

पंद्रह साल में कांग्रेस ने दिल्ली के विकास के लिए काम किया है। कांग्रेस के विकास के लिए ही दिल्ली वाले मत देंगे।
-सुभाष चोपड़ा

को लेकर संतुष्ट हैं लेकिन रेकार्ड 67 सीट के बाद यह आंकड़ा क्या होगा...यह उनकी सभाओं से भी साफ निकल कर नहीं आ रहा है। हालांकि टाउन हाल मीटिंग के दौर में सभी सीट पर विजयी होने का दावा किया था।

अप्रत्याशित लोकसभा व निगम चुनाव है रणनीति बदलने की वजह

अप्रैल 2017 में दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए थे। इन चुनाव में भी भाजपा, कांग्रेस व आप प्रमुख पार्टियां थीं। इस चनुाव में भाजपा को 54 फीसद मत मिले थे और निगम में भाजपा ने सत्ता हासिल की थी। इस चुनाव में आप पार्टी को 26 व कांग्रेस को 21 फीसद वोट मिले थे। वहीं लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली की सात सीट पर चौंकाने वाले परिणाम सामने आए थे। आप पार्टी व कांग्रेस पार्टी को किसी लोकसभा सीट पर बढ़त नहीं मिली थी और भाजपा ने सातों सीट पर जीत दर्ज की थी।

इस चुनाव में भी भाजपा को एमसीडी की तुलना में दो फीसद वोट अधिक मिले थे। भाजपा का मत प्रतिशत बढ़कर 56.54 फीसद हुआ था। वहीं कांग्रेस 22.46 व आप पार्टी को 18 फीसद वोट मिले थे।

पूर्वांचली मतदाताओं की भूमिका रहेगी महत्त्वपूर्ण

प्रतिभा शुक्ल

दिल्ली की राजनीति में भले ही पूर्वांचली मतदाता निर्णायक की भूमिका में आ गए हैं, 70 विधानसभा सीटों में से करीब 27 सीटों पर इनके वोट अहम भूमिका निभाने वाले हैं, इनके चलते नए राजनीतिक गठबंधन बनने लगे हैं और इन्हें लुभाने के लिए बिहारी उम्मीदवारों पर पार्टियां दांव लगा रही हैं लेकिन कड़वा सच यह है कि आज तक पूर्वांचलियों का केवल मतदाता समूह के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया है। एक दबाव समूह के रूप में आज तक उनको नहीं देखा गया। अगर ऐसा नहीं होता तो इनके बेहतरी के लिए काम किए जाते। इनके पढ़ाई, कमाई, रहने-सहने व दवाइयों के बेहतर इंतजाम किए जाते। इनकी संस्कृति को उचित जगह व पहचान दी जाती। बहरहाल राहत की बात तो यह है कि धीरे- धीरे ही सही उस दिशा में बढ़ा जा रहा है।

दिल्ली की चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हर पार्टी दिल्ली में पूर्वांचली मतदाताओं को रिझाने में लगा है। इस चुनाव में भी सभी दल प्रवासियों को साधने में लगे हैं। भाजपा ने मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया ही है आठ पूर्वांचलियों को टिकट भी दिया है। आप ने गोपाल राय को प्रदेश संयोजक व चुनाव प्रभारी संजय सिंह को बनाया हुआ है साथ ही 10 पूर्वांचलियों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी कीर्ति आजाद को प्रचार समिति समिति का अध्यक्ष बनाया है। हालांकि पूर्वांचली चेहरा महाबल मिश्र पार्टी से निकाल दिए गए हैं।

विकासशील समाज अध्ययन केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दिल्ली में करीब 30 फीसद पूर्वांचली मतदाता हैं। इस लिहाज से 27 अहम सीटों में बुराड़ी में 27 फीसद, नांगलोई में 32, मटियाला में 20, विकासपुरी में 28, उत्तमनगर में 30, नजफगढ़ में 21, द्वारका में 23, बादली में 26, मादीपुर में 24, किराड़ी में 29, देवली में 31, तुलगलकाबाद में 24, त्रिलोकपुरी में 38 और अंबेडकर नगर व संगम विहार में 26- 26 फीसद मतदाता पूर्वांचली हैं। इसी तरह करावल नगर, घोंडा, पटपड़गंज, कोंडली, रोहतास नगर, सीलमपुर, लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर व शाहदरा व सीलमपुर में 20 से 35 फीसद के बीच पूर्वांचली मतदाता हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि ये इलाके वे हैं जो आमतौर से

कीर्ति आजाद

गोपाल राय

आर्थिक व सामजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां भी हैं। जहां बिजली पानी जैसी बुनियादी जरूरत की सेवाएं भी आधे अधूरे ढंग से बामुश्किल मयस्सर हैं। अवैध कॉलोनियां होने की वजह से भी यहां के रहवासी कभी दवाब बनाने में कामयाब नहीं हुए। राजनीतिक पार्टियां केवल चुनाव के समय इनको नियमित करने का वादा भर करती रहीं। कभी इलाज की जरूरत पर तो कभी दाखिल के समय इनको बाहरी बता दिया जाता है। सामाजिक चिंतक गोविंदाचार्य ने कहा कि पूर्वांचलियों के इस समूह में अगड़े तो नौकरियों व संस्थानों में आए पर बहुसंख्यक वर्ग, पिछड़े तबके व युवा पढ़ाई व रोजगार की तलाश में। वे मजदूर, फैक्ट्री कामगार व सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी व घरेलू सहायकों के तौर पर या छोटे-मोटे स्वरोजगार के जरिए अपने पांव टिकाने में लगे। लिहाजा वे यहां किसी दल को नाराज या खुश करने की बजाय अपनी जीविका में लगे। कभी उनके बीच का भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ा तो वे उसके पीछे जाने के बजाय अपने राज्यों के क्षेत्रीय दलों से ही जुड़े रहे। यहां के मूल बाशिंदों ने इनके साथ अलगाव वाला बर्ताव रखा इसलिए वे सांस्कृतिक रूप से एकजुट हुए। इसी वजह से वे छठ पूजा आयोजित करवाने व घाट बनवाने में तो सफल हुए पर पढ़ाई, नौकरी, जीविका व बुनियादी जरूरतों के लिए कभी दबाव समूह के तौर पर खड़े नहीं हो सके। लेकिन धीरे-धीरे ही सही उनके बीच राजनीतिक चेतना आ रही है यही वजह है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की गई।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर व सामजिक चिंतक प्रो आनंद कुमार का कहना है कि पूर्वांचलियों के लिए भोजपुरी अकादमी व मिथिला अकादमी जैसे सांस्कृतिक महत्व के कदम तो उठाए गए। पर दूसरे मोर्चे पर रोजमर्रा के सवालों पर लेकर दबाव नहीं बना तो उनपर कभी गौर नहीं किया गया। अभी भी दिल्ली में इतने विश्वविद्यालय होने के बाद भी मिथिला या भोजपुरी भाषा जैसे विभाग नहीं खुल पाए।

दिल्ली में एक दशक पहले पूर्वांचली के तौर पर उनको राजनीतिक अगुवाई का कोई विकल्प भी नहीं था। कुछ सालों में खास कर आम आदमी पार्टी के उदय के बाद से सभी दलों के लिए पूर्वांचली मतदाताओं की मौजूदगी स्वीकार करना मजबूरी बन गया। भाजपा ने भी पार्टी में पूर्वांचली प्रतिनिधित्व देकर वजन डाल दिया।

दिल्ली के दंगल में राम ही राम

सुशील राघव

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान होगा। इस दौरान हर पार्टी और उम्मीदवार जीत के लिए अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। चुनाव मैदान में कुल 698 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 29 उम्मीदवारों के नाम से राम नाम जुड़ा हुआ है। इनमें चेत राम, राम चंदर, तिलक राम, देवानंद राम, नाथू राम, राम खेलावन, राम प्यारे, खुशी राम, गंगा राम, परशु राम, तेज राम, मुखराम, राम निवास, राम सिंह, जय राम, राम भरोसे, चंद राम, रंजीत राम, आशा राम, बाबू राम, राम गुलाम, राम निवास, काली राम, रामभवन, सहीराम आदि शामिल हैं। यही वहीं इस बार चुनाव मैदान में अनिल नाम के ग्यारह, विजय नाम के नौ, रमेश नाम के आठ और दीपक, शिव व मनीष नाम के सात-सात उम्मीदवार भी मौजूद हैं।

नई दिल्ली में सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में

पटेल नगर विधानसभा सीट पर सिर्फ चार उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। वहीं, नई दिल्ली में सबसे अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल सहित इस सीट से 28 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 11 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरे 698 उम्मीदवारों में से 148 उम्मीदवार निर्दलीय लड़ रहे हैं।
सदर बाजार विधानसभा सीट पर सोम दत्त नाम के तीन उम्मीदवार मैदान में है। एक आम आदमी पार्टी के तो दो निर्दलीय मैदान में हैं।

148 निर्दलीय उम्मीदवार

दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरे 698 उम्मीदवारों में से 148 उम्मीदवार निर्दलीय लड़ रहे हैं। इनके चुनाव निशानों में सीसीटीवी कैमरा, लैपटॉप, बाल्टी, पेन स्टैंड, चक्की, सेब, टॉर्च, गन्ना किसान, फूल गोभी, अनानाश, बैट, वैक्यूम क्लिनर, प्रेशर कूकर, हेलिकॉप्टर, कैंची, चाभी, ट्रैक्टर चलाता किसान, बांसुरी, ब्रश, जहाज आदि शामिल हैं।

तिलक नगर से खड़े हैं तीन जरनैल सिंह

सदर बाजार विधानसभा सीट पर सोम दत्त नाम के तीन उम्मीदवार मैदान में है। एक आम आदमी पार्टी के तो दो निर्दलीय मैदान में हैं। तिलक नगर से आठ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जिनमें से तीन के नाम जरनैल सिंह और तीन के नाम राजीव है।

इसी तरह करोल बाग सीट से गौरव नाम के दो, विकासपुरी से संजय नाम के दो, द्वारका से विनय नाम के दो, नजफगढ़ से अजीत नाम के दो, पटपड़गंज से राकेश नाम के दो, बादली से विजय नाम के दो, रोहिणी से राजेश नाम के दो, वजीरपुर से राजेश नाम के दो और नई दिल्ली से रमेश व राहुल नाम के दो-दो उम्मीदवार मैदान में हैं।

सबसे बड़ी पार्टी भी मैदान में

दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच लड़ाई है। इसके अलावा चुनाव मैदान में बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फोरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (एकी), शिव सेना और लोकजन शक्ति पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इन पार्टियों अलावा भी बहुत सी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं।

इनमें सबसे बड़ी पार्टी, टीपू सुल्तान पार्टी, दिल्ली जनता पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, स्वाभिमान पार्टी, जिंदाबाद क्रांति पार्टी, जन सेवक सहायक पार्टी, राष्ट्र निर्माण पार्टी, भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी, अखिल भारतीय जनशक्ति पार्टी, सत्य बहुमत पार्टी, असंख्य समाज पार्टी, राष्ट्रवादी जनता पार्टी, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी, स्वराज इंडिया, भारत लोक सेवक पार्टी, जनहित किसान पार्टी, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, न्याय पार्टी, राइट टू रिकॉल पार्टी, मजदूर किराएदार विकास पार्टी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक), आपकी अपनी पार्टी (पीपल्स), हिंदुस्थान निर्माण दल, नेशनल यूथ पार्टी, इंडियन प्रजा कांग्रेस, राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी, आम जनता पार्टी (सर्वजन हिताय), मजदूर एकता पार्टी, जनाधार नेशनल पार्टी, लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया, बालीराजा पार्टी, विश्व शक्ति पार्टी, भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी, पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस, विजय भारत पार्टी, जन आवाज विकास पार्टी, प्रोटिस्ट ब्लॉक इंडिया, परिवर्तन समाज पार्टी आदि भी शामिल हैं।

www.readwhere.com

भाजपा रोजगार की बात नहीं करती : राहुल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और आतंकवाद पर बात करते हैं पर देश के बेरोजगार युवाओं को रौजगार कैसे मिलेगी, इस पर बात नहीं करते। वहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बताने को तैयार नहीं हैं कि बीते सालों में देश के कितने युवाओं को रोजगार मिला। उन्होंने यह भी कहा कि देश भक्तों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। वे कभी देश भक्त नहीं हो सकते, जो दो हिंदुस्तानियों को लड़ाने की बात करते हैं। आज देश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं के बीच इस बात की चिंता है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं। यह सब कुछ प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गलत नीतियों का परिणाम है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का एक भी नेता बताए, जिसने पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हों। जंगपुरा से कांग्रेस उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह ने ऐसा किया है। उक्त बातें दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कही।

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की सरकार हो या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार–दोनों ही सरकारें अपना मार्केटिंग करना जानती हैं। यही कारण है कि आज दिल्ली में मुद्दों की बात नहीं की जा रही है। झूठ बोलकर सरकार बनाने वाले एक बार फिर से झूठे वादे कर सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में केवल 15 लोगों के 3.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया गया। देश में सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एलआइसी, आइडीबीआइ को बेचा जा रहा है। लाल किले बेचा जा चुका है। वह दिन दूर नहीं जब ताजमहल को भी बेच दिया जाएगा। दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया के कई देश भारत में निवेश करना चाहते हैं। उन्हें भरोसा है कि भारत के युवा मेड इन चाइना से टक्कर ले सकते हैं। मेड इन इंडिया की बात की जाती है पर युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि दुनिया भर में केवल भारत के प्रतिभाशाली युवा ही मेड इन चाइना से टक्कर लेने की क्षमता रखते हैं।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि देश में नफरत फैलाने वालों का कोई स्थान नहीं है। हिंदू, मुसलमान हो या फिर सिख किसी भी धर्म में हिंसा की बात नहीं कही जाती। पर देश में इस वक्त ऐसा महौल बना दिया गया है, जहां दो हिंदुस्तानियों को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। देश में गुंडागर्दी, हिंसा, हत्या और बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। यह हमारे देश का इतिहास नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी का लक्ष्य समाज में नफरत फैलाने का है। कांग्रेस ऐसा काम कभी नहीं करती।

राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में 15 साल के शासनकाल के दौरान कांग्रेस ने मेट्रो का निर्माण करवाया। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण करवाया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि यदि सत्ता में आए तो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्य प्रदूषण को कम करने के लिए बजट का 25 फीसद हिस्सा खर्च किया जाएगा। 15 हजार इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। न्याय योजना के तहत दिल्ली के पांच लाख बीपीएल परिवार को हर साल 72000 रुपए दिए जाएंगे। बुजुर्गों को पांच हजार रुपए का पेंशन दिया जाएगा।

शाहीन बाग का हमलावर कपिल बैसला निकला आप कार्यकर्ता : पुलिस

जनसत्ता संवाददाता/भाषा
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि पिछले सप्ताह यहां शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल पर गोलियां चलाने वाला कपिल बैसला आम आदमी पार्टी (आप) का सदस्य है, जिसके बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर देश की सुरक्षा के साथ खेलने का आरोप लगाया। पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) राजेश देव ने कहा कि वह और उसके पिता 2019 के प्रारंभ में आप में शामिल हुए थे।

उन्होंने कहा कि उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और पुलिस ने उसके और उसके पिता के आप में शामिल होने के वाट्सऐप डाटा और तस्वीरें जुटाई हैं। पुलिस ने बैसला की आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ तस्वीरें भी जारी कीं। हालांकि बैसला के परिवार ने पुलिस के दावे का खंडन किया। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने कपिल बैसला की पुलिस हिरासत मंगलवार को दो दिन के लिए बढ़ा दी। बैसला को शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान हवा में गोली चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि हवा में गोली चलाने की घटना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है जिसके बाद चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने बैसला की हिरासत की अवधि बढ़ाई।

आप पर प्रहार करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर देश की सुरक्षा के साथ खेलने का आरोप लगाया और कहा कि लोग आप को मुंहतोड़ जवाब देंगे। नड्डा ने कहा कि इससे आप और केजरीवाल का 'गंदा' चेहरा बेनकाब हो गया है जो देश की सुरक्षा के साथ खेल रहे हैं। नड्डा ने ट्वीट किया कि देश और दिल्ली के लोगों ने आज आम आदमी पार्टी का 'गंदा' चेहरा देख लिया।

कपिल बैसला के चाचा फतेह सिंह ने कहा, 'मुझे पता नहीं कि कहां से ये फोटो आ गए हैं। मेरे भतीजे कपिल का किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है और न ही मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का। मेरे भाई गजे सिंह (कपिल के पिता) ने 2008 में बहुजन समाज पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ा था और वह हार गए थे। उसके बाद हमारे परिवार में किसी का भी किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध ही नहीं रहा।' सिंह ने कहा कि कपिल का आप या किसी भी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ा कोई दोस्त नहीं है।

पुलिस ने जांच के लिए केवल एक ही दिन मिलने का हवाला देते हुए बैसला की चार दिन की रिमांड मांगी थी। जांच अधिकारी ने कहा, 'घटना के स्थान और समय से स्पष्ट है कि हथियार का प्रयोग एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जिसका खुलासा होना बाकी है। बैसला वाट्सऐप पर कई समूहों में जुड़ा था। किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका को देखते हुए इन समूहों के अन्य सदस्यों के बारे में उससे पूछताछ करनी है।' उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह सामने आया कि बैसला ने अपना वाट्सऐप अकाउंट किसी विशेष प्रयोजन से बंद किया था।

पुलिस ने कहा, 'अकाउंट को फिर से चालू कर अधिकतर डेटा प्राप्त कर लिया गया है। समय की कमी के कारण उसका विश्लेषण नहीं किया जा सका। अत्यधिक मात्रा में डेटा प्राप्त हुआ है और उससे जूझना पड़ेगा।' पुलिस ने कहा कि बैसला को उसके उस दोस्त के सामने पेश करने की भी आवश्यकता है जो उसे घटनास्थल तक लेकर गया था।

पुलिस ने कहा, 'घटना में शामिल होने को लेकर उसके दोस्त से लंबी पूछताछ की जा रही है। उसके दोस्त के मोबाइल में मौजूद डेटा की भी जांच की जा रही है। जांच अभी आरंभिक चरण में है। मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है जिसमें आरोपी से गहराई से पूछताछ करने की आवश्यकता है।' उन्होंने कहा, 'बैसला को उसके दोस्त के सामने पेश करने की जरूरत है। गोली चलाने का कारण पता चलना चाहिए। वह अपना बयान बदल रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। आरोपी को हथियार देने वाले की पहचान सुनिश्चित करना बाकी है। वह हथियार देने वाले की पहचान को लेकर लगातार अपना बयान बदल रहा है और एजंसी को गुमराह कर रहा

प्रधानमंत्री बताएं कि बेरोजगारी महज संयोग है या फिर प्रयोग : प्रियंका गांधी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि इस वक्त देश में बेरोजगारी का स्तर चरम पर है, यह महज संयोग है या फिर प्रधानमंत्री का प्रयोग। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं से वादा किया गया था कि हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पर कितने युवाओं को रोजगार मिला है। इसका कोई आंकड़ा सरकार पेश नहीं करती। बीते सालों में लगातार देश में रोजगार कम होते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सात औद्योगिक क्षेत्रों में 3.5 करोड़ नौकरियां कम हुई हैं। दूसरी ओर सरकार देश के बड़े उपक्रमों को बेचने में जुटी है। एअर इंडिया, एलआइसी, बीएसएनएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचा जा रहा है। प्रियंका गांधी दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में कांग्रेस उम्मीदवार पूनम आजाद झा समेत अन्य उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में पहुंची थी। इस दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद थे।

जीएसटी बिल वालों की खुलेगी लाटरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

ग्राहकों को सामान खरीदने पर बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते सरकार लाटरी योजना लाने जा रही है। इस माल व सेवा कर (जीएसटी) लाटरी योजना के तहत 10 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक का इनाम देने की पेशकश की जाएगी। ग्राहक, खरीदारी का जो बिल लेंगे, उसी के जरिए वे लाटरी जीत सकेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के सदस्य जान जोसफ ने कहा कि माल व सेवा कर (जीएसटी) के हरेक बिल पर ग्राहक को लाटरी जीतने का मौका मिलेगा। इससे ग्राहक कर चुकाने को प्रोत्साहित होंगे।

जोसफ ने उद्योग मंडल एसोचैम के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कह कि हम नई लाटरी प्रणाली लेकर आए हैं। जीएसटी के तहत हरेक बिल पर लाटरी जीती जा सकेगी। इसका ड्रा निकाला जाएगा। लाटरी का मूल्य इतना ऊंचा है कि ग्राहक यही कहेगा कि 28 फीसद की 'बचत' नहीं करने पर मेरे पास 10 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए जीतने का मौका होगा। यह ग्राहक की आदत में बदलाव से जुड़ा सवाल है। योजना के तहत खरीदारी के बिलों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। लाटरी ड्रा कंप्यूटर प्रणाली के जरिए अपने आप होगा। विजेताओं को इसकी सूचना दी जाएगी।

जीएसटी प्रणाली के तहत चार कर स्लैब 5, 12, 18 और 28 फीसद हैं। इसके अलावा विलासिता और अहितकर उत्पादों पर कर के ऊपर सबसे ऊंची दर से कर लगने के अलावा उपकर भी लगता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई वाली जीएसटी परिषद प्रस्तावित लाटरी योजना की समीक्षा करेगी। परिषद यह भी फैसला करेगी कि इस योजना के तहत न्यूनतम बिल की सीमा क्या हो। योजना के अनुसार लाटरी विजेताओं को पुरस्कार उपभोक्ता कल्याण कोष से दिया जाएगा। इस कोष में मुनाफाखोरी रोधक कार्रवाई से प्राप्त राशि को स्थानांतरित किया जाता है।

जीएसटी राजस्व में कमी की वजहों को दूर करने के लिए सरकार व्यापार से उपभोक्ता सौदों में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें लाटरी और क्यूआर संहिता आधारित लेन–देन को प्रोत्साहन देना शामिल है।

सेना ने सीमा पार नीलम घाटी में निगरानी चौकियां उड़ाईं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए कश्मीर के तंगधार, करनाह और गुरेज सेक्टरों के रिहाइशी इलाकों में अंधाधुंध गोलाबारी की। इसकी जद में आकर एक बुजुर्ग ग्रामीण की मौत हो गई व चार लोग घायल हो गए। इस जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई की और नियंत्रण रेखा के पार नीलम घाटी में आतंकी लांचिंग पैड व पाकिस्तानी सेना की दो निगरानी चौकियां उड़ा दीं। इसके बाद कुछ देर के लिए पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी रोक दी गई। लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों और से रुक–रुक कर गोलाबारी शुरू हो गई। खबर लिखे जाने तक तीनों सेक्टरों में गोलाबारी जारी रही। गोलाबारी के मद्देनजर बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षा शिविरों व बंकरों में ले जाया गया है।

पाकिस्तानी सेना ने सोमवार रात से ही तंगधार, करनाह और गुरेज सेक्टर में भारतीय नागरिक व सैन्य ठिकानों पर भारी गोलाबारी करनी शुरू कर दी। इसमें तंगघार सेक्टर में 60 साल के एक ग्रामीण की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के अग्रिम छोर पर नीलम घाटी में स्थित एक आतंकी लांचिंग पैड के साथ पाकिस्तानी सेना के दो निगरानी मोर्चे भी तबाह कर दिए। इस बीच प्रशासन ने पाकिस्तानी गोलाबारी को देखते हुए स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षा शिविरों व बंकरों में ले जाया गया है।

सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना ने दोपहर बाद जिला कुपवाड़ा में एलओसी के साथ सटे करनाह, तंगधार और बांदीपोरा में गुरेज सेक्टर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों ने सबसे पहले करनाह सेक्टर में जियारत, ठंड और अमन सिंह टेकरी चौकियों के दायरे में आने वाले सैन्य व नागरिक ठिकानों पर तोप और मोर्टार के गोले दागे। सेना ने पहले संयम बनाए रखा, लेकिन जब गोलाबारी की तीव्रता बढ़ने लगी तो जवानों ने भी पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।

शाम करीब चार बजे पाकिस्तानी सैनिकों ने करनाह व तंगधार सेक्टरों में भी गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सैनिकों ने टाड गांव में नागरिक ठिकानों पर भीषण गोलाबारी की। इसमें 60 साल के ग्रामीण सलीम अहमद की मौत हो गई और चार अन्य लोग जख्मी हो गए। टाड और उसके साथ सटे इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों ने निकटवर्ती सुरक्षा शिविरों में शरण ले ली है। टाड में ग्रामीण की मौत के बाद भारतीय जवानों ने नीलम घाटी में पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों को निशाना बनाया, जहां से गोलाबारी हो रही थी। इसमें नीलम घाटी में बने एक आतंकी लांचिंग पैड और पाकिस्तानी सेना के दो निगरानी मोर्चे को भी नुकसान पहुंचाया है। इसमें पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचने की सूचना है, लेकिन अधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

भारत की जवाबी कार्रवाई से हुए नुकसान से बौखलाए पाकिस्तानी सैनिकों ने शाम साढ़े छह बजे पंथ चौकी और उसके साथ सटे नागरिक इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना की लोसर–1 चौकी को निशाना बनाते हुए गोलाबारी की। यहां भी पाकिस्तान को भारी नुकसान होने का अनुमान है।

कर्नल को पांच साल की सश्रम कैद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

सेना के कर्नल को एक जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने पांच साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, नौकरी से हटाते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कुछ ठेके देने में भ्रष्टाचार के आरोप साबित होने पर कर्नल का कोर्ट मार्शल किया गया है। गुवाहाटी के नारंगी सैन्य अड्डे पर स्टेशन स्टाफ अफसर के रूप में तैनात सजा पाने वाले कर्नल वीपीएस नरूला को आठ मामलों में दोषी पाया गया। इनमें से पांच मामले भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दायर किए गए थे। एक मामला सेना के साथ धोखाधड़ी करने और दो मामले सेना के मजदूरों को निजी नौकर के रूप में इस्तेमाल करने के थे।

कोर्ट मार्शल जीओसी 101 एरिया शिलांग में किया गया। इसकी कार्यवाही पिछले साल 15 नवंबर से शुरू हुई, जो मंगलवार (चार फरवरी) तक चली। इस मामले की सुनवाई के दौरान 41 सब एरिया के डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर राजवंत सिंह और चार अन्य कर्नल प्रेसाइडिंग अफसर थे। सेना के एक पूर्व जज एडवोकेट जनरल रिटायर कर्नल विरेंदर सिंह इस मामले में सेना के वकील थे।

बजट पर भ्रम फैलाने की नाकाम कोशिश : मोदी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पार्टी सांसदों से कहा कि कुछ लोगों ने बजट पर भ्रम फैलाने की कोशिश की लेकिन जनता भ्रमित नहीं हुई और सबको समझ में आ गया है कि बहुत अच्छा बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां तक कि अब आलोचकों ने भी यह स्वीकार किया है कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में बजट सर्वश्रेष्ठ है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में बोडो समझौते को बहुत महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक बताया और कहा कि पहले की सरकारों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया था।

प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर की ब्रू जनजातियों को असम में बसाने को लेकर जानकारी दी

भाजपा संसदीय दल की बैठक

और कहा कि यह एक महत्त्वपूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा कि इनको लेकर कुछ लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे लेकिन लोगों ने इसे सहजता से स्वीकार किया। सूत्रों के अनुसार मोदी ने कहा कि कुछ लोगों ने बजट को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो की लेकिन आम लोग भ्रमित नहीं हुए और सबको समझ में आ गया कि बहुत अच्छा बजट है।

भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा पहली बार भाजपा संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। बैठक में मोदी व अन्य नेताओं ने नड्डा का स्वागत किया। नड्डा ने विश्वास व्यक्त किया कि आठ फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव को लेकर पार्टी के 240 सांसदों की ड्यूटी लगाई जाएगी। ये सांसद अगले कुछ दिन तक अलग–अलग क्षेत्रों में रह कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। ये सांसद दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में भी लोगों के साथ संवाद करेंगे और समय बिताएंगे।

संसद भवन परिसर संसद ग्रंथालय में भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आदि शामिल थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टी सांसदों को कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति और उससे निबटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। बैठक में हालांकि पार्टी सांसद अनंत हेगड़े मौजूद नहीं थे जिन्होंने कुछ दिनों पहले महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की थी।

दरअसल

चीनी नागरिकों व चीन गए विदेशियों के वैध वीजा रद्द

पेज 1 का बाकी

रहे विदेशी नागरिकों के लिए ई–वीजा सुविधा पर अस्थायी रोक लगा दी थी। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर चीन के कुछ और शहरों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें ताइझू शहर और हांगझोऊ के इलाकों और निंग्बो के इलाके शामिल हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 'मौजूदा वीजा अब वैध नहीं हैं। भारत जाने के इच्छुक लोगों को भारतीय वीजा के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए बेजिंग में भारतीय दूतावास (वीजा.बेजिंग@एमईए.जीओवी.इन) या शंघाई में (सीकॉन्स.शंघाई@एमईए.जीओवी.इन) और ग्वांगझाऊ (वीजा.ग्वांगझाऊ@एमईए.जीओवी.इन) में वाणिज्य दूतावासों से संपर्क करना होगा। इस संबंध में इन शहरों में भारतीय वीजा आवेदन केंद्रों (डब्लूडब्लूडब्लू.बीएलएसइंडिया–चाइना.कॉम) से भी संपर्क किया जा सकता है।' विदेश मंत्रालय और बेजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने लोगों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इस घोषणा में कहा गया है, 'वे सभी जो पहले से भारत में हैं (नियमित या ई–वीजा पर) और जो 15 जनवरी के बाद चीन से गए हैं, उनसे भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के हॉटलाइन नंबर (+91–11–23978046) और ईमेल (एनसीओवी2019@जीमेल.कॉम) पर संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।'

वीजा की वैधता के बारे में दूतावास ने कहा, 'भारतीय दूतावास और हमारे वाणिज्य दूतावासों को चीनी नागरिकों के साथ ही चीन में रहने वाले या पिछले दो हफ्तों में चीन आने वाले विदेशी नागरिकों से बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं कि वे भारत जाने के लिए अपने वैध एकल/ बहुल प्रवेश वीजा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं।' दूतावास ने कहा कि भारत की किसी भी यात्रा से पहले वीजा की वैधता के बारे में मालूम करने के लिए चीन में भारतीय दूतावास/वाणिज्य दूतावासों के वीजा विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

इस बीच, चीन में घातक कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर वहां के कुछ और शहरों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें ताइझू शहर और हांगझोऊ के इलाकों और निंग्बो के इलाके शामिल हैं। इन नए प्रतिबंधों से करीब एक करोड़ 20 लाख लोग और प्रतिबंध के दायरे में आ गए हैं। वुहान में पहले ही '2019 कोरोना वायरस' के कहर के कारण करीब करोड़ों लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है।

बैंक जमा पर पांच लाख का बीमा कवर लागू

नई दिल्ली, 4 फरवरी (भाषा)।

बैंक जमा पर पांच लाख रुपए का बीमा कवर मंगलवार से लागू हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट पेश करते हुए बैंकों में जमा लोगों के धन पर गारंटी राशि को एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने की घोषणा की है। यह कवर रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जमा बीमा व ऋण गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) प्रदान करती है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि जमाकर्ताओं को संरक्षण देने की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट भाषण में कहा था कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की 'सेहत' की निगरानी के लिए मजबूत प्रणाली है। सभी जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित है। इससे पहले दिन में वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने डीआइसीजीसी को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने बचत जमा पर प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपए की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को–आपरेटिव बैंक (पीएमसी) का घोटाला सामने आने के बाद से निवेशकों का भरोसा डगमगाया हुआ है।

एनआरसी पर फिलहाल फैसला नहीं

पेज 1 का बाकी

उनके पात्र पाए जाने पर भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि भारत के सभी वैध प्रवासियों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार, यदि वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो नागरिकता जारी रहेगी। मंत्री ने अपने लिखित जवाब के साथ 2010 के बाद से भारतीय नागरिकता प्रदान किए गए विदेशी नागरिकों का वर्षवार ब्योरा दिया। इसके अनुसार, 2010 से 2019 के बीच 21408 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। नित्यानंद राय ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन पारसी और ईसाई समुदायों के ऐसे प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की सुविधा देना है जिन्होंने अपने देश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न होने अथवा ऐसे उत्पीड़न के भय के कारण भारत में शरण ले रखी है।

दिल्ली में हो रही सिर्फ नफरत की राजनीति

पेज 1 का बाकी

कानून बनने के बाद दिल्ली वाले पहले दिन से देख रहे हैं कि कैसे लोगों से झूठ बोला जा रहा है और अफवाह फैलाई जा रही है। दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति व नफरत की राजनीति से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। विकास नए–नए बहानों व कोसने से भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि विकास के लिए राजनीति के मूल में देशवासी व राष्ट्र का हित होना जरूरी है। यह काम केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार ही भलीभांति कर रही है। पिछले पांच साल में केंद्र सरकार ने जिस रफ्तार से काम किया है, वह अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली को दोष देने वाली नहीं, दिशा देने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली को ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो दुश्मनों को हम पर हमला करने का मौका दे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली को ऐसी सरकार चाहिए, जो समय आने पर देश का पक्ष मजबूत करें और वीर सैनिकों के साथ खड़ी हो। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो आंतकी हमलों पर भारत को कमजोर करे और दुश्मन को वार करने का मौका दे। प्रधानमंत्री ने जनता से सवाल किया कि क्या लक्षित वायु हमले के समय जो बयान पार्टियों द्वारा दिए गए थे, वह गुस्सा है या नहीं। यह गुस्सा 8 फरवरी को इन दलों को सजा देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसा नेतृत्व चाहिए जो नागरिकता संशोधन कानून, धारा 370 जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम फैसलों पर देश का साथ देने वाला हो। अपनी राजनीति, तुष्टीकरण और लोगों को भड़काने वाले लोग दिल्ली का भला कर सकेंगे क्या? ये लोग बाटला हाउस के आंतकियों के लिए रास्ते रोक सकते हैं। उनका साथ देने के लिए सुरक्षा बलों को कठघरे में खड़ा कर सकते हैं लेकिन दिल्ली का विकास नहीं कर सकते।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने जितने घर बनवाए हैं वे श्रीलंका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा गरीबों के लिए बैंक खाते खोले गए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने के लिए आप पर निशाना साधा और पूछा कि अगर दिल्ली निवासी शहर के बाहर बीमार पड़ जाते हैं तो क्या मोहल्ला क्लीनिक काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के किसानों का इसमें क्या कसूर है। उन्हें प्रधानमंत्री योजना का लाभ नहीं मिलता और उन्हें पैसा सीधे बैंक खाते में नहीं जाता। आप सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को विस्तार नहीं दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली की 1700 से अधिक अवैध कॉलोनियों में 40 लाख लोगों को मिले अधिकार का विषय कोई कैसे भूल सकता है। यहां जो शासन में थे, वे कोशिश में थे कि किसी तरह एक–दो साल के लिए इसे टाला जाए। इसके लिए झूठ फैलाई जा रही थी। ये भाजपा का दम है कि 40 लाख दिल्ली वालों को अपने मकान–दुकान का हक मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मोदी के कारण नहीं, यह आप के वोट की ताकत है। लोकसभा में सातों सीट देकर दिल्ली ने भाजपा को मजबूत किया। दिल्ली भाजपा ने यह संकल्प लिया है कि इन तमाम कॉलोनियों के विकास के लिए अलग से एक विकास बोर्ड बनाया जाएगा। ये वोट इन कॉलेनियों में जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम करेगा।

LIBERTY

INNOVATING TO STAY AHEAD

WARRIOR

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE 3RD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2019

₹in Lakh except Shares & EPS

Sr. No.	Particulars	3 Months Ended 31st December, 2019	Preceding 3 Months Ended 30th September, 2019	Corresponding 3 Months Ended in the previous year 31st December, 2018	9 Month Ended 31st December, 2019	Corresponding 9 Months Ended 31st December 2018	Year Ended 31st March, 2019
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	15,024.06	13,377.81	14,544.52	45,221.08	45,847.13	60,235.46
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	277.47	242.02	290.87	927.14	1,006.97	1,361.24
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	275.46	761.82	284.01	1,446.51	1,001.90	1,346.58
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	144.35	561.25	121.41	941.90	549.39	684.27
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive income (after Tax))	144.35	561.25	121.41	941.90	549.39	684.27
6	Paid up Equity Share Capital (face value of ₹10/- each)	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	15,810.16
8	Earnings Per Equity Share (of ₹10/- Each) (Not Annualised) (for Continuing and Discontinued operations) (Basic & Diluted)						
	Basic :	0.85	3.29	0.71	5.53	3.22	4.02
	Diluted :	0.85	3.29	0.71	5.53	3.22	4.02

Note: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results of the Company for the 3rd Quarter and Nine Months ended 31st December, 2019, as filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Quarterly and Nine Months Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com)and on the website of the Company (www.libertyshoes.com)

ENVY WARRIOR POPCORN Technology

For and on behalf of
Board of Directors

Place, Gurugram, Haryana
Date: Tuesday, 4th February, 2020

LIBERTY

ADESH KUMAR GUPTA
CEO & EXECUTIVE DIRECTOR
DIN: 00143192

Registered Office: Libertypuram, 13th Milestone, G.T. Karnal Road, Kutail, P.O. Bastara, Dist. Karnal - 132114, Haryana
Corporate Office: Ground Floor, Building No. 8, Tower A, DLF Cyber City, Phase - II, Gurugram - 122002, Haryana
E-mail ID: investorcare@libertyshoes.com, Website: www.libertyshoes.com
CIN: L19201HR1986PLC033185

ARTEMIS
HOSPITALS
OUR SPECIALITY IS YOU

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

Plot No.14, Sector 20, Dwarka, South West Delhi, Delhi- 110075
Ph.: +91-124-4511111; Fax: +91-124-4588899;
Email: info@artemishospitals.com; Web site: www.artemishospitals.com
CIN: L85110DL2004PLC126414

(₹ in Lakhs)

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2019

S. No.	Particulars	Quarter ended		Nine Months ended	Year ended
		31-Dec-19	31-Dec-18	31-Dec-19	31-Mar-19
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	14,349.96	13,903.84	42,654.70	54,651.59
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	852.33	963.10	2,430.82	3,674.47
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	852.33	963.10	2,430.82	3,674.47
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	558.93	491.45	1,523.73	2,038.86
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (aftertax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	560.60	496.50	1 ,531.51	2,029.11
6.	Paid-up Equity Share Capital (Equity Shares of Rs.10/-each)	1 ,323.77	1 ,323.77	1,323.77	1,323.77
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				21,447.98
8.	Earning per Equity Share (Face value Rs.10/-each) (a) Basic (b) Diluted (* Not annualised)	4.25* 4.25*	3.71* 3.71*	11.69* 11.69*	1 5.48 1 5.48

Notes :
The key standalone financial information of the Company is as under;

(₹ in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended		Nine Months ended	Year ended
		31-Dec-19	31-Dec-18	31-Dec-19	31-Mar-19
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	14,277.32	13,903.84	42,573.55	54,651.59
2.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax after Exceptional Items	894.76	963.10	2,529.73	3,704.23
3.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	568.29	491.45	1,594.53	2,068.62

The above is an extract of the detailed format of quarter ended financial results filed with the Stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results (Consolidated/ Standalone) are available on the Stock Exchange websites. (National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) & BSE Limited (www.bseindia.com) and on the company's website (www.artemishospitals.com).

The above results for the quarter ended 31st Dec, 2019 were reviewed by the Audit Committee meeting held on February 4th, 2020 and approved by the Board of Directors meeting held on February 4th, 2020. The Statutory Auditors have expressed an unmodified opinion on the aforesaid results.

The above financial results have been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, and the other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

For and on behalf of the Board of Directors
of Artemis Medicare Services Limited

Place : Gurugram
Dated : February 4th, 2020

Sd/-
Onkar S. Kanwar
Chairman & Director

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

नोटिस

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 के अनुसार एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक नई दिल्ली में दिनांक 14 फरवरी, 2020 को अन्य विषयों के साथ साथ कंपनी के 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने, उनको अनुमोदन करने और उन्हें रेकॉर्डबद्ध करने के लिए आयोजित की जाएगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड की सिक्योरिटीज जिसके लेन देन के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी, 2020 से बंद है और 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणाम घोषित होने के 48 घंटे तक बंद रहेगी, सभी जुड़े व्यक्तियों के लिए।

यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट http://www.sail.co.in और बीएसई लिमिटेड http://www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड की http://www.nseindia.com वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश से जारी
कृते स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड
हस्ता/-
(एम.बी. बालाकृष्णन)
कंपनी सचिव

दिनांक: 4 फरवरी, 2020
स्थान: नई दिल्ली

पंजीकृत कार्यालय: इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नम्बर L27109DL1973GOI006454, वेबसाइट www.sail.co.in
हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

पावरग्रिड POWERGRID

सूचना

1. उत्तरी क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान यूनिफाइड लोड डिस्पैच एण्ड कम्युनिकेशन (यूएलडीसी) माइक्रोवेव लिंक्स के बदले में फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम के अन्तर्गत इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अनुच्छेद 28 एवं 79 (1) (डी) के उप–अनुच्छेद (ए) एवं सीईआरसी अधिनियम-86 (व्यापार प्रणाली) अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत 2014–19 ब्लॉक हेतु बढ़ी हुई फीस एवं शुल्क एवं 2019–24 ब्लॉक हेतु बढ़ी हुई फीस एवं शुल्क निर्धारित करने हेतु अनुमोदन **परिसम्पत्ति–I** वर्तमान माइक्रोवेव के बदले में 1099.800 किमी का फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम (डीओसीओ 1.04.2012), **परिसम्पत्ति–II** वर्तमान माइक्रोवेव के बदले में 1628.068 किमी का फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम (डीओसीओ 1.01.2013) **परिसम्पत्ति–III** वर्तमान माइक्रोवेव के बदले में 493.064 किमी का फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम (डीओसीओ 1.04.2013), **परिसम्पत्ति–IV** वर्तमान माइक्रोवेव के बदले में 530.062 किमी का फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम (डीओसीओ 1.10.2013)

2. के मामले में: उत्तरी क्षेत्र में वर्तमान यूनिफाइड लोड डिस्पैच एण्ड कम्युनिकेशन (यूएलडीसी) माइक्रोवेव लिंक्स के बदले में फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम (947.124 किमी.) के अन्तर्गत सीईआरसी अधिनियम-86 (व्यापार प्रणाली) अधिनियम, 1999 एवं सीईआरसी (टैरिफ की नियम एवं शर्तें) अधिनियम, 2014 एवं सीईआरसी (टैरिफ की नियम एवं शर्तें) अधिनियम, 2019, के अन्तर्गत 2014–19 टैरिफ ब्लॉक हेतु बढ़ी हुई फीस एवं शुल्क एवं 2019–24 ब्लॉक हेतु ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारित करने हेतु अनुमोदन।

3. उपरोक्त ट्रांसमिशन प्रणाली के निम्न हिताधिकारी हैं: (1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (4) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (5) पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (6) हरियाणा पॉवर परचेज सेंटर (7) पॉवर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जम्मू एवं कश्मीर सरकार (8) उत्तर प्रदेश पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (9) दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (10) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (11) बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (12) नार्थ दिल्ली पॉवर लिमिटेड (13) चंडीगढ़ प्रशासन (14) उत्तरांचल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (15) नार्थ सेंट्रल रेलवे (16) नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉउन्सिल (17) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।

4. टैरिफ का विवरण: क) 2014-19 ब्लॉक

रु. लाख में

परिसम्पत्ति	विवरण	भाग	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
परिसम्पत्ति-I	फीस एवं शुल्क	केन्द्रीय	150.22	151.60	128.83	136.40	129.51
	फीस एवं शुल्क	राज्य	294.05	294.99	297.39	297.39	297.38
परिसम्पत्ति-II	फीस एवं शुल्क	केन्द्रीय	98.25	100.64	86.99	92.21	87.48
	फीस एवं शुल्क	राज्य	420.06	425.35	436.25	436.23	436.21
परिसम्पत्ति-III	फीस एवं शुल्क	केन्द्रीय	89.23	91.52	77.70	81.80	78.43
	फीस एवं शुल्क	राज्य	216.96	218.25	222.56	222.57	222.57
परिसम्पत्ति-IV	फीस एवं शुल्क	केन्द्रीय	74.69	81.78	53.58	57.58	53.92
	फीस एवं शुल्क	राज्य	138.69	142.32	147.23	147.23	147.24
परिसम्पत्ति-V	वार्षिक निर्दिष्ट शुल्क	केन्द्रीय	52.52	58.18	53.63	59.96	56.00
	वार्षिक निर्दिष्ट शुल्क	राज्य	341.08	416.08	465.69	451.47	438.68

ख) 2019-24 ब्लॉक

रु. लाख में

परिसम्पत्ति का नाम	भाग	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
परिसम्पत्ति-I	केन्द्रीय	133.14	133.14	133.14	133.14	133.14
	राज्य	295.04	295.05	295.05	295.05	295.04
परिसम्पत्ति-II	केन्द्रीय	89.76	89.76	89.76	89.76	89.76
	राज्य	432.71	432.73	432.73	432.73	432.71
परिसम्पत्ति-III	केन्द्रीय	80.03	80.03	80.03	80.03	80.03
	राज्य	220.74	220.75	220.75	220.75	220.74
परिसम्पत्ति-IV	केन्द्रीय	53.92	53.92	53.92	53.92	53.92
	राज्य	145.96	145.97	145.97	145.97	145.96
परिसम्पत्ति-V	केन्द्रीय	54.78	53.13	51.48	49.79	48.14
	राज्य	413.74	398.99	384.21	369.27	354.43

5. टैरिफ सुनिश्चित करने हेतु आवेदन की एक प्रति को आवेदक की वेबसाइट www.powergridindia.com पर लगाया गया है।

6. आवेदन में टैरिफ सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर सलाह तथा आपत्तियाँ, अगर हो, को किसी भी व्यक्ति द्वारा, सचिव, केन्द्रीय विद्युत इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन, तीसरा व चौथा तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली-110001 (या अन्य पता जहां कमीशन का कार्यालय स्थित है) के समक्ष, आवेदक के लिए एक प्रति के साथ उसके निगमित कार्यालय "सौदामिनी", प्लाट नं 2, सेक्टर-29, गुड़गांव-122001, हरियाणा में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर दर्ज किया जा सकता है।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 29.01.2020

हस्ता/–
वरि. महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

PGCC/Notice-187/Advt-208/2019-20 Chetan

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
निगमित कार्या. : "सौदामिनी" प्लॉट नं– 2, सेक्टर–29, गुड़गांव, हरियाणा–122001 फोन: 0124-2571700-719
वेबसाइट : www.powergridindia.com सीआईएन : L40101DL1989GOI038121

एक महारत्न पीएसयू

R R FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023530
Regd off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building,
21 Barakambha Road, New Delhi-110001
Phone:- 011-23354802 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Reg. 29 of SEBI Listing Regulations 2015, (LODR), we are pleased to inform you that a meeting of the Board of Directors will be held on Wednesday the 12th February, 2020 at 12:00 noon at the registered office of the Company for considering the Unaudited Financial Results for the Third quarter ended 31st December, 2019.

For R R Financial Consultants Limited
Sd/-
Rajat Prasad
Managing Director

Place : New Delhi
Dated: 04th February, 2020

एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

सीआइएन: L27109DL1995PLC338407
बानी कारपोरेट वन टावर, सुईट नं. 308, तीसरा तल,
प्लाट नं. 5, कॉमर्शियल सेंटर, जसोला, दिल्ली–110025
टेली: +91–11–48593300, फैक्स: +91–11–48593320
इमेल: cs@mblinfra.com, वेबसाइट: www.mblinfra.com

सूचना

सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुवर्ती एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के लिए कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडएलोन तथा समेकित दोनों) को रिकार्ड पर लेने तथा परस्पर विचार, अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी।

सूचना बीएसई लिमि. की वेबसाइट **(www.bseindia.com)** तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **(www.nseindia.com)** जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और कंपनी की वेबसाइट जैसे **www.mblinfra.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते एमबीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि.
हस्ता./– अनुभव महेश्वरी
कंपनी सचिव

दिनांक: 03.02.2020
स्थान: नई दिल्ली

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.

(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)
आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली–110020

कॉनकॉर CONCOR एक भारत कार्गो

सार्वजनिक नीलामी/निविदा सूचना

ई- नीलामी के माध्यम से क्लीयर न किए गए/अदावाकृत आयातित कार्गो का निपटान करना

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र के तहत कंटेनरों पर या 31.12.2019 से पहले उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र के टर्मिनलों पर पड़े रही वस्तुओं, खाली पड़े अतिरिक्त कंटेनरों और अदावाकृत/क्लीयर ना किए गए आयातित कार्गो की ई–नीलामी के माध्यम से 20.02.2020 और 28.02.2020 को "जैसा है जहां है के आधार पर" नीलामी करना। नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें एवं कार्गो विवरणों के साथ सभी विवरण 05.02.2020 और 13.02.2020 से www.concorindia.co.in एवं www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध होंगे। सभी आयातक जिनमें सरकारी उपक्रम/विभाग भी शामिल हैं, के कंटेनर/सामान किसी विवाद, न्यायालय/अधिकरणों/अन्यों द्वारा दिये गए स्थगन के कारण या ऐसे किसी ऐसे अन्य कारण से संबंधित टर्मिनलों पर अदावाकृत/क्लीयर न किए गए पड़े हैं और वेबसाइट में अपलोड की गई उक्त सूची में आते हैं, वे संबंधित कार्यकारी निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र कॉनकॉर और संबंधित कमीश्नरी, सीमा शुल्क आयुक्त को तदनुसार सूचित कर सकते हैं और इस सूचना के 7 (सात दिनों) के भीतर ऐसे सामानों के निपटान के संबंध में अपनी आपत्तियाँ/दावे दर्ज करा सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर और कोई सूचना दिये बगैर सामानों की "जैसा है जहां है के आधार पर" नीलामी कर दी जाएगी। पूर्ण विवरण के लिए कृपया www.concorindia.co.in एवं www.mstcecommerce.com पर लॉग ऑन करें।

कार्यकारी निदेशक/उत्तरी क्षेत्र

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : बी-536-537 मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया, अलवर-301030 (राजस्थान)
कॉर्पोरेट कार्यालय : इनसाइड डाटा इंजीनियस ग्लोबल लिमिटेड,
स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 (राजस्थान)
सीआईएन : एल15142आरजे1991पीएलसी006353 । फोन नं. : +91 77378 22222
ई-मेल : sardaproteins@yahoo.com | वेबसाइट : www.sardaproteins.com

सूचना

एतद् द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के अनुसार में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक **गुरुवार, 13 फरवरी, 2020 को अप. 4.00 बजे** निगमित कार्यालय इनसाइड डाटा इन्जीनियस ग्लोबल लिमिटेड, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर 302018 (राजस्थान) में आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य के साथ, **31 दिसम्बर 2019** को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम के साथ संपत्ति एवं दायित्व और रोकड़ प्रवाह विवरण विचारित और अनुमोदित किए जाएंगे तथा उनके संबंध में सीमित अलेखापरीक्षक की रिपोर्ट अभिलेखबद्ध की जाएगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट **www.sardaproteins.com** तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर भी उपलब्ध है।

सारदा प्रोटीन्स लिमिटेड द्वारा
हस्ता.- अमित कुमार मोदी
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
ACS-29371

तिथि : 04.02.2020
स्थान : जयपुर

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
(One Family One Bank)

दिल्ली अंचल कार्यालय: 15, एन बी सी सी टॉवर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
फोन: 011-26164817/26197769, फैक्स: 011-26171554
ई-मेल: legal_del@mahabank.co.in

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिये)

यत: (Whereas) अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राधिकृत अधिकारी होते हुये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (12) के सपठित नियम 3 के अन्तर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुए एक मांग सूचना पत्र दिनांक 13.11.2019 को जारी किया, जिसमें **1. श्री राजेश शर्मा (ऋणी), 2. श्री राकेश शर्मा (ऋणी), 3. श्री संजय राय (ऋणी), 4. श्रीमती रक्षा देवी (ऋणी), 5. श्री विकास शर्मा (ऋणी) और 6. श्री जय गोपाल बत्रा (जमानतदार) को रुपये 6,21,632/- (रुपये छः लाख इक्कीस हजार छः सौ बत्तीस मात्र) + दिनांक** 13.11.2019 से 9.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से अप्रयुक्त ब्याज इस नोटिस की पावती से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने हेतु कहा गया। (यह सूचना स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी गई थी।)

ऋणी एवं जमानतदारों द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर, ऋणी एवं जमानतदारों और आमजन को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के सपठित नियम 8 के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति को **दिनांक 31 जनवरी 2020** को सांकेतिक कब्जे में ले लिया है।

ऋणी एवं जमानतदारों को विशेषतया तथा जनसाधारण को सामान्यतया संपत्ति में व्यवहार ना करने हेतु सचेत किया जाता है एवं संपत्ति में किया गया कोई भी व्यवहार बैंक ऑफ महाराष्ट्र के उपरोक्त वर्णित राशि के साथ अध्यधीन होगा।

ऋणियों एवं जमानतदारों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

बैंक को गिरवी रखी गई और बैंक द्वारा कब्जे में ली गई संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है:–

मकान नं. 17/791 पर सम्पत्ति, प्रथम तल, अग्रोहा रोड, रेलवे स्टेशन के पास, रोहतक, हरियाणा- 124001 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 47 वर्गगज।

दिनांक: 31.01.2020,
स्थान: रोहतक

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र
सहायक महाप्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

SCI Navratna Company (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified)

शिपिंग हाउस, 245 मैडम कामा रोड, मुंबई – 400021.
वेबसाइट: www.shipindia.com; Twitter: @shippingcorp; सीआईएन: L63030MH1950GOI008033

31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों की अवधि के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम का विवरणपत्र

(रकम रुपये लाख में)

क्र. सं.	विशिष्टियां	स्टैंडअलोन			समेकित		
		31.12.2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2019 को समाप्त नौ महीने (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2019 को समाप्त नौ महीने (अलेखापरीक्षित)	31.12.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)
1	परिचालनों से कुल आय	125,761	318,891	107,485	125,761	318,891	107,485
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	30,290	24,000	20,054	31,365	27,684	21,157
3	अवधि के लिए कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों के बाद)	30,290	24,000	20,054	31,365	27,684	21,157
4	अवधि के लिए कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/अथवा असाधारण मदों के बाद)	28,450	18,860	18,054	29,525	22,544	19,157
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए (कर पश्चात्) लाभ/(हानि) तथा (कर पश्चात्) अन्य व्यापक आय सहित]	28,591	19,283	18,098	31,015	21,771	16,193
6	इक्विटी शेयर पूँजी	46,580	46,580	46,580	46,580	46,580	46,580
7	प्रारक्षण (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षण छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है	–	–	–	–	–	–
8	अर्जन प्रति शेयर (प्रत्येक रु.10 के) (जारी तथा बंद किए गए परिचालनों के लिए). (रुपये में)						
	बेसिक :	6.11	4.05	3.88	6.34	4.84	4.11
	डायल्यूटेड :	6.11	4.05	3.88	6.34	4.84	4.11

क) उक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा 4 फरवरी, 2020 को आयोजित संबंधित बैठकों में ऑडिट समिति द्वारा की गई तथा निदेशक मंडल द्वारा उन्हें अनुमोदित किया गया।

ख) ऊपर वर्णित पाठ, सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ फाइल किए गए तिमाही/नौ महीनों के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही/नौ महीनों के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों पर (**www.bseindia.com** और **www.nseindia.com**) तथा कंपनी की वेबसाइट **www.shipindia.com** पर उपलब्ध है।

कृते भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड

श्रीमती एच के जोशी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN - 07085755

स्थान : मुंबई
तारीख : 04.02.2020

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए. जीवन को राह दिखाए.

www.readwhere.com

सैनिक की पेंशन 41 साल बाद चालू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

सेना से सेवानिवृत्त हुए जवान मुंशी राम को 41 साल बाद पेंशन शुरू हो पाई है। सेना ने उन्हें पेंशन के एरिअर के रूप में 12.10 लाख रुपए का भुगतान किया है। देहरादून के रहने वाले मुंशी राम 1971 में सेना की मेडिकल कोर में भर्ती हुए थे। भर्ती के कुछ महीने बाद ही मुंशीराम की तबियत खराब रहने लगी। सेना ने 15 अक्तूबर 1972 में मुंशीराम को मेडिकल में 100 फीसद अनफिट घोषित कर मेडिकल पेंशन पर रिटायर कर दिया था। पेंशन पाने के लिए उन्हें हर वर्ष सेना के मेडिकल बोर्ड से फिटनेस जांच करानी होती थी।

मुंशी राम को टीबी की बीमारी होने पर मेडिकल अनफिट करार दे रिटायर कर दिया गया था। वर्ष 1978 में मेडिकल बोर्ड की टीम ने उन्हें 20 फीसद से कम अनफिट घोषित कर दिया। सेना से मेडिकल पेंशन 20 फीसद से कम अनफिट होने पर नहीं दी जाती है। ऐसे में 1978 में उनकी पेंशन रोक दी गई। इसके बाद से वह पेंशन के लिए सैन्य अफसरों के चक्कर काट रहे थे। कई बार रक्षा मंत्रालय के पेंशन विभाग को पत्र लिखा, पर पेंशन नहीं मिली। कुछ महीनों पहले उन्होंने सेना के वेटरन और पेंशन सेल में संपर्क किया। वेटरन सेल ने उनके बारे में पेंशन मंत्रालय को लिखा और सेना के आला अफसरों को भी पत्र भेजे। इसके बाद उनकी पेंशन मंजूर हो गई है।

हेगड़े की टिप्पणी पर हंगामा

विपक्ष का बहिर्गमन, स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भाजपा सांसद अनंत हेगड़े की विवादित टिप्पणी को लेकर मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने भारी हंगामा किया और हेगड़े के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए।

विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभा ने ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद और कई पूर्व दिवंगत लोकसभा सदस्यों को कुछ पल मौन रख कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसी ही प्रश्नकाल शुरू किया कांग्रेस, द्रमुक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए। कांग्रेस सदस्यों ने हेगड़े की विवादित टिप्पणी का मुद्दा उठाया और महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए।

शोर-शराबे के बीच बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि गृह मंत्री जवाब देना चाहते हैं और आप लोग चर्चा कीजिए। निचले सदन में मंगलवार को राष्ट्रीय नागरिक पंजी से जुड़ा प्रश्न सूचीबद्ध था और सदन में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। सदन में हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने करीब 11:05 बजे सभा की बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

सदन की कार्यवाही जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस के सदस्य हंगामा करने लगे। द्रमुक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए। सदन में शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीररंजन चौधरी ने कहा कि पूरी दुनिया गांधी की पूजा करती है, लेकिन भाजपा के लोग राम के पुजारी का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर गोडसे पार्टी होने का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।

सदन में अपनी बात रखते हुए चौधरी ने भाजपा के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। कांग्रेस के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के निकट पहुंच गए। उन्होंने महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग नकली गांधी के अनुयायी हैं, जबकि भाजपा महात्मा गांधी का सही मायने में अनुसरण करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर भाजपा के सभी सांसदों ने गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर पदयात्राएं निकालीं।

हेगड़े ने भाजपा नेतृत्व को जवाब भेजा, लगे आरोपों से इनकार

नई दिल्ली, 4 फरवरी (भाषा)।

भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने पार्टी नेतृत्व को लिखित जवाब में कहा कि उन्होंने अपने भाषण में महात्मा गांधी का जिक्र नहीं किया था और उनके द्वारा राष्ट्रपिता के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी करने के आरोप गलत हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि हेगड़े ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी की अनुशासन समिति द्वारा सोमवार को जारी कारण बताओ नोटिस का विस्तार से जवाब दिया है और कोई कार्रवाई किए जाने से पहले उसका अध्ययन किया जा रहा है।

हेगड़े ने दावा किया कि न तो उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया और न ही अपने भाषण में उनका अपमान किया और मीडिया में उनके भाषण को लेकर दी जा रही खबरें गलत हैं। भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले स्वतंत्रता संग्राम के लिए 'नौटंकी' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, 'पार्टी की राय है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने जो कहा वह हो सकता है कि गलत हो लेकिन कुछ मीडिया चैनलों ने भाषण से छेड़छाड़ की।'

जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई 14 अप्रैल को

नई दिल्ली, 4 फरवरी (जनसत्ता ब्यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री को विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को 14 अप्रैल की तारीख निर्धारित की।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
समाधान, वसूली एवं विधि समूह, मेरठ –495/1, आरपीजी टॉवर, मंगल पाडेय नगर, मेरठ, फोन नं0 0121–4011928–12

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) (नियम–8(1))

जबकि अधोहस्ताक्षरी **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**, के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के सहपठित नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लेखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अन्दर बकाये का भुगतान करने की मांग की गयी थी। ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद द्वारा ऋणी व आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के सहपठित नियम 8 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये **निम्नलिखित सम्पत्ति** का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें और इस सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखे राशि और ब्याज तथा अन्य खर्चों के लिये **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** के प्रभारों के अधीन होगा। "उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

ऋणी/बंधककर्ता के नाम	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया राशि	प्रजेशन की तिथि
श्री सुरेश कुमार पुत्र जय करण सिंह, पताः मकान नं0 75 (एलआईजी), पॉकेट-सीपी, लोहिया नगर, घोसीपुर, मेरठ-पिन-250002	बंधक आवासीय मकान स्थित प्लॉट नं0 सी-75, एलआईजी टाईप, माप 55.00 वर्ग मीटर, सेक्टर-NA, पॉकेट-सीपी, स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया नगर आवासीय योजना, मेरठ सिटी-250002, सम्पत्ति स्वामी श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री जयकरण सिंह, सीमायें: पूर्वः 10.00 मीटर तदोपरान्त प्लॉट नं0 सीपी-76, पश्चिमः 10.00 मीटर तदोपरान्त प्लॉट नं0 सी-74, उत्तरः 5.50 मीटर तदोपरान्त प्लॉट नं0 सीपी-69, दक्षिणः 5.50 मीटर तदोपरान्त रोड 6.00 मीटर चौड़ा (नोटः सम्पत्ति विक्रय विलेख का विवरण में उप-निबन्धक द्वितीय मेरठ कार्यालय में दस्तावेज संख्या 109, दिनांक 05.01.2016 पर दर्ज है।	20.11.2019	रू0 10,88,558.46 दिनांक 31.10.2019 को + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.11.2019 से	04.02.2020

दिनांक–04.02.2020 स्थानः मेरठ प्राधिकृत अधिकारी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान), CIN: L67120RJ1990PLC005371, फोनः 0141-2943037, ई मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, वेबसाइट: www.continentalsecuritiesltd.com
सूचना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार 13 फरवरी, 2020 को 2:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उन्हें अनुमोदित किया जायेगा।
और यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी के शेयर में डील करने हेतु ट्रेडिंग विंडो कम्पनी नामित सदस्यों और उनके नजदीकी परिजनों के लिए 01 जनवरी, 2020 से बंद है और यह इन लोगों के लिए 48 घंटा तक बंद रहेगी जब तक की 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त त्रैमासिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की घोषणा ना कर दी जाये।
स्थानः जयपुर
तारीखः 05.02.2020
कृते कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड
हस्ता./- राजेश खुटेटा (प्रबन्ध निदेशक) DIN: 00167672

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
[illegible]
ई-टैण्डर आमंत्रण सूचना (एनआईटी सं. सीडब्ल्यूसी/एफडी/आईसीईएक्स/2019-20) हेतु शुद्धिपत्र
[illegible] अंतिम तिथि 28.02.2020 [illegible] विस्तृत जानकारी के लिए www.cwceprocure.com अथवा www.cewacor.nic.in पर लागआन करें।
जन – जन के लिए भंडारण

U.P. STATE BRIDGE CORPORATION LTD.
Office of the Manager (Equipment), Mechanical Unit-I,
Aishbagh, Lucknow - 226 004, email : mu1lucknkow@gmail.com
No. 951/11M/MU-1/19-20 Dt. 04/02/2020

Short Term E-Tender Notice

Sealed E-Tenders are hereby invited from the firm registered with GST and having experience in the Supply of Structural Steel of Different Sections so as to reach this office latest by 1.00 P.M. on 12.02.2020 for the Supply of Structural Steel of Different Sections. The e-tenders shall be opened on the 12.02.2020 at 2.00 P.M. in presence of tenderer's present at time of opening.
(Ashok Tewari) Manager (Equipment)

NISHANT INBUILD LIMITED
CIN: L74899DL2006PLC145669
Regd. Off.: Shop No. 33, First Floor, Kishan Ganj Market, Old Rohtak Road, Delhi-110007
Email ID: inbuildnishant@gmail.com; Tel: 09999841041

NOTICE

In terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 14th February, 2020 at 4:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, at Shop No. 33, First Floor, Kishan Ganj Market, Old Rohtak Road, Delhi - 110007, inter-alia to consider and take on record the company's Un-audited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2019 and any other relevant matter.
Further we wish to inform you that pursuant to Company's Code of Conduct read with Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the 'Trading Window' for dealing/trading in the securities of the Company by designated persons of the Company and their relatives, shall remain closed from 1st January, 2020 to 16th February, 2020 (both days inclusive).
For Nishant Inbuild Limited
Sd/-
Dhirendra Kumar Gupta
(Managing Director)
Date : 04.02.2020
Place : Delhi

बेजल इन्टरनेशनल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: डी-50ई, द्वितीय मंजिल छत्तरपुर इन्क्लेव, नई दिल्ली- 110074
दूरभाष: 011-69999159,
CIN: L65923DL1982PLC290287,
Email ID: bazelinternational@gmail.com,
Website: www.bazelinternationalltd.com

बोर्ड की बैठक की अग्रिम सूचना

सेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1) (ए) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड में ग्रहण करने हेतु बेजल इन्टरनेशनल लिमिटेड ("दि कम्पनी") के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय डी-50ई, द्वितीय मंजिल छत्तरपुर इन्क्लेव, नई दिल्ली- 110074 में बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को सायं 04:30 बजे आयोजित की जानी तय की गई है।
कृते बेजल इन्टरनेशनल लिमिटेड
हस्ता०/–
पंकज दावर
(प्रबन्ध निदेशक)
DIN: 06479649
तिथि: 5 फरवरी, 2020
स्थान: नई दिल्ली

दूर्गेश मरचेन्टस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: डी-220, बेसमेन्ट, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली- 110024
दूरभाष: 011-68888824,
CIN: L65923DL1984PLC248322,
Email ID: durgeshmerchants@gmail.com
Website: www.durgeshmerchantsltd.com

बोर्ड की बैठक की अग्रिम सूचना

सेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1) (ए) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड में ग्रहण करने हेतु दूर्गेश मरचेन्टस लिमिटेड ("दि कम्पनी") के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय डी-220, बेसमेन्ट, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली- 110024 में बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को सायं 03:00 बजे आयोजित की जानी तय की गई है।
कृते दूर्गेश मरचेन्टस लिमिटेड
हस्ता०/–
कमल आहुजा
(निदेशक)
DIN: 00005195
तिथि: 5 फरवरी, 2020
स्थान: नई दिल्ली

इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड
CIN: L74899DL1985PLC020286
पंजी. कार्यालयः फ्लैट नं. 901–बी, देवीका टॉवर 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
संयुक्त कार्यालयः 610/611, निर्मल गैलेक्सी, एवियर, एल.बी.एस. रोड़, नजदीक जॉनसन एंड जॉनसन, मुलुन्द (डब्ल्यू), मुम्बई–400080, संपर्कः (011) 41008327,
ई–मेलः info@integratelesoftware.com
वेबसाइटः www.integratelesoftware.com

सूचना

सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुवर्ती एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के स्टैंडएलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार और अनुमोदन के लिए कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की बैठक वीरवार, 13 फरवरी, 2020 को अपराह्न 4.00 बजे संयुक्त कार्यालय में आयोजित होना अधिसूचित है। सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.integratelesoftware.com तथा शेयर बाजार की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।
कृते इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड
तिथिः 04.02.2020 ह./– जीत राजेन शाह
स्थानः मुम्बई निदेशक

मृगया इस्टेट एंड फाइनांस लि.
पंजीकृत कार्यालयः 16/71 ए, सिविल लाइन्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208001
कॉर्पोरेट कार्यालयः 17, श्री राम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054
CIN: L51396UP1988PLC009275
Email: infomrigaya@gmail.com;
Website: www.mrigaya.in
Tel: 011-23915178, 8506001058
सूचित किया जाता है कि मृगया इस्टेट एंड फाइनांस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को दिल्ली में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम पर विचार किये जाएंगे।
पुनः इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध के लिये कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 1 जनवरी, 2020 से 14 फरवरी, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक कम्पनी के निदेशकों/अधिकारियों/विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए बंद रहेंगे।
मृगया इस्टेट एंड फाइनांस लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
अंकुर बंसल
कम्पनी सचिव

ब्रिज एण्ड रूफ कॉ (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No: U27310WB1920GOI003601
"कंकरिया सेंटर", (चौथा व पांचवा तल), 2/1, रूसेल स्ट्रीट, कोल–71

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी) नं.
Ref.: MAT(P)/ERE/60987/G.I. TRAY/2016 DATE: 05.02.2020

एचपीसीएल रिफाइनरी, विजाग, विशाखापटनम, अ.प्र. में हमारे एचपीसीएल–वीआरएमपी प्रोजेक्ट साइट के लिए 'रंग (Rung) के साथ लेडर टाइप का निर्माण के साथ प्रीफेब्रीकेटिड हॉट डिप गलवेनाइज्ड स्टील केबल ट्रेज व वेन्ड्स' के निर्माण, परीक्षण, निरीक्षण, आपूर्ति और डिलीवरी के लिए।
निविदा शर्तों को विधिवत पूरा करने वाले एनआइटी के अनुसार प्रीफेब्रीकेटिड हॉट डिप गलवेनाइज्ड लेडर टाइप केबल ट्रेज व वेन्ड्स की आपूर्ति के लिए कोई भी भारतीय निर्माण/वितरक/डीलर से दो भाग बोली प्रणाली में सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (केवल हार्ड कॉपी में): 19.02.2020 को अपराह्न 5.30 बजे तक।
विवरण और निविदा डाउनलोड करने के लिए कृपया बी व आर कार्यकारी वेबसाइटः www.bridgeroof.co.in/tenders/active पर जाएं।
शुद्धिपत्र/संशोधन, यदि कोई होगा, केवल कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
सर्वप्रिय सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नं. 201 बी, 2रा तल, टावर ए, सिग्नेचर टावर, साउथ सिटी–1, गुरुग्राम–122001 में है – आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 24.1.2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2रा तल, दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
यूनिट नं. 201 बी, 2रा तल, टावर ए, सिग्नेचर टावर, साउथ सिटी–1, गुरुग्राम–122001
कृते एवं के लिये
सर्वप्रिय सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड
(देवेन्दर अग्रवाल)
हस्ता./–
निदेशक
DIN: 00161465
निवासीः 34, रोड नं. 61, पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026

PUSHPSONS INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: B-40, Okhla Industrial Area, Phase-I
New Delhi- 110020
CIN: L74899DL1994PLC059950
Tel: +91-11-41610121 Fax: +91-11-41058461
Email id: info@pushpsons.com
Website: www.pushpsons.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, February 14, 2020 at New Delhi, inter-alia to consider and approve the Un-audited financial results of the Company for the quarter ended December 31, 2019.
The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.pushpsons.com also on the website of the stock exchange at http://www.bseindia.com
For Pushpsons Industries Limited
Sd/-
Pankaj Jain
Director
DIN: 00001923
Place: New Delhi
Date: February, 4, 2020

PMC FINCORP LIMITED
Corporate Office : 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Regd. Office : B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur, U.P. - 244901
Email ID: pritimercantile@gmail.com; website: www.pmcfinance.in;
Tel: 011-42436846, CIN: L27109UP1985PLC006998

NOTICE

In terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 14th February, 2020 at 4:30 P.M. at the Corporate Office of the Company, at 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060, inter-alia to consider and take on record the company's Un-audited Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2019 and any other relevant matter.
Further we wish to inform you that pursuant to Company's Code of Conduct read with Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the 'Trading Window' for dealing/trading in the securities of the Company by designated persons of the Company and their relatives, shall remain closed from 1st January, 2020 to 16th February, 2020 (both days inclusive).
For PMC Fincorp Limited
Sd/-
Chetna Sajwan
Company Secretary & Compliance Officer
Date : 04.02.2020
Place : New Delhi

बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड
CIN : L65100 DL 1985PLC021467
पंजीकृत कार्यालय: 510, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001
ई–मेल: bclenterprisesltd@gmail.com
वेबसाइट: bclenterprisesltd.in
सम्पर्क: 011-23320370

बोर्ड की बैठक की अग्रिम सूचना

सेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1) (ए) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड में ग्रहण करने हेतु बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड 'दि कम्पनी' के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय डी-220, बेसमेन्ट, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली- 110024 में वीरवार, 13 फरवरी, 2020 को सायं 04:00 बजे आयोजित की जानी तय की गई है।
कृते बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड
हस्ता०/–
महेन्द्र कुमार शारदा
(प्रबन्ध निदेशक)
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 4 फरवरी, 2020

डयूरोपैक लिमिटेड
CIN: L74899DL1986PLC025835
पंजी. कार्यालयः 3123, सेक्टर–डी, पॉकेट–III, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
टेली.: 011- 26181611
ई-मेलः info@duropackindia..com
वेबसाइटः www.duropackindia.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियम 29 के प्रावधान के अनुपालन में आपको सूचित किया जाता है कि डयूरोपैक लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार 12 फरवरी, 2020 को कम्पनी के कार्यालयः बी-4/160, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029 में 4.00 बजे अप. में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.duropackindia.com तथा साथ ही बाम्बे स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।
सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 यथा संशोधित तथा डयूरोपैक लिमिटेड के "इन्सायडर द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये आचार संहिता" के अनुपालन कम्पनी की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विंडो बंद रहने की अवधि 1 जनवरी, 2020 से शुरू हो गई है तथा 12 फरवरी, 2020 को वित्तीय परिणामों को सार्वजनिक किये जाने के 48 घंटे बाद समाप्त होगी।
डयूरोपैक लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
विवेक जैन
स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशक
तिथिः 4.2.2020 DIN: 01753065

बैंक ऑफ महाराष्ट्र / Bank of Maharashtra
(One Family One Bank)
दिल्ली अंचल कार्यालयः 15, एन बी सी सी टॉवर, तृतीय तल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
फोनः 011-26164817/26197769, फैक्सः 011-26171554
ई-मेलः legal_del@mahabank.co.in

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिये)

यतः (Whereas) अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राधिकृत अधिकारी होते हुये [illegible] 2. श्रीमती सुनीता, 3. श्री जय राम पुत्र श्री रामफल को रुपये 4,89,104.80 [illegible] दिनांक 31 जनवरी 2020 [illegible]
[illegible] मकान नं. 434, वार्ड 26 [illegible] किला मोहल्ला, बहादुरगढ़, हरियाणा-124507 [illegible] 69.00 वर्गमीटर।
दिनांकः 31.01.2020 बैंक ऑफ महाराष्ट्र
स्थानः बहादुरगढ़ सहायक महाप्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक / SyndicateBank
Regional Office: Noida, UPRNN Building 6th Floor, C-Block, Plot no C-20/1A Sector-62, Noida, U.P.- 201309
Ph.: 0120 - 2400850, 2400851, 2400852
Fax No. 0120 - 2400853

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

[illegible]

अचल संपत्तियों का विवरण

[illegible]
दिनांकः 30.01.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः बिसाहड़ा सिंडिकेट बैंक, अंचल कार्यालय

फेडरल बैंक
आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार
एलसीआरडी/नई दिल्ली डिविजन
फेडरल टॉवर, 2/2, प्रथम तल,
वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
फोन नं. 011-40733980, 981, 982

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना.

1. श्री प्रकाश उर्फ– हरप्रकाश, पुत्र स्व. श्री भरतू
2. श्री प्रदीप, पुत्र श्री प्रकाश उर्फ हरप्रकाश
3. श्री कैप्टन, पुत्र श्री प्यारे लाल
4. श्री अमित, पुत्र बलबीर, निवासीः एच.नं. 405, ग्राम खरमान, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा– 124507, सभी 1, 2, 3 निवासीः एच.नं. 386, ग्राम मट्टन, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा– 124507

आप में से प्रथम 1 ने प्रधान ऋणधारक तथा 2रे एवं 3रे ने सह–देनदार के रूप में तथा आप में से 4थे गारन्टर के रूप में 2.4.2014 को स्वीकृत तथा वितरित रु. 6.15 लाख (रुपये छः लाख पन्द्रह हजार मात्र) की फेडरल एग्रो मोबाईल ऋण फेडरल बैंक लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय अल्वाये में है, (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित) से बहादुरगढ़ शाखा के माध्यम से बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/ ऋण दस्तावेजों को निष्पादित करने के बाद प्राप्त किया है। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधाओं के प्रतिभूति के लिये आप में 1 लेन निम्न सम्पत्तियों के मामले में हाइपोथेकेशन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित का निर्माण किया है:–

हाइपोथेकेटेड चल संपत्तियों का विवरण
1) ब्रैण्ड न्यू स्वराज ट्रैक्टर (मॉडल 2015) पंजीकरण संख्या हैः HR 13J- 4373, चैसिस नं. WXCD61929987480, इंजिन नं. 473030STD04744, रंग लाल है।

उपरोक्त हाइपोथेकेटेड/ गिरवी संपत्तियां यहां के बाद "प्रतिभूत परिसंपत्तियों" के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक के बहादुरगढ़ शाखा में आपकी फेडरल एग्री मोबाईल ऋण खाता 15876600000166 के अन्तर्गत 4.1.2020 को रु. 4,02,484.00 (रुपये चार लाख दो हजार चार सौ चौरासी मात्र) की राशि आप पर संयुक्त तथा पृथक रूप से बकाया है। पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी खाता/ओं को गैर–प्रचालन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आप सभी सह-देनदार/ सह–ऋणधारक तथा साथ ही कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में बैंक को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं।
एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर 4.1.2020 (मासिक रूप से संग्रहित) से भुगतान की तिथि तक मासिक रेस्ट्स के साथ 10.88% की दर पर आगे के ब्याज तथा 2% प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज तथा लागतों के साथ उक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा, बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत आप तथा ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध पट्टा, एसाइन्मेंट अथवा बिक्री द्वारा उसके अंतरण अथवा आपको आगे कोई सूचना दिए बिना बकाए की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिकार सहित उसका अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।
सूचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। अपनी देयता को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई शुरू किए जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस सिलसिले में वहन किए गए सभी लागत, चार्जेज तथा खर्चे का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री राशि से संपूर्ण देयता पूरी नहीं होती है तो आगे बिना किसी सूचना बैंक शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत सम्पत्तियों) को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।
यह सूचना 6 जनवरी, 2020 को जारी की गई थी तथा वह आपको सर्व नहीं की जा सकी जिस कारण से सरफेसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है।
यह सूचना बकाए की वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह–रहित है।
आज दिनांक 04 फरवरी, 2020
कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, सहायक उपाध्यक्ष
(सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)

Form G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor	ANS APARTMENTS PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	21/09/2004
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies- Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U45201DL2004PTC129290
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	A/Shop No-108, First Floor, Vardiman Mayur Market, Mayur Vihar, Phase III, Delhi- 110096 B/Alstonia Apartment, Plot No-10, Stil Floor, K Block, Sector 33, Pl 1&2, Gautam Budh Nagar, Greater Noida-201308
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	06.12.2019 (Order received on 09.12.2019)
7.	Date of invitation of expression of interest	05.02.2020
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The Resolution Professional by email at: bhardwajca@hotmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	The Resolution Professional by email at: bhardwajca@hotmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	20.02.2020
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	26.02.2020
12.	Last date for submission of objections to provisional list	02.03.2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	12.03.2020
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	02.03.2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Resolution Professional by email at: bhardwajca@hotmail.com
16.	Last date for submission of resolution plans	11.04.2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Sealed envelope by post/ by hand to Resolution Professional at the correspondence address. It should also be submitted in electronic mode in a password protected pen drive.
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	06.05.2020
19.	Name and registration number of the resolution professional	Ram Phal Bhardwaj Regd No: IBBI/ IPA-001/IP-P01308/2018-19/12053
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	310/25, Onkar Nagar- B, Tri-Nagar, Delhi- 110035 bhardwajca@hotmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	310/25, Onkar Nagar- B, Tri-Nagar, Delhi- 110035 bhardwajca@hotmail.com
22.	Further Details are available at or with	The Resolution Professional by email at: bhardwajca@hotmail.com
23.	Date of publication of Form G	05.02.2020

RAM PHAL BHARDWAJ
Resolution Professional
For ANS APARTMENTS PRIVATE LIMITED
Regd No:IBBI/ IPA-001/IP-P0308/2018-19/12053
Regd Address: 310/25, Onkar Nagar- B, Tri-Nagar, New Delhi- 110035
Date and Place:05/02/2020 and New Delhi

स्टैण्डर्ड सरफैक्टेंट्स लिमिटेड
सी आई एन : L24243UP1989PLC010950
पंजीकृत कार्यालय : 8/15, आर्य नगर, कानपुर-02
ई मेल : secretarial@standardsurfactants.com;
वेबसाइट : www.standardsurfactants.com

सूचना

[illegible] http://www.standardsurfactants.com [illegible] http://www.bseindia.com
बोर्ड के आदेशानुसार वास्ते स्टैण्डर्ड सरफैक्टेंट्स लि.
हस्ता/–
दिनांक : 04.02.2020 (शिवांश तिवारी)
स्थान : कानपुर कम्पनी सचिव

प्रारूप संख्या आईएनसी–25अ
[illegible]
ऐडू-वैब लिमिटेड
(CIN U72300DL2009PLC203706)
[illegible] 854, वार्ड नं. 6, मेन बाजार, महरौली, नई दिल्ली-110030 [illegible] आवेदक
[illegible]
कृते ऐडू-वैब लिमिटेड
तिथि : 05.02.2020 सिद्धार्थ गुप्ता (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली DIN: 06923987

DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF

IND RENEWABLE ENERGY LIMITED

In compliance with Regulations 3(1) and 4 read with Regulations 13(4) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

OPEN OFFER ("OFFER") FOR ACQUISITION OF UP TO 7,90,000 (SEVEN LACS NINETY THOUSAND ONLY) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 26.10% OF THE TOTAL EQUITY SHARE CAPITAL OF IND RENEWABLE ENERGY LIMITED ("TARGET COMPANY") ON A FULLY DILUTED BASIS, AS OF THE TENTH WORKING DAY FROM THE CLOSURE OF THE TENDERING PERIOD OF THE OPEN OFFER ("VOTING SHARE CAPITAL"), FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF RS.9/- (RUPEES NINE ONLY) PER EQUITY SHARE BY MR. ANUPAM GUPTA AND MR. ABHAY NARAIN GUPTA. ("ACQUIRERS")

THIS DETAILED PUBLIC STATEMENT ("DPS") IS BEING ISSUED BY NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED ("MANAGER"), FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS IN COMPLIANCE WITH REGULATION 13(4) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO, ("TAKEOVER REGULATIONS"), PURSUANT TO THE PUBLIC ANNOUNCEMENT ("PA") FILED WITH BSE LIMITED ("BSE") ("STOCK EXCHANGE") ON JANUARY 29, 2020 IN TERMS OF REGULATIONS 3(1) AND 4 OF THE TAKEOVER REGULATIONS. THE PUBLIC ANNOUNCEMENT WAS FILED WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI") AND SENT TO THE TARGET COMPANY ON JANUARY 30, 2020 BY WAY OF LETTERS DATED JANUARY 30, 2020 IN TERMS OF REGULATION 14(2) OF THE TAKEOVER REGULATIONS.

I. ACQUIRERS, SELLER, TARGET COMPANY AND OFFER

A. Information about the Acquirers

A.1 Mr. Anupam Gupta (Acquirer 1):

a) Mr. Anupam Gupta, (hereinafter referred to as "Acquirer"), son of Mr. Narain Rameshwardas Gupta is an Indian National aged 43 years having PAN, AIQPG8113N and his residential address is B/ 103, Oberoi Gardens, Thakur Village, Kandivali (E) Mumbai 400101, Maharashtra, India. His mobile number is +91 9820534989 and his Email id is: anupam.gup1@gmail.com He is having a Bachelor of Commerce degree from Kurukshetra University and has experience of about 12 (twelve) years in the equity market.

b) The Acquirer is not a part of any group.

c) Acquirer has confirmed that he is not categorized as a "Willful Defaulter" in terms of Regulation (1)(ze)of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. It has further confirmed that it is not appearing in the willful defaulters list of the Reserve Bank of India and is not debarred by SEBI from accessing the capital markets or from dealing in securities in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act, 1992 or under any other Regulation of the SEBI Act, 1992.

d) Acquirer does not have any interest or relationship with the Target Company

e) Acquirer confirms that currently there are no pending litigations pertaining to securities market to which he has been made a party.

f) Acquirer has not held and does not hold any Equity Shares of the Company as on the date of this DPS. Therefore the provisions of chapter V of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and provisions of chapter II of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 and subsequent amendments thereto are not applicable.

g) CA Mukesh Harjani (Membership No. 041899), Proprietor of Harjani & Associates (FRN No. 128545W) Chartered Accountants, having his office at Parishram co-op hsg society, Bldg No.4, Flat no. A/604, Agripada Vakola Highway, Santacruz-E, Mumbai-55, Maharashtra has certified and confirmed that the individual Net Worth of Mr. Anupam Gupta as on December 31, 2019 is Rs.5,20,18,713/- (Rupees Five Crores Twenty Lakhs Eighteen Thousand Seven Hundred Thirteen Only).

h) Mr. Anupam Gupta has been associated with with Pro Fin Capital Services Limited, Asian Commtrade Private Limited, Triyamb Securities Private Limited, Asian Fintrade Services Private Limited, Pro Fin Commodities Private Limited, Koshika Bioscience Private Limited as a Director & with Triumph Minerals & Resources LLP as a Partner and his DIN is 02294687.

A.2. Mr. Abhay Narain Gupta (Acquirer 2):

a) Mr. Abhay Narain Gupta, (hereinafter referred to as "Acquirer"), son of Mr. Narain Rameshwardas Gupta is an Indian National aged 38 years having PAN, AIZPG5166A and his residential address is B/ 103, Oberoi Gardens, Thakur Village, Kandivali (E) Mumbai 400101, Maharashtra, India. His mobile number is +91 9892050006 and his Email id is: abhay.gup1@gmail.com. He has completed his Higher Secondary Examinations from Central Board of Secondary Education and has experience of about 10 (ten) years in the equity market.

b) The Acquirer is not a part of any group.

c) Acquirer has confirmed that he is not categorized as a "Willful Defaulter" in terms of Regulation (1)(ze)of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. It has further confirmed that it is not appearing in the willful defaulters list of the Reserve Bank of India and is not debarred by SEBI from accessing the capital markets or from dealing in securities in terms of the provisions of Section 11B of the SEBI Act, 1992 or under any other Regulation of the SEBI Act, 1992.

d) Acquirer does not have any interest or relationship with the Target Company.

e) Acquirer confirms that currently there are no pending litigations pertaining to securities market to which he has been made a party.

f) Acquirer has not held and does not hold any Equity Shares of the Company as on the date of this DPS. Therefore the provisions of chapter V of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and provisions of chapter II of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 and subsequent amendments thereto are not applicable.

g) CA Mukesh Harjani (Membership No. 041899), Proprietor of Harjani & Associates (FRN No. 128545W) Chartered Accountants, having his office at Parishram Co. Op. Hsg Society, Bldg. No.4, Flat no. A/604, Agripada Vakola Highway, Santacruz-E, Mumbai-55, Maharashtra has certified and confirmed that the individual Net Worth of Mr. Anupam Gupta as on December 31, 2019 is Rs 5,03,46,380/- (Rupees Five Crores Three Lakhs Forty Six Thousand Three Hundred Eighty Only).

h) Mr. Abhay Narain Gupta has been associated with Pro Fin Capital Services Limited, Milgrey Finance And Investments Limited, Apindia Biotech Limited, Asian Commtrade Private Limited, Triyamb Securities Private Limited, Asian Fintrade Services Private Limited, Koshika Bioscience Private Limited as a Director & with Triumph Minerals & Resources LLP as a Partner and his DIN is 02294699.

B. JOINT UNDERTAKINGS / CONFIRMATION BY THE ACQUIRERS:

1. Acquirers undertake that if they acquire any Equity Shares of the Target Company during the Offer Period, they will inform the Stock Exchanges and the Target Company within 24 hours of such acquisitions and they will not acquire any Equity Shares of the Target Company during the period between three working days prior to the commencement of the Tendering Period ("TP") and until the closure of the TP in accordance with Regulation 18(6) of the Regulations.
2. Acquirers have not been prohibited by SEBI from dealing in securities in terms of directions issued under section 11B of the SEBI Act, as amended or under any other regulations made under the SEBI Act. Acquirers also undertake that they will not sell the Equity Shares of the Target Company, held by them during the Offer Period in terms of Regulation 25(4) of the Takeover Regulations.

C. INFORMATION ABOUT THE SELLER

The details of the Seller are set out below:

Sr No.	Name of the Seller	Residential Address	No. of Shares held in the Target Company	% of Share Capital
1	Mr. Jitendra Kantilal Vakharia	48, Sagar Darshan, 81/83, Bhulabhai Desai Road, Mumbai 400036, Maharashtra	1,55,000	5.12
	Total		1,55,000	5.12

Note: Kantilal V. Vakharia (HUF) forming part of Promoters/ Promoter (s) Group will continue to hold 32,400 Equity Shares representing 1.07% of the paid up capital of the Target Company after the completion of Takeover formalities. The said HUF shall be re-classified as Public Shareholder subject to compliance of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR) Regulations, 2015].

- Seller is part of Promoters/ Promoter Group of the Target Company and he does not belong to any Group.
- Seller has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of directions issued under Section 11B of the SEBI Act, 1992 and subsequent amendments thereto or under any other regulations made under the SEBI Act, 1992

D. INFORMATION ABOUT THE TARGET COMPANY, IND RENEWABLE ENERGY LIMITED ("TARGET COMPANY")

1) Target Company was incorporated on September 09, 2011 under the Companies act, 1956 in the name and style as "Vakharia Power Infrastructure Limited" as a public Limited company and obtained the Certificate of Commencement of Business on October 24, 2011. The name of the Company has been changed from "Vakharia Power Infrastructure Limited" to "IND Renewable Energy Limited" with effect from March 19, 2016, bearing the CIN L40102MH2011PLC221715.The registered office of the Target Company is situated at 67, Regent Chambers, Nariman Point, Mumbai-400021, Maharashtra, India. Currently, the TC is involved in the business of electric power generation using solar energy.

2) As on the date of this DPS, Target Company has an Authorized Equity Share Capital of Rs. 10,00,00,000 /- (Rs.10/- Crore Only) comprising of 1,00,00,000 (One Crore) Equity Shares of Rs. 10/- each. The paid up share capital of Target Company is Rs. 3,02,73,600/- (Rupees Three Crores Two Lacs Seventy Three Thousand and Six Hundred Only) comprising of 30,27,360 (Thirty Lakhs Twenty Seven Thousand Three Hundred and Sixty) Equity Shares of Rs.10/- each.

3) The Equity Shares of Target Company are currently listed and traded on BSE Limited (BSE) with symbol as "INDRENEW" Scrip code 536709.

4) The Equity Shares of the Target Company are frequently traded within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations on BSE Limited.

5) As on date of this DPS, there is no subsidiary or holding company of the Target Company.

6) The Share of Target Company has been consolidated in the year of 2017-18, except the said consolidation, there has been no merger, de-merger and spin off in the last three years in the Target Company.

7) Currently, there are no outstanding partly paid up shares or any other convertible instruments to be converted into Equity Shares of the Target Company at a future date.

8) The brief financials of the Target Company as follows:

(Rs. Lakh)

Particulars	For six month period ended Sept. 30, 2019	Financial Year 2019	Financial Year 2018	Financial Year 2017
	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total Revenue	24.69	67.39	41.25	41.01
Net Profit/(Loss) after tax	10.76	28.01	7.33	6.10
EPS	0.36	0.93	0.24	0.02
Net Worth/Shareholders fund	376.41	365.65	328.36	321.02

9) None of the Directors of the Target Company represents the Acquirer.

E. DETAILS OF THE OFFER

1) The Acquirers is making an Offer to acquire up to 7,90,000 (Seven Lac Ninety Thousand Only) Equity Shares of Face Value of Rs.10/- each representing 26.10% of the total issued, subscribed, paid up capital and voting equity share capital of the Target Company (the "Offer Size").

2) This Offer is being made to all the Equity Shareholders of the Target Company, other than the parties to SPA dated January 29, 2020.

3) The Offer is being made at a price of Rs. 9/- (Rupees Nine Only) ("Offer Price") per fully paid up Equity Share, payable in Cash, subject to the terms and conditions set out in the Public Announcement (PA), this Detailed Public Statement (DPS) and the Letter of Offer (LOF), that will be sent to the Shareholders of the Target Company.

4) To the best of knowledge and belief of the Acquirers, as of the date of this DPS, there are no statutory approvals required for this Offer. However, if any statutory that become applicable prior to completion of this Offer, this Offer would be subject to the receipt of such other statutory approvals that may become applicable at a later date. In terms of regulation 23(1) (a) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, if the statutory approvals are not received or are refused, the Offer would stand withdrawn.

5) This is not a Competitive Bid in terms of regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

6) This Offer is not conditional upon any minimum level of acceptance by the Equity Shareholders of the Target Company in terms of Regulation 19(1) of the SEBI (SAST) Regulations. The Acquirer will acquire all the Equity Shares of the Target Company that are validly tendered as per terms of the Offer upto a maximum of 7,90,000 (Seven Lac Ninety Thousand Only) Equity Shares of Face value of Rs.10/- each representing 26.10% of the total issued, subscribed, paid up capital and voting equity Share capital of the Target Company.

7) There are no conditions stipulated in the SPA between the Seller and Acquirers, the meeting of which would be outside the reasonable control of the Acquirers and in view of which the Offer might be withdrawn under regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

8) As on the date of this DPS, the Manager to the Offer, Navigant Corporate Advisors Ltd does not hold any Equity Shares in the Target Company. The Manager to the Offer further declares and undertakes that they will not deal on their own account in the Equity Shares of the Target Company during the Offer Period.

9) The SPA is subject to compliance of provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011 and in case of non-compliance with the provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011, the SPA shall not be acted upon by the Seller and Acquirers.

10) There are no partly paid shares and there are no convertible instruments which are pending conversion.

11) To the best of the knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required by the Acquirers to complete this Offer. The offer would be subject to all the statutory approvals that may become applicable at a later date.

12) The Equity Shares of the Target Company will be acquired by the Acquirers as fully paid up, free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights offer declared thereof.

13) The Manager to the Offer does not hold any Equity Shares in the Target Company as on the date of appointment as Manager to the Offer and as on the date of this Detailed Public Statement. The Manager to the Offer further declares and undertakes that it shall not deal in the Equity Shares of the Target Company during the period commencing from the date of its appointment as Manager to the Offer till the expiry of 15 days from the date of closure of this Open Offer.

14) The Offer (assuming full acceptance to the Offer Size) will not result in the minimum public shareholding (MPS) to fall below 25% of Equity & Voting Capital of the Target Company in terms of Regulation 38 of the Listing Regulations read with Rule 19A(1) of the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957 ("SCRR").

II. BACKGROUND TO THE OFFER

1. The Acquirers have entered into Share Purchase Agreement with Seller dated January 29, 2020 for the acquisition of 7,90,000 fully paid-up equity shares of Rs.10/- each representing 26.10 % of the total issued, subscribed, paid up capital and voting equity share capital of the Target Company at a Price of Rs.9/- (Rupees Nine Only) per share aggregating to 71,10,000 (Rupees Seventy One Lacs Ten Thousand only), subject to the terms and conditions as contained in the SPA.
2. Some Salient Features of SPA are as follows:
   - SPA dated 29th January, 2020 between Acquirer and Sellers for acquisition of 1,55,000 Equity Shares constituting 5.12% of the fully paid up and voting equity share capital along with control at a price of Rs. 8.50/- per Equity Share.
   - The Total consideration for sale shares shall be Rs. 13,17,500/- (Rupees Thirteen Lacs Seventeen Thousand Five Hundred Only)
   - Acquirer and Sellers agree to take steps to comply with regulations and laws that may be required to give effect of transfer of sale shares.
3. As on the date of this DPS, Consequent upon acquisition of Sale Shares, the shareholding of the Acquirers will hold 1,55,000 equity shares constituting 5.12% of the Existing Share & Voting Capital of Target Company. Pursuant to SPA, the Acquirers shall hold the significant equity shares by virtue of which they shall be in a position to exercise control over management and affairs of the Target Company. This Offer is being made under regulation 3(1) and 4 of the Takeover Regulations. Upon consummation of the transactions contemplated in the SPA, the Acquirers will also acquire control over the Target Company and the Acquirer shall become the promoters of the Target Company upon compliance with the provisions of regulation 31A(5) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. As such, this Offer is also being made under regulation 4 of the Takeover Regulations.
4. The prime objective of the Acquirers behind the acquisition is to have substantial holding of Equity shares and voting rights accompanied with the change in management and control of the Target Company and to classify the Acquirers as 'Promoters' of the Target Company, in accordance with the provisions of Regulation 31A (8) of the SEBI (LODR) Regulations. The Acquirers proposes to continue the existing business of the Target Company. However, no firm decision in this regard has been taken or proposed so far. The Acquirers reserves the right to modify the present structure of the business in a manner which is useful to the larger interest of the shareholders. Any such change in the structure that may affect the larger interest of the shareholders will be done with prior approval of shareholders at a general body meeting of Target Company in accordance with regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011 and in accordance with the laws applicable. The Acquirers may diversify, reorganize and/or streamline the business of Target Company for commercial reasons and operational efficiencies.
5. The Acquirers have intention to sell, dispose off or otherwise encumber any significant assets of Target Company and may also in the ordinary course of business of Target Company and future policy for disposal of assets, if any, will be decided by its Board of Directors, subject to the applicable provisions of the law and the prior approval of the shareholders at a general body meeting of Target Company in accordance with regulation 25(2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

Details	Acquirers	
	No. of Shares	%
Shareholding as on the PA date*	Nil	NA
Shares agreed to be acquired under SPA(s)	1,55,000	5.12
Shares acquired between the PA date and the DPS date	Nil	NA
Shares to be acquired in the Offer [assuming full acceptance]	7,90,000	26.10
Post Offer shareholding (*) [assuming full acceptance] (On Diluted basis, as on 10th working day after closing of tendering Period)	9,45,000	31.22

IV. OFFER PRICE

1) The Equity Shares of Target Company are currently listed and traded on and on BSE Limited (BSE) with symbol as "INDRENEW" Scrip code 536709.

2) The annualized trading turnover of the equity shares of the Target Company on BSE Limited, based on trading volume during twelve calendar months preceding the month of PA (January, 2019 to December, 2019) is given below:

Name of the Stock Exchange	Total number of equity shares traded during twelve calendar months preceding the month of PA	Total Number of Listed Equity Shares	Trading Turnover (in terms of % to Total Listed Equity Shares)
BSE	24,21,071	30,27,360	79.97%

3) Based on above, the equity shares of the Target Company are frequently traded within the meaning of Regulation 2(1)(j) of the SEBI (SAST) Regulations on BSE Limited.

4) The Offer Price of **Rs.9.00/-** Equity Share is justified, in terms of Regulation 8(2) (e) of the SEBI (SAST) Regulations and the same has been determined after considering the following facts:

(a)	Highest Negotiated Price per equity share for any acquisition under the Agreement attracting the obligation to make the PA	Rs.8.50
(b)	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition during the 52 week immediately preceding the date of the PA	Not Applicable
(c)	The highest price paid or payable for any acquisition during 26 weeks period immediately preceding the date of PA	Not Applicable
(d)	The volume-weighted average market price for a period of 60 trading days immediately preceding the date of PA on Stock Exchanges	Rs.8.78
(e)	Where the shares are not frequently traded, the price determined by Acquirer and the Manager taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies	Not Applicable

5) Based on the information above, the Manager to the Offer and Acquirers confirm that the Offer price of Rs.9/- (Rupees Nine Only) per fully paid up equity share is justified in terms of Regulation 8(2) (e) of SEBI (SAST) Regulations, 2011.

6) There have been no corporate actions in the Target Company warranting adjustment of relevant price parameters.

7) In the event of further acquisition of Equity Shares of the Target Company by the Acquirers during the offer period, whether by subscription or purchase, at a price higher than the Offer Price, then the Offer Price will be revised upwards to be equal to or more than the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. However, Acquirers shall not be acquiring any Equity Shares of the Target Company after the third working day prior to the commencement of the tendering period and until the expiry of the tendering period.

8) If the Acquirers acquire Equity Shares of the Target Company during the period of twenty-six weeks after the tendering period at a price higher than the Offer Price, then the Acquirers shall pay the difference between the highest acquisition price and the Offer Price, to all shareholders whose shares have been accepted in Offer within sixty days from the date of such acquisition. However, no such difference shall be paid in the event that such acquisition is made under an open offer as per the SEBI (SAST) Regulations, 2011, or pursuant to SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, or open market purchases made in the ordinary course on the stock exchange, not being negotiated acquisition of shares of the Target Company whether by way of bulk / block deals or in any other form.

9) As on date, there is no revision in Open Offer Price or Open Offer Size. In case of any revision in the Open Offer Price or Open Offer Size, the Acquirers shall comply with Regulation 18 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 and all other applicable provisions of SEBI (SAST) Regulations, 2011 which are required to be fulfilled for the said revision in the Open Offer Price or Open Offer Size.

10) If there is any revision in the offer price on account of future purchases / competing offers, it will be done only up to the period prior to three working days before the date of commencement of the tendering period and would be notified to the shareholders.

V. FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. Assuming full acceptance, the total funds requirement to meet this Offer is Rs.71,10,000/- (Rupees Seventy One Lakhs Ten Thousand Only).
2. The Networth of the Mr. Anupam Gupta (Acquirer 1) and Mr. Abhay Gupta (Acquirer 2) as on December 31, 2019 is Rs.5,20,18,713/- (Rupees Five Crores Twenty Lakhs Eighteen Thousand Seven Hundred Thirteen Only) and Rs.5,03,46,380/- (Rupees Five Crores Three Lakhs Forty Six Thousand Three Hundred Eighty Only) respectively and the same is certified by CA Mukesh Harjani (Membership No. 041899), Proprietor of Harjani & Associates (FRN No. 128545W) Chartered Accountants having his office at Parishram co-op hsg society, Bldg No.4, Flat no. A/604, Agripada Vakola Highway, Santacruz-E, Mumbai-55, Maharashtra, India vide his certificate dated December 31, 2019 and has sufficient liquid funds as on date to fulfill his monetary obligations under this open offer.
3. In accordance with Regulation 17(1) of the Takeover Regulations, the Acquirers have opened an escrow cash account bearing Account No 0213818324 ("Escrow Cash Account") with Kotak Bank, acting for the purpose of this agreement through its branch situated at 27 BKC, 2nd Floor, Plot No C-27, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 and have made a cash deposit of Rs. 20,00,000 (Rupees Twenty Lacs Only) in the Escrow Cash Account. The cash deposited in Escrow Cash Account represents more than 25% of the total consideration payable to the Equity Shareholders under this Offer. The Acquirer has empowered the Manager to the Offer to operate and to realize the value of the Escrow Account in terms of Regulation 21(1) of the SEBI (SAST) Regulations.
4. In case of any upward revision in the Offer Price or the size of this Offer, the value in cash of the Escrow Amount shall be computed on the revised consideration calculated at such revised offer price or offer size and any additional amounts required will be funded by the Acquirers, prior to effecting such revision, in terms of Regulation 17(2) of the Takeover Regulations.
5. Based on the above Navigant Corporate Advisors Ltd, Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirers to implement the offer in full accordance with the SEBI (SAST) Regulations.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. As of the date of this DPS, to the best of the knowledge of the Acquirers, there are no statutory approvals required by the Acquirers to complete this Offer. However, in case of any such statutory approvals become applicable at a later date before the expiry of the tendering period, this Offer shall be subject to such approvals and the Acquirers shall make the necessary applications for such statutory approvals.
2. If any of the public shareholders of the Target Company that are not resident in India (such NRIs, OCBs and FIIs) require any approvals inter-alia from the Reserve Bank of India or any regulatory body for the transfer of any Equity Shares to the Acquirers, they shall be required to submit such approval along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. If such approval is not submitted, the Acquirers reserves the right to reject the Equity Shares tendered by such shareholders that are not resident in India.
3. Subject to the receipt of statutory and other approvals, if any, the Acquirers shall complete all procedures relating to payment of consideration under this Offer within 10 working days from the date of expiry of the tendering period to those Equity Shareholders whose share certificates and/or other documents are found valid and in order and are accepted for acquisition by the Acquirers.
4. In terms of Regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations, the Acquirers shall be responsible to pursue all statutory approvals required by the Acquirers in order to complete the Open Offer without any default, neglect or delay. In case of delay in receipt of any statutory approval, the SEBI may, if satisfied that delayed receipt of the requisite approvals was not due to any willful default or neglect of the Acquirers or the failure of the Acquirers to diligently pursue the application for the approval, grant extension of time for the purpose, subject to the Acquirers agreeing to pay interest to the shareholders as directed by the SEBI, in terms of regulation 18(11) of the SEBI (SAST) Regulations. Further, if delay occurs on account of willful default by the Acquirers in obtaining the requisite approvals, regulation 17(9) of the SEBI (SAST) Regulations will also become applicable and the amount lying in the Escrow Account shall become liable for forfeiture.
5. In terms of Regulation 23(1) of the SEBI (SAST) Regulations, if any of the conditions precedent and other conditions as stated in the SPA and Share Sale/Purchase Confirmation or approvals mentioned in paragraph VI (1) and (2) are not satisfactorily complied with or any of the statutory approvals are refused, the Acquirers have a right to withdraw the Offer. In the event of withdrawal, a public announcement will be made within two (2) working days of such withdrawal, in the same newspapers in which this DPS has been published and such public announcement will also be filed with SEBI, the Stock Exchange and the registered office of the Target Company.

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITY

MAJOR ACTIVITIES	DAY & DATE
Public Announcement (PA)	Wednesday, January 29, 2020
Publication of DPS in the newspapers	Wednesday, February 05, 2020
Filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Wednesday, February 12, 2020
Last date for a Competitive bid	Friday, February 28, 2020
Last date for SEBI observations on draft letter of offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager to the Offer)	Friday, March 06, 2020
Identified Date*	Wednesday, March 11, 2020
Letter of Offer to be dispatched to shareholders	Wednesday, March 18, 2020
Last date for revising the Offer price/ number of shares	Tuesday, March 24, 2020
Last Date by which the committee of the independent directors of the Target Company shall give its recommendation	Monday, March 23, 2020
Date of publication of Offer Opening Public Announcement	Tuesday, March 24, 2020
Date of commencement of Tendering Period (Offer Opening Date)	Thursday, March 26, 2020
Date of Expiry of Tendering Period (Offer Closing Date)	Monday, April 13, 2020
Last Date for completion of all requirements including payment of consideration	Tuesday, April 28, 2020

** The Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders as on such date to whom the letter of offer ("Letter of Offer") would be mailed. It is clarified that all the equity shareholders of the Target Company (registered or unregistered) of the equity shares of the Target Company (except the Acquirers, Seller and promoter group shareholders of the Target Company) are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of this Offer.*

VIII. ELIGIBILITY TO PARTICIPATE IN THE OFFER AND PROCEDURE FOR TENDERING THE SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. All public shareholders of the Target Company except the parties to SPA, holding the shares in dematerialized form, registered or unregistered, are eligible to participate in this Offer at any time during the tendering period of this Offer. Please refer to Point 8 below of this part, for details in relation to tendering of offer shares held in physical form.
2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Draft Letter of Offer, may also participate in this Offer.
3. The Open Offer will be implemented by the Company through Stock Exchange Mechanism made available by BSE Limited (BSE) in the form of separate window (Acquisition Window) as provided under the SEBI SAST Regulations and SEBI Circular CIR/CFD/POLICY/CELL/1/2015 dated April 13, 2015 and CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 issued by SEBI.
4. BSE shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of tendering shares in the Open Offer.
5. The Acquirers have appointed Buying Broker for the Open Offer through whom the purchases and the settlement of the Open Offer shall be made during the tendering period. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name	Shreni Shares Private Limited
Address	Office no. 102, Sea Lord CHS, above Axis Bank, Ram Nagar, Borivali (West), Mumbai-400092
Tel.	022 28088456
E-mail ID	shrenishares@gmail.com
Contact Person	Mr. Parth Shah

6. The facility for acquisition of shares through Stock Exchange mechanism pursuant to Offer shall be available to the Stock Exchange in the form of a separate window (Acquisition Window).
7. All the shareholders who desire to tender their shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock broker ("Selling Broker") during the normal trading hours of the secondary market during tendering period.
8. As per the proviso to Regulation 40(1) of the LODR Regulation (as amended by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Fourth Amendment) Regulations, 2018), effective from April 01, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with the depository. Accordingly, the public shareholders who are holding Equity Shares in physical form and are desirous of tendering their equity shares in the Open Offer can do so only after the Equity Shares are dematerialized. Such public shareholders are advised to approach any depository participant to have their Equity Shares dematerialized.

IX. THE DETAILED PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN THIS OFFER WILL BE AVAILABLE IN THE LETTER OF OFFER.

X. OTHER INFORMATION

1. The Acquirers, Sellers and the Target Company have not been prohibited by SEBI from dealing in securities under directions issued pursuant to Section 11B or under any other regulations made under SEBI Act.
2. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this DPS & PA and also for the obligations of the Acquirers laid down in the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and subsequent amendments made thereto.
3. Pursuant to regulation 12 (1) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 the Acquirers have appointed, Navigant Corporate Advisors Limited, as the Manager to the Offer.
4. The Acquirers has appointed Alankit Assignments Limited as the Registrar to the Offer, having office at 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extn. New Delhi-110055, India; Tel. No. +91 11 4254 1234;2354 1234; Email-rta@alankit.com; Investor Grievance E mail-abhijitd@alankit.com; Contact Person: Mr. Abhinav Kumar Agarwal/ Mr. Abhijit Deb; SEBI Registration No. INR000002532
5. This DPS is being issued on behalf of the Acquirers by the Manager to the Offer
6. This DPS will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS MR. ANUPAM GUPTA AND MR. ABHAY NARAIN GUPTA

Navigant

NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED
423, A Wing, Bonanza, Sahar Plaza Complex,
J B Nagar, Andheri Kurla Road,
Andheri East, Mumbai-400 059 Tel No. +91-22-4120 4837
Email Id:navigant@navigantcorp.com
Investor Grievance Email: info@navigantcorp.com Website: www.navigantcorp.com
SEBI Registration Number: INM000012243
Contact Person: Mr. Sarthak Vijlani

Date: February 04, 2020
Place: Mumbai

सूचकांक ने लगाई 917 अंक की लंबी छलांग, निफ्टी 12,000 अंक के करीब

मुंबई, 4 फरवरी (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार का सूचकांक मंगलवार को 917 अंक की लंबी छलांग लगाकर अपने बजट पूर्व स्तर पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में स्थिरता से निवेशकों ने राहत की सांस ली है। निवेशकों की चौतरफा लिवाली से बाजार में जोरदार उछाल आया। यह चार माह में सूचकांक की एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त है। बजट वाले दिन यानी शनिवार को बाजार में जोरदार बिकवाली देखने को मिली थी।

बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाले सूचकांक में मंगलवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में लाभ दर्ज हुआ। सूचकांक 917.07 अंक या 2.30 फीसद की छलांग के साथ 40,789.38 अंक पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इसने 40,818.94 अंक का उच्चस्तर भी छुआ। यह 23 सितंबर, 2019 के बाद से सूचकांक की एक दिन की सबसे ऊंची बढ़त है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 271.75 अंक या 2.32 फीसद की बढ़त के साथ 11,979.65 अंक पर पहुंच गया। यह करीब चार माह में निफ्टी में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त है। शनिवार को बजट के दिन सूचकांक में जोरदार गिरावट आई थी। यह करीब एक दशक में सूचकांक की सबसे बड़ी गिरावट थी। बजट बाजार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। लेकिन पिछले दो कारोबारी सत्रों के दौरान बाजार में तेजी का सिलसिला लौटा है। इससे पता चलता है कि निवेशकों ने बजट की निराशा को पीछे छोड़ दिया है और अब वे बाजार की दिशा तय करने वाले अन्य कारकों की ओर देख रहे हैं।

सोमवार को विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां जनवरी में आठ साल के उच्चस्तर पर पहुंच गईं। इससे बाजार लाभ के साथ बंद हुए। बजट के बाद यह शेयर बाजारों का पहला कारोबारी सत्र था। सूचकांक की कंपनियों में टाइटन का शेयर सबसे अधिक 7.97 फीसद चढ़ गया। आइटीसी, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर बजाज आटो और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में गिरावट रही। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 1.37 फीसद तक चढ़ गए।

सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के पोर्टफोलियो प्रबंधक (इक्विटी निवेश उत्पाद) हेमांग कपासी ने कहा– वैश्विक बाजारों में बढ़त के बीच भारतीय बाजारों में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। बजट के दिन हुए नुकसान की पूरी भरपाई बाजार ने कर ली है और अब सूचकांक बजट पूर्व स्तर के पास है। निवेशकों की निगाह अब कंपनियों के तिमाही नतीजों पर है। कई कंपनियों के बेहतर नतीजों से उन्हें राहत मिली है। विश्लेषकों ने कहा कि जानलेवा कोरोना वायरस को काबू किए जाने के प्रयासों और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ।

एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निक्की और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार भी लाभ में थे। ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.96 फीसद की बढ़त के साथ 54.97 डॉलर प्रति बैरल पर था। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे की बढ़त के साथ 71.27 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

'कृत्रिम मेधा आधारित प्रणाली से लघु उद्योगों को कर्ज मिलने में होगी सुविधा'

बंगलुरु, 4 फरवरी (भाषा)।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गज नंदन निलेकणि ने मंगलवार को कृत्रिम मेधा आधारित कर्ज वितरण प्रणाली की वकालत की। उन्होंने कहा कि इससे खासकर लघु व मझोले उद्यमों के लिये कर्ज तक पहुंच आसान हो जाएगी।

निलेकणि ने यहां एक कार्यक्रम में कहा– हमें मौजूदा चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से हमारे समक्ष बैंक के फंसे कर्ज (एनपीए), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एनपीए के मामले हैं लेकिन इससे एक नई व्यवस्था उभरेगी जिसमें कर्ज पूरी तरह से प्रौद्योगिकी और डेटा आधारित होगा। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआइ) आधारित प्रणाली व्यापार प्रवाह पर आधारित होगी न कि संपत्ति पर आधारित।

भारत का वृद्धि अनुमान महत्त्वाकांक्षी : मूडीज

नई दिल्ली, 4 फरवरी (भाषा)।

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद संरचनात्मक और चक्रीय चुनौतियों को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 2020-21 के बजट में आर्थिक वृद्धि का अनुमान महत्त्वाकांक्षी लगता है।

> चालू वित्त वर्ष में 4.9 फीसद रह सकती है आर्थिक वृद्धि दर

बजट में वर्तमान बाजार मूल्य पर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 10 फीसद और 2021-22 व 2022-23 में क्रम से 12.6 और 12.8 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है। मूडीज ने अगले वित्त वर्ष में वृद्धि दर (बाजार मूल्य पर) 8.7 फीसद रहने का अनुमान जताया है जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके 7.5 फीसद रहने की संभावना है।

रेटिंग एजंसी ने कहा कि वृद्धि परिदृश्य कमजोर बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 4.9 फीसद रहने का अनुमान है जो सरकार के 5 फीसद के अनुमान से कम है। वहीं अगले वित्त वर्ष में इसके 5.5 फीसद रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि आर्थिक समीक्षा में इसके 6 से 6.5 फीसद रहने की संभावना जताई गई है। बजट पर अपनी टिप्पणी में मूडीज ने कहा– वृद्धि अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है। चक्रीय चुनौतियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जारी दबाव के कारण वित्तीय प्रणाली पर कर्ज देने को लेकर दबाव है जिसका असर खपत और निवेश पर पड़ा है। एजंसी ने 2020-21 के लिए आर्थिक वृद्धि अनुमान को 6.3 फीसद से कम कर 5.5 फीसद कर दिया है। वहीं 2021-22 में इसके 6 फीसद रहने का अनुमान जताया गया है जबकि पूर्व में 6.7 फीसद रहने की संभावना जताई थी।

मूडीज ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में नरमी की स्थिति है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआइ) से कर्ज वृद्धि में बाधा है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संपत्ति गुणवत्ता मसले से निजी क्षेत्र का निवेश कमजोर है। साथ ही ग्रामीण परिवारों में वित्तीय दबाव और रोजगार सृजन में कमी से खपत मांग कमजोर बनी हुई है।

पिछले महीने सरकार के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्तमान मूल्य पर जीडीपी वृद्धि 2019-20 में घटकर करीब 7.5 फीसद रह सकती है। मूडीज ने यह भी कहा कि सरकार को मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण वृद्धि के समक्ष संरचनात्मक और चक्रीय चुनौतियां हैं। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.5 फीसद रहने का अनुमान जताया है।

घरेलू उद्योगों के हित में बढ़ाया गया कुछ तैयार उत्पादों पर सीमा शुल्कः सीतारमण

नई दिल्ली, 4 फरवरी (भाषा)।

रसोई के बर्तन, घरेलू सामान और चप्पल जूते पर सीमा शुल्क बढ़ाने से इन वस्तुओं के महंगे होने को लेकर बढ़ रहे अंदेशे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के इरादे से ही बजट में कुछ तैयार उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाया है। जिन वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है, उनमें से ज्यादातर का उत्पादन देश में पहले से हो रहा है।

सीतारमण ने बजट बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि जिन वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है, उनमें से ज्यादातर का उत्पादन देश में हो रहा है। देशहित में और छोटे उद्योगों का ध्यान रखते हुए ही इन पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री के शनिवार को पेश 2020-21 के बजट में चप्पल, जूतों पर सीमा शुल्क 25 फीसद से बढ़ाकर 35 फीसद, चीन से आयात होने वाले खाने-पीने के बर्तन, रसोई के बर्तन, पानी का फिल्टर (40 लीटर तक क्षमता वाले) और घरों में उपयोग होने वाले अन्य सामान पर आयात शुल्क 10 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद किया गया है। इसी प्रकार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अखरोट पर सीमा शुल्क 30 फीसद से बढ़ाकर सीधे 100 फीसद, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर सीमा शुल्क 10 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद किया गया है।

सीतारमण ने कहा कि इन वस्तुओं का देश में भी उत्पादन हो रहा है। इनकी गुणवत्ता में भी ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इनके आयात पर शुल्क बढ़ाया गया है ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। जो उत्पाद हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उसकी जरूरत है तो आप उसे मंगाइए। हमें तो यह देखना है कि देश हित में है कि नहीं, छोटे उद्योगों को फायदा होगा कि नही। उन्होंने कहा कि इनमें कच्चे माल को शामिल नहीं किया गया है। मध्यवर्ती सामान भी इनमें शामिल नहीं होगा। ऐसे सामान पर शुल्क नहीं बढ़ाया गया है।

विदेश यात्रा करने या विदेशों में बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने पर सात लाख रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करने को भी कर के दायरे में लाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा– आप विदेश भेज रहे हैं कोई समस्या नहीं, एक साल में सात लाख रुपए सेज्यादा खर्च कर रहे हैं, आपकी कमाई कितनी होगी, उसमें से सरकार यदि थोड़ा बहुत लेती है तो कोई बुराई नहीं।

गेल के पाइप लाइन कारोबार को अलग करने के लिए मंत्रिमंडल नोट जारी

नई दिल्ली, 4 फरवरी (भाषा)।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल (इंडिया) लि. के पाइपलाइन कारोबार को अलग कर नई कंपनी बनाने की मंजूरी को लेकर मंत्रिमंडल नोट जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य बाद में अलग की गई इस इकाई को रणनीतिक निवेशक को बेचना है। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।

गेल भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस विपणन कंपनी है। देश में 16,981 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क में 70 फीसद से अधिक हिस्सेदारी है। प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वालों की यह शिकायत रही है कि अपने ईंधन के परिवहन को लेकर गेल की 12,160 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क तक उनकी पहुंच सुगम नहीं है। सूत्रों ने कहा कि एक ही इकाई के दो काम करने से उत्पन्न मसले के समाधान को लेकर गेल के विभाजन पर विचार किया जा रहा है।

विभाजन के बाद गेल का मुख्य कारोबार प्राकृतिक गैस का विपणन और पेट्रोरसायन का उत्पादन होगा। उसे अनुषंगी इकाई से पाइपलाइन सुविधा को किराए पर लेना होगा और नियामक द्वारा मंजूर शुल्क देना होगा। कंपनी उन गैस बिक्री समझौते का क्रियान्वयन कर सकेगी जिस पर उसने हस्ताक्षर किया हुआ है और एलएनजी के आयात के लिए खरीद समझौते के तहत बाध्यताओं को पूरा कर सकेगी।

मंत्रालय ने पाइपलाइन कारोबार के स्थानांतरण कर उसे सौ फीसद अनुषंगी इकाई में तब्दील करने को लेकर पिछले महीने नोट जारी किया। प्रस्ताव के तहत पाइपलाइन कारोबार के साथ-साथ उससे सीधे तौर पर जुड़े कर्मचारियों को नई अनुषंगी में रखा जाएगा।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ई-नीलामी बिक्री सूचना

(भारत सरकार का उपक्रम)

ओ.बी.सी

Resolution Recovery & Law कलस्टर (दक्षिण और पूरब) 92/ई1, आर के मार्किट, मुनिरका, नई दिल्ली-110067, फोन : 26108530, 26108531, ई-मेलः rrl_7670@obc.co.in

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा (नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 20.02.2020 को बेचा जाएगा। ई-नीलामी सेवा प्रदाता https://bankauctions.in के माध्यम से की जाएगी। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार. **धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 19-02-2020 को सांय 5.00 बजे तक है।**

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम (सांकेतिक / भौतिक कब्जा)	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख/समय	बकाया राशि (जमानती कर्ज)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण
1	1) मैसर्स ए आर बायोटेक हर्बल प्रा. लि. 2) श्री अभिसार रस्तोगी (निदेशक) 3) श्री अभिज्ञान रस्तोगी (निदेशक) 4) श्री राजेश कुमार रस्तोगी (निदेशक)	सम्पूर्ण द्वितीय तल, नं. 2, ब्लॉक-डी, आनुपातिक स्वामित्व अधिकारों के साथ छत पर एक सर्वेंट क्वार्टर, फ्रीहोल्ड भूमि क्षेत्रफल 400 वर्ग गज, जोकि साकेत, नई दिल्ली में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अभिसार रस्तोगी पुत्र श्री राजेश कुमार रस्तोगी के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 323.00 लाख / ₹ 32.30 लाख / ₹ 1.00 लाख	20-02-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 7,25,07,626.68 दिनांक 31.10.2019 तक और दिनांक 01.11.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
2	1. मैसर्स चीना इंटरनेशनल 2. श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नी दलजीत सिंह (पार्टनर) 3. श्री चरणजीत सिंह (पार्टनर) 4. श्री गुलजार सिंह (गारंटर)	1) द्वितीय तल रिहायशी सम्पत्ति नं. 18, ब्लॉक नं. 16, गीता कॉलोनी, दिल्ली – 110031 में स्थित, क्षेत्रफल 101.00 वर्ग गज (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 57.00 लाख / ₹ 5.70 लाख / ₹ 0.20 लाख	20-02-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 1,34,25,686/- दिनांक 31.08.2019 तक और दिनांक 01.08.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		(2) तृतीय तल रिहायशी सम्पत्ति नं. 18, ब्लॉक नं. 16, गीता कॉलोनी, दिल्ली – 110031 में स्थित, क्षेत्रफल 101.00 वर्ग गज, (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 57.00 लाख / ₹ 5.70 लाख / ₹ 0.20 लाख			
3	1. मैसर्स मल्टी इंडस्ट्रीज 2. श्री रजत गांधी (प्रोपराइटर) 2. श्री भीम सेन गांधी (गारंटर)	रिहायशी मकान/सम्पत्ति नं. 1312, शिव मूर्ति के पास, सैक्टर-4, गुडगाँव, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री भीम सैन गाँधी के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 181.00 लाख / ₹ 18.10 लाख / ₹ 1.00 लाख	20-02-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 2,10,28,134/- दिनांक 31.10.2019 तक और दिनांक 01.11.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
4	1. नेहा दुबे 2. गौरव राज	फ्लैट नं. जी-1, सम्पत्ति नं. ए-69, (भूतल बिना छत के अधिकार) डीएलएफ दिलशाद एक्स. II, मोपुरा, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 700 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति नेहा दुबे और श्री गौरव राज के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 23.40 लाख / ₹ 2.34 लाख / ₹ 0.10 लाख	20-02-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 30,47,332/- दिनांक 31.10.2019 तक और दिनांक 01.11.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
5	1) मैसर्स प्योर प्ले स्पोर्ट्स 2) श्री विष्णु भगत 3) श्री सत्य पाल मैनी 4) श्री अनिल चोपड़ा 5) श्रीमती मीना सोनी 6) श्रीमती सोनू कुकरेजा	1. साम्यिक बंधक डीजेए सीजीएचएस सोसायटी फ्लैट बी-229, 10वां तल, सैक्टर-13, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 में स्थित, क्षेत्रफल 1100 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्री अनिल चोपड़ा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 121.00 लाख / ₹ 12.10 लाख / ₹ 0.70 लाख	20-02-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 11,85,18,790.90 दिनांक 31.10.2019 तक और दिनांक 01.11.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		2. साम्यिक बंधक सम्पत्ति नं. 9, रोड नं. एस-20, I और II तल, फेज-III, डीएलएफ कुतुब एन्कलेव काम्पलैक्स गाँव नाथुपुर, तहसील और जिला गुडगाँव, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 264 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्रीमती सोनू कुकरेजा के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 206.00 लाख / ₹ 20.60 लाख / ₹ 1.00 लाख			
6	1. मैसर्स विवेक ट्रेडिंग कंपनी, 2. रितु अग्रवाल पत्नी शिवांश अग्रवाल (प्रोपराइटर) 3. मुदित बिल्डटेक प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर और बंधककर्ता) 4. श्री शरद गुप्ता पुत्र बंगाली बाबू गुप्ता (गारंटर/बंधककर्ता)	1. फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट नं. 55, जोकि न्याय खंड-1, रिहायशी कॉलोनी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद (यू.पी.) में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स मुदित बिल्डटेक प्रा. लि. के नाम पर है। (भौतिक कब्जा) भार: कुछ नहीं	₹ 138.00 लाख / ₹ 13.80 लाख / ₹ 0.50 लाख	20-02-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 9,16,46,109 दिनांक 31.10.2019 तक और दिनांक 01.11.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		2. औद्योगिक सम्पत्ति म्युनिसिपल नं. 90-बी, नया नं. 90-बी/5, जोकि प्रकाश औद्योगिक ईस्टेट, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी.-201005 में स्थित, भूमि क्षेत्रफल 170.93 वर्ग मी., या 204.44 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री शरद पुत्र श्री बंगाली बाबू गुप्ता के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार: कुछ नहीं	₹ 210.60 लाख / ₹ 21.00 लाख / ₹ 0.50 लाख			
7	1) मैसर्स श्री नेहा साड़ी 2) श्री विकास शर्मा पुत्र श्री जय भगवान (प्रोप.) 3) श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री विकास शर्मा (गारंटर) 4) श्री जय भगवान शर्मा पुत्र श्री नेत राम शर्मा (गारंटर)	साम्यिक बंधक फ्लैट द्वितीय तल, बिना छत के अधिकार, फ्लैट नं. 3, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, साथ में आम सीढ़ियां, रास्ता, प्रवेश और भूतल पर 1 स्कूटर पार्किंग, नीचे की भूमि के हिस्से का आनुपातिक हिस्सा, सम्पत्ति नं. 341/8 का हिस्सा, प्लॉट नं. 8, जोकि गाँव चन्द्रावली बनाम शाहदरा, श्री राम कॉलोनी की आबादी, भोला नाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती मीनाक्षी पत्नी श्री विकास कुमार के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 49.00 लाख / ₹ 4.90 लाख / ₹ 0.50 लाख	20-02-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 42,67,687/- दिनांक 31.10.2019 तक और दिनांक 01.11.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
8	1) मैसर्स भावी क्रिएशन 2) श्री प्रीत पाल सिंह 3) श्रीमती सीमा शर्मा	(1) रिहायशी सम्पत्ति जोकि भूतल (बिना छत के अधिकार के), ई-9, हौज़ खास, दिल्ली-110016 में स्थित, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री प्रीत पाल सिंह पुत्र श्री करम सिंह के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 384.00 लाख / ₹ 38.40 लाख / ₹ 1.00 लाख	20-02-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	वर्तमान बकाया ₹ 6,03,95,291/- दिनांक 31.05.2019 तक और दिनांक 01.06.2019 से भविष्य का ब्याज और लागत और प्रभार इत्यादि	E-Auction A/C: 01791181000079 IFSC: ORBC0100179 Name of A/c: EMD A/c Circle Office-Delhi (South East)
		(2) रिहायशी सम्पत्ति जोकि प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के), ई-9, हौज़ खास, दिल्ली-110016 में स्थित, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री प्रीत पाल सिंह पुत्र श्री करम सिंह के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा) भार : कुछ नहीं	₹ 240.00 लाख / ₹ 24.00 लाख / ₹ 1.00 लाख			

नियम एवं शर्तें

1. धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 19.02.2020 को सांय 5.00 बजे तक है।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नही है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण-भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
3. सम्पत्ति(यों) का निरीक्षण दिनांक 11.02.2020 को पूर्वा. 11.00 से अपर्रा. 4.00 बजे के बीच किया जा सकता है।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को भागीदारी और पूर्व बोली औपचारिकताओं हेतु https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर पंजीकरण करना होगा। और संपत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए और संपत्ति के निरीक्षण के लिए मुख्य प्रबंधक, RR&L कलस्टर, मुनिरका दिल्ली, ईमेलः rrl_7670@obc.co.in फोन नं. 011-26108531, 8171626615, 9811117952 से संपर्क कर सकते हैं।
5. बोलीदाता अपनी बोली प्रत्येक सम्पत्ति के सामने 'बोली वृद्धि राशि' कालम के तहत वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकेंगे। ई-नीलामी के अंतिम 5 मिनट में कोई बोली प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा (असीमित)।
6. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले अदा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरन्त बाद या ज्यादा से ज्यादा अगले कार्यदिवस तक जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री के 15वें दिन को अथवा उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
7. क्रेता को लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/अंतरण प्रभार, शुल्क इत्यादि और किसी प्राधिकरण को देय सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताओं, करों, दरों, आकलनों, प्रभारों, शुल्कों इत्यादि का भी भुगतान वहन करना होगा।
8. उपरोक्त बंधक सम्पत्तियों जो कि ई-नीलामी में लगी है की नीलामी असफल होने की स्थिति में नियमानुसार बैंक प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री करने का अधिकार रखता है।
(विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया हमारी वेबसाईटः www.obcindia.co.in/content/auctions, https://ibapi.in और www.eprocure.gov.in/epublish देखें)
9. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए बिक्री को रद्द कर सकता है।

दिनांक 04-02-2020, स्थान : नई दिल्ली | प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लि.

SHRIRAM

पंजीकृत कार्यालयः आफिस नं. 123, अंगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600001
मुख्य कार्यालय : 1 लेवल, वॉकहाईट् टावर्स, ईस्ट विंग सी-2 ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई 400051, दूरभाषः 022 42410400, 022 40603100, वेबसाइटः www.shriramhousing.in

सरफैसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणधारक (कों) ने श्रीराम हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड से उनके द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन तथा ब्याज को वापस लौटाने में चूक की है। तथा उनकी ऋण खाता को गैर प्रचालन परिसम्पत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर मांग सूचना जारी की गई लेकिन वह अन्सर्व्ड वापस लौट आई है तथा इस प्रकार उन्हें इस सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जा रहा है। पुनः आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके द्वारा आप ऊपर नामित एड्रेसीज उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय से पूर्व प्रतिभूत परिसम्पत्ति विमोचित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह सूचना विधि के किसी लागू होने वाले प्रावधानों के अंतर्गत वह जो भी उपयुक्त समझे ऐसी कार्रवाई शुरू करने के एसएचएफएल के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रहित है।

ऋणधारक का नाम एवं पता, ऋण सं. एवं ऋण खाता	गिरवी सम्पत्ति का विवरण/ प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना तिथि	एनपीए की तिथि	बकाया राशि (सूचना की तिथि को)
श्रीमती लक्ष्मी पाण्डेय, पत्नी श्री इन्द्रेश पाण्डेय श्री इन्द्रेश पाण्डेय, पुत्र श्री लक्ष्मण पाण्डेय पताः ए 790, गली नं. 12, जीवन पार्क, सिरसपुर, समयपुर, दिल्ली- 110042 ऋण सं.: SHLHDLH10000289, एवं SHLHDLH10000372, ऋण राशिः रु. 34,04,935/- (रुपये चौंतीस लाख चार हजार नौ सौ पैंतीस मात्र) तथा रु. 25,81,475/- (रुपये पच्चीस लाख इक्यासी हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) ईएमआई राशिः रु. 43642/-एवं रु. 33516/- अवधिः 180	सम्पत्ति प्रथम तल (अर्थात एच.नं. एफ-एफ-01), एचएचएस, सम्पत्ति प्लॉट नं. 4 ए 5 में जो खसरा नं. 504/2, विस्तारित लाल डोरा, ग्राम बुराडी, नई दिल्ली का भाग है, का सभी भाग तथा हिस्से के साथ एक कार पार्किंग स्थान, कॉमन पार्किंग स्थान, भू तल में, माप 98 वर्ग यार्ड्स सहित सभी सुविधाओं के साथ। चौहद्दीः उत्तरः सम्पत्ति सं. एफएफ-02, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः 18 फटी चौड़ा रोड, पश्चिमः रोड	15 जन. 2020	10 जन. 2020	13.1.2020 को कुल राशि 6018156/- (रुपये साठ लाख अठारह हजार एक सौ छप्पन मात्र) देय तथा बकाया के साथ आगे का ब्याज

एतद्द्वारा उक्त ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर उक्त राशि का भुगतान की अन्यथा आपकी लागत एवं परिणामों पर किसी एक या अधिक प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी। उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 13 के अनुसार आपको हमारी पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आपके व्यवसाय की समान्य प्रक्रिया को छोड़कर बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त सम्पत्ति को अंतरित करने अथवा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों में किसी भी थर्ड पार्टी हित का निर्माण करने से निषिद्ध किया जाता है।

हस्ता./-

स्थानः नई दिल्ली | अधिकृत प्राधिकारी

तिथिः 5.2.2020 | श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking

क्षेत्रीय कार्यालय : मकान सं. 56, बुद्ध विहार भाग-ए, तारा मंडल, गोरखपुर-273016

कब्जा नोटिस [धारा 13(4)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा-54) के नियम 3 के साथ धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लिखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गई थी तथा जिसके आगे यह कहा गया कि सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर बकाया चुकता कर दें।

क्र. सं.	ऋणी/बंधककर्ता जमानतकर्ता का नाम	बंधित सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि (रू0)	मांग सूचना की तिथि/कब्जा की तिथि
1.	मेसर्स जे के ट्रेडर्स (प्रोप्रा. जहीर अहमद), ऋणीः- श्रीमती नगमा खातून पत्नी जहीर अहमद, मकान सं. 105, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट मुखलिसपुर रोड भटियार टोला खलीलाबाद, जिला- संत कबीर नगर उ.प्र. पिन 272175	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्सों को मिलाकर भूमि व भवन कुल 1320 वर्ग फीट प्लॉट सं. 24 मिन, ग्राम- सरौली, टप्पा- ओन, परगना- मगहर पूरब तहसील- खलीलाबाद, जिला संत कबीर नगर, चौहद्दीः उत्तरः विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिणः विक्रेता की शेष भूमि, पूर्वः विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिमः प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई 18 फीट	रु. 12,07,401.00 दि. 31.10.2019 से प्रभावी + उस पर ब्याज	20.11.2019 / 31.01.2020
2.	मेसर्स मनपसन्द गार्मेन्टस, इनके प्रतिनिधित्व प्रोप्रा. श्रीमती रत्ना प्रभा ऋणीः- श्री बीर बहादुर सिंह पुत्र श्री शिव शंकर सिंह, ग्राम- हरपुर पोस्ट ऑफिस- पीपीगंज जिला- गोरखपुर उ.प्र. पिन 273165	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्सों को मिलाकर भूमि व भवन कुल 3500 वर्ग फीट आराजी सं. 531 मि. हरपुर भगवानपुर रोड, ग्राम- हरपुर, टप्पा- पचवारा, परगना- हवेली, तहसील- कैम्पियरगंज, जिला- गोरखपुर, चौहद्दीः उत्तरः श्री राम कैवल का मकान, दक्षिणः डिनक मौर्या का मकान, पूर्वः श्री दुखारन का प्लॉट, पश्चिमः पिच रोड (भगवानपुर – हरपुर)	i). OCC खाता रु. 12,25,544.00 दि. 31.10.2019 से प्रभावी + उस पर ब्याज; ii). TL खाता रु. 1,33,614.50 दि. 31.10.2019 से प्रभावी + उस पर ब्याज	21.06.2018 / 31.01.2020
3.	ऋणीः- श्री नागेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी पुत्र श्री अवध प्रसाद त्रिपाठी, मोहल्ला - बैरागरी मुरलीजोत, निकट कोतवाली पुरानी बस्ती जिला - बस्ती पिन 272001 जमानतकर्ता- अवध प्रसाद त्रिपाठी पुत्र स्व0 कामता प्रसाद, ग्राम व पोस्ट रौना कला बस्ती।	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्सों को मिलाकर भूमि व भवन 0.086 हेक्टेयर आराजी सं. 3165 व 0.054 हेक्टेयर आराजी सं. 3169 ग्राम- बस्ती खास टप्पा - हवेली परगना- बस्ती पूरब, तहसील- बस्ती, जिला- बस्ती, पंजीकृत उप-जिला गोरखपुर एवं जिला- गोरखपुर, चौहद्दीः उत्तरः चक कृष्ण चन्द पाण्डेय, दक्षिणः चक परमात्मा चौधरी, पूर्वः चक रोड, पश्चिमः चक महेश सिंह	रु. 5,21,571.67 दि. 19.11.2019 से प्रभावी + उस पर ब्याज	25.11.2019 / 31.01.2020
4.	ऋणीः- मेसर्स न्यू बॉम्बे टेक्सटाईल्स (प्रोप्रा. कायामुद्दीन अंसारी) प्रोप्राईटर- मोहम्मद कायामुद्दीन अंसारी पुत्र निजामुद्दीन अंसारी, मकान सं. 342, जाहिदाबाद, गोरखनाथ गोरखपुर - 273001	सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्सों को मिलाकर भूमि व भवन क्षेत्रफल 2880 वर्गफीट मकान सं. 368, आराजी सं. 62 मि. मौजा- हुमायूंपुर (जाहिदाबाद) गोरखनाथ (डाकघर आफिस), तहसील- सदर, जिला- गोरखपुर, चौहद्दीः उत्तरः अन्य का मकान के बाद पिच रोड, दक्षिणः अन्य का मकान के बाद सीसी लेन/ गली, पूर्वः इम्तियाज मलिक का मकान, पश्चिमः मोहम्मद इशाक का मकान	रु. 10,73,836.50 दि. 31.10.2019 से प्रभावी + उस पर ब्याज	20.11.2019 / 31.01.2020

ऋणी द्वारा राशि चुकता न करने पर एतद्द्वारा ऋणी और आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के नियम 8 व 9 के साथ पठित प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसमें उपरोक्त लिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया गया है।

उधारकर्ता को विशिष्ट रूप से व आम जनता को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि वे इन संपत्तियों का सौदा करने में सचेत रहें और इन संपत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सौदा उपरोक्त लिखी राशि और ब्याज के लिए केनरा बैंक के प्रभारों के अधीन होगा।

ऋणी/जमानतदार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान के अनुसार ध्यान दिलाते है कि दिए गए समय के अन्तर्गत भुगतान करके बन्धक आस्तियों को मुक्त करा लें।

दिनांक: 05.02.2020 | स्थान: गोरखपुर | प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

www.readwhere.com

आत्मा स्टील्स लिमिटेड
CIN: L27106UP1970PLC003353
पंजी. कार्यालय: सी-139, इंडस्ट्रियल एरिया, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद-201009 (उ.प्र.)
Email: atmasteelsltd@rediffmail.com
website: www.atmasteelsltd.com
Tel. No. 09310506965, 9350506966

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को आयोजित होगी जिसमें सेबी (सूचीयन दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षा) विनियम 2015 के विनियमन 29, विनियमन 33 तथा विनियमन 47 के अनुपालन में 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य विषयों के अलावा विचार एवं अनुमोदन की जायेगी।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.atmasteelsltd.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात www.cse-india.com जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध है।

आत्मा स्टील्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तिथि: 5 फरवरी, 2020 — हरजस सिंह
स्थान: गाजियाबाद — प्रबंध निदेशक

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
(पूर्व की चित्रकूट कम्प्यूटर नेटवर्क लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय: 37, द्वितीय मंजिल, रानी झाँसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
(ई-मेल): cbnl.delhi@gmail.com
(वेब): www.sadhnabroadcast.com
सीआईएन: L92100DL1994PLC059093
(फोन): 91-11-23552627

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों तथा अधिनियम सम्बद्ध जाने वाले अन्य प्रस्तावों पर विचार करने तथा रिकार्ड पर लेने के लिए शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को 4:00 बजे सायं कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जायेगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
ह./-
स्थान: नई दिल्ली — (तजिन्दर कौर)
दिनांक: 03.02.2020 — प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06D99570
24/27, फ्रंट साइड, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली-110008

ARCOTECH LIMITED
CIN: L34300HR1981PLC012151,
181, Sector-3, Industrial Growth Centre, Bawal, Distt. Rewari,
Haryana-123501 Website: www.arcotech.in,
email: contact@arcotech.in, Tel: 0128-4264160

NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 14th February, 2020 at F-701A, Lado Sarai, New Delhi-110030, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results for the Quarter and Nine Month ended 31st December, 2019.

Further, in pursuant of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading window was closed from 01st January 2020 and would remain closed till 16th February, 2020 (Both Days Inclusive) for the purpose of declaration of Un-Audited financial results of the Company for the Quarter and Nine month ended 31st December, 2019.

Intimation is also available on the website of the company (www.arcotech.in) and Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com)

FOR ARCOTECH LIMITED
Sd/-
Place: New Delhi — KRISHAN KUMAR MISHRA
Date: 03.02.2020 — COMPANY SECRETARY

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED
CIN-L74899DL2000PLC105817
Regd. & Corporate Office: D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020.
Tel.: 011-47351111 Fax.: 011-2622 9671
Website: www.tigerlogistics.in, Email.: csvishal@tigerlogistics.in

NOTICE OF THE BOARD MEETING

In accordance with regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of Tiger logistics (India) limited is scheduled on Wednesday, 12th February, 2020 to inter alia, consider, approve and take on record the un-audited financial of the company for the quarter ended 31st December, 2019

Further, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended & Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report the trading of securities of the company read with BSE Circular No. LIST/COMP/01/2019-20 dated 02.04.2019, the Trading Window for dealing in the securities of the Company has already closed for all "Designated Persons" of the Company from January 1st, 2020 till 48 hours after the declaration of the financial results of the Company for the quarter ended 31st December, 2019 to the Stock Exchange (both days inclusive).

This Notice is also available on the website of the company at www.tigerlogistics.in and on the website of the stock exchange at www.bseindia.com.

For Tiger Logistics (India) Limited
Sd/-
Date: 04.02.2020 — Vishal Saurav Gupta
Place: New Delhi — Company Secretary & Compliance Officer

शेयर प्रमाण पत्र का गुम होना

जाएसके कन्ज्यूमर हाइजीन लिमिटेड
कार्यालय पता: 24-25 तल, वन होरिजन सेंटर, गोल्फ कोर्स रोड, डीएलएफ फेज 5, गुड़गांव-122002

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र गुम/खो गए हैं तथा प्रतिभूतियों के धारक/आवेदक ने डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी को आवेदन किया है।
कोई व्यक्ति जो कथित प्रतिभूतियों के संबंध में दावा रखता हो, उसे इस तिथि से 15 दिनों के अन्दर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ऐसा दावा करना चाहिए वरना कंपनी बिना किसी आगामी सूचना के डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही करेगी।

शेयरधारक का नाम	प्रतिभूतियों का प्रकार और अंकित मूल्य	प्रमाण पत्र सं.	प्रतिभूतियों की सं.	डिस्टिंक्टिव नं.
अन्नापूर्णा घोष	इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य- 10/- प्रति	192410-192411	100	14406806 से 14406905 तक

स्थानः गुड़गाँव — हस्ता./-
तिथिः 05.02.2020 — अन्नापूर्णा घोष

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
CIN: U65993DL1982PLC013738
पंजी. कार्यालयः 106 (1ला तल) मधुबन टावर, ए-1, वी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, दिल्ली-110092, फोन नं.: 011-49901667,
वेबसाईटः www.maryadainvestment.in, ईमेलः macel1982@gmail.com,

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के साथ पठित सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29, विनियमन 33 तथा विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक गुरुवार, 13 फरवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त 3री तिमाही तथा नौमाही के अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय विवरणों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

पुनः कम्पनी द्वारा निर्मित इन्सायडर ट्रेडिंग विनियमन, निगरानी तथा सूचना आचार संहिता के साथ पठित सेबी (इन्साइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी के ट्रेडिंग विण्डो कम्पनी के सभी विनिर्दिष्ट कर्मचारियों (उनके नजदीकी संबंधियों सहित) के लिए 01 जनवरी, 2020 से 15 फरवरी, 2020 (दोनों दिवस सहित) अर्थात् कम्पनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे बाद तक बंद रहेंगे।

विस्तृत विवरणों के लिए निवेशक कम्पनी की वेबसाईट www.maryadainvestment.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.msei.in देखें।

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
कुलदीप शर्मा
निदेशक
तिथिः 4.2.2020 — DIN: 06746475
स्थानः नई दिल्ली — पताः के-103, दिल्ली राजधानी अपार्ट. प्लॉट नं. 80, पटपड़गंज, आईपी एक्स्टेंशन, शकरपुर बरमाड, पूर्वी नई दिल्ली-100092

श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लिमिटेड
CIN: L01112UP1989PLC011004
पंजी.कार्या.: ए-26, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, उ.प्र.-203205
का.कार्या.: एफ-32/3, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020
ई-मेल: secretarial@shrigangindustries.com;
वेबसाइट: www.shrigangindustries.com
सम्पर्क सूत्र: 05735-222663/011-47524454

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 33 के अनुपालन में मैसर्स श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि. के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार 12 फरवरी, 2020 को 3.00 बजे एफ-32/3, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज II, नई दिल्ली- 110020 में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 दिसम्बर, 2019 को कम्पनी के समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.shrigangindustries.com अथवा स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com में संपर्क कीजिए।

कृते श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि.
हस्ता./-
स्थान: नई दिल्ली — कनिष्का जैन
दिनांक: 04.02.2020 — कम्पनी सचिव

IEC EDUCATION LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC061053
Regd. Off.: M-92, Connaught Place, New Delhi-110001
Website: www.iecgroup.in
Email: cs@iecgroup.in,
Ph: 011-41052893

NOTICE

Notice is hereby given Pursuant to Regulation 29, read with Regulation 47 and 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of IEC Education Limited ("the Company") will be held on 14th February, 2020 at E-216, East of Kailash, New Delhi – 110065 at 04:00 P.M., inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on December 31, 2019. Further, details are also available on the website of the Company i.e. at www.iecgroup.in and also on the website of BSE limited i.e. www.bseindia.com where the shares of the Company are listed.

For IEC Education Limited
Sd/-
Dated: 05.02.2020 — Navin Gupta
Place: Delhi — Managing Director
DIN: 00097128

शान्तनु इन्वेस्टमेन्ट्स (इंडिया) लि.
पंजीकृत कार्यालयः डीएससी-319, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017
CIN: L65993DL01973PLC006795
ई-मेलः cs@greatvalueindia.com
वेबसाईटः www.shantnuinvestments.com
(फोन नं.: 011-41349613-14)

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को 3.00 बजे अप. में डीएससी-319, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली-110017 में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन किए जाएंगे।

अधिक विवरणों के लिए कृपया वेबसाईट www.shantnuinvestments.com तथा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.msei.in देखें।

शान्तनु इन्वेस्टमेन्ट्स (इंडिया) लि. के लिए
हस्ता./-
तिथिः 4.2.2020 — विनय आनंद
स्थानः नई दिल्ली — कम्पनी सचिव
एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता सं. ए46658

PRABHAT SECURITIES LIMITED
CIN: L22022UP1982PLC005759
R/O: 'Satyam' 4/276, Parwati Bagla Road Kanpur – 208002, Ph: 0512-2526347,
E Mail: prabhatsecurities@gmail.com,
Website: www.prabhatsecuritiesltd.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (LODR) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that (01/2020) Board Meeting of the Company is scheduled to be held at its Regd. Office, Kanpur on Friday 14th February 2020 at 12:30 P.M. inter alia to consider and approve the Un-Audited Financial Statements of the Company for the quarter ended 31st December, 2019.

The trading window of the company is already closed from 01st January 2020 and shall reopen after 48 hours of the conclusion of Board Meeting i.e 16-02-2020

The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www.prabhatsecuritiesltd.com and may also be accessed at CSE & MSEI website at http://www.cse-india.com & http://www.msei.in.

For Prabhat Securities Limited
Ramakant Kushwaha
Place: Kanpur — --sd---
Date: 04.02.2020 — (Managing Director)

मिडईस्ट इन्टीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड
CIN:L74899DL1992PLC050216
पंजी. कार्याः एच-I, जमरूदपुर कम्युनिटी सेंटर, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048
टेली.: 011-40587085
वेबसाईटः www.mescosteel.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 (1) (ए) तथा विनियमन 47 (1) (ए) के अनुपालन में कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ ही 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही /नौ माही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.mescosteel.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

मिडईस्ट इन्टीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
रीता सिंह
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
स्थानः नई दिल्ली — DIN: 00082263
तिथिः 4.2.2020

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन
केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
फोटोग्रैफिक एण्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालयः 66, चन्द्रलोक एन्क्लेव, रानी बाग के निकट, पीतमपुरा, नई दिल्ली डीएल-110034 आईएन में है – आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''दिल्ली राज्य'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 13 जनवरी, 2020 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पताः 66, चन्द्रलोक एन्क्लेव, रानी बाग के निकट, पीतमपुरा, नई दिल्ली डीएल-110034 आईएन

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./-
नितिन शर्मा
निदेशक
DIN: 06568886

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड
CIN: L45203UP2007PLC033119
पंजीकृत कार्यालय : 128, नोएडा-201304, उ0प्र0
फोन : +91(120) 4609000, फैक्स : +91(120)4609464
वेबसाइट www.jaypeeinfratech.com ई-मेल: jpinfratech.investor@jalindia.co.in

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, के विनियमों 29 एवं 47 के अनुसार सूचित किया जाता है कि **31 दिसम्बर, 2019** को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के **अनअंकेक्षित एकल एवं समेकित वित्तिय परिणामों** पर कम्पनी द्वारा **मंगलवार, 11 फरवरी, 2020** को विचार एवं अनुमोदन किया जायेगा।

अन्य जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.jaypeeinfratech.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाईट: www.nseindia.com व www.bseindia.com पर देखी जा सकती है।

जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के लिए
(कॉर्पोरेट इन्साल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस के अन्तर्गत कम्पनी)
अनुज जैन
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
स्थान : नोएडा — आई.पी. पंजीकरण स. IBBI/IPA-001/IP-P00142/2017-18/10306
तिथि : 04 फरवरी 2020

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोची – 682015
दूरभाष : 0484 2501306, फैक्स : 0484 2370897,
वेबसाइट : http://www.cochinshipyard.com; CIN: L63032KL1972GOI002414

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के (सूचीबद्ध विनियम) विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही केलिए कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा अनुमोदित करने केलिए दिनांक 11 फरवरी 2020, मंगलवार को कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक आयोजित करने केलिए निर्धारित है।

उक्त सूचना कंपनी के वेबसाइट http://www.cochinshipyard.com से ली जा सकती है और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों http://www.bseindia.com और http://www.nseindia.com से भी ली जा सकती है। इसके अनुसरण में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिभूतियों को समालने में अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु आचरण और आंतरिक प्रक्रिया संहिता के अधीन बंद अवधि (अर्थात् ट्रेडिंग विन्डो की समाप्ति) दिनांक 01 जनवरी, 2020 से शुरू हुआ था जो दिनांक 11 फरवरी 2020 को परिणाम प्रकाशित करने के बाद 48 घंटे में समाप्त होगी।

कृते कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
ह/-
स्थान : कोच्ची — श्यामकमल एन
दिनांक: 04.02.2020 — कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

प्रपत्र जी (संशोधित तिथि विस्तारित)
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमन्त्रण
[ऋण शोध अक्षमता तथा दिवालिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

	सुसंगत विशिष्टियां	
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	फोजल पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	28.11.2001
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली (आरओसी दिल्ली)
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U40101DL2001PTC113298
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : 212, प्रथम तल, शाहपुर जट, नई दिल्ली-110049 साइट पता : मैसर्स फोजल पॉवर प्राइवेट लिमिटेड फोजल हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट : ग्राम फाटी मेहा एवं द्वारा, कोठी बारागढ़, तहसील एवं जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
6.	कार्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	22 अक्टूबर, 2019
7.	रुचि की अभिव्यक्ति के आमन्त्रण की तिथि	5 जनवरी, 2020 (मूल), 5 फरवरी, 2020 (संशोधित)
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों की पात्रता उपलब्ध है :	विवरण अग्रलिखित ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर प्राप्त किये जा सकते हैं : cirp.fozalpower@gmail.com
9.	धारा 29ए के तहत प्रयोज्य अपात्रता के मानदण्ड उपलब्ध हैं :	आईबीबीआई (www.ibbi.gov.in) पर उपलब्ध अथवा अग्रलिखित ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है : cirp.fozalpower@gmail.com
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अन्तिम तिथि	20 जनवरी, 2020 (मूल), 20 फरवरी, 2020 (संशोधित)
11.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अस्थायी सूची निर्गत होने की तिथि	30 जनवरी, 2020 (मूल), 1 मार्च, 2020 (संशोधित)
12.	अस्थायी सूची की आपत्तियाँ जमा करने की अन्तिम तिथि	4 फरवरी, 2020 (मूल), 6 मार्च, 2020 (संशोधित)
13.	सम्भावित समाधान आवेदकों की अन्तिम सूची निर्गत होने की तिथि	14 फरवरी, 2020 (मूल), 16 मार्च, 2020 (संशोधित)
14.	सम्भावित समाधान आवेदकों हेतु सूचना ज्ञापन पत्र, मूल्यांकन आव्यूह तथा निवेदन के निर्गमन की तिथि	4 फरवरी, 2020 (मूल), 6 मार्च, 2020 (संशोधित)
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन आव्यूह, सूचना ज्ञापन पत्र तथा अधिक सूचना हेतु निवेदन प्राप्ति की रीति	विवरण अग्रलिखित ई-मेल आईडी पर ई-मेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है : cirp.fozalpower@gmail.com सूचना मेमोरेंडम (आईएम) ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 29(2) के तहत गोपनीयता की शपथ देने के पश्चात प्राप्त किया जायेगा।
16.	समाधान योजनाओं के जमा होने की अन्तिम तिथि	05 मार्च, 2020 (मूल), 05 अप्रैल, 2020 (संशोधित)
17.	समाधान प्रोफेशनल हेतु समाधान योजना जमा करने की रीति	इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप/सॉफ्ट कॉपी में अग्रलिखित ई-मेल आईडी : cirp.fozalpower@gmail.com पर पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टे प्रारूप में तथा समाधान योजना की भौतिक/हार्ड प्रति मुहरबन्द लिफाफे में अग्रलिखित पते पर : सुनील कुमार, समाधान प्रोफेशनल, डी-481, दूसरी मंजिल, टाइप-II क्वार्टर्स, मन्दिर मार्ग, (सामने मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन), नई दिल्ली-110001
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण के पास समाधान जमा करने की सम्भावित तिथि	13 अप्रैल, 2020
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नाम : सुनील कुमार पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00628/2018- 19/11884
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत के अनुसार समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई-मेल	पंजीकृत पता : डी-481, दूसरी मंजिल, टाइप-II क्वार्टर्स, मन्दिर मार्ग, (सामने मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन), नई दिल्ली-110001 पंजीकृत ई-मेल आईडी : sunilcs9@gmail.com
21.	समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार हेतु प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई-मेल	सुनील कुमार डी-481, दूसरी मंजिल, टाइप-II क्वार्टर्स, मन्दिर मार्ग, (सामने मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन), नई दिल्ली-110001 ई-मेल आईडी : cirp.fozalpower@gmail.com
22.	अधिक विवरण अग्रलिखित पर या इसके साथ उपलब्ध है	cirp.fozalpower@gmail.com
23.	प्रपत्र जी के प्रकाशन की तिथि	5 जनवरी, 2020 (मूल), 5 फरवरी, 2020 (संशोधित)

तिथि : 05-02-2020 — सुनील कुमार
स्थान : नई दिल्ली — समाधान प्रोफेशनल (आरपी)
फोजल पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00628/2018- 19/11884
पता : 7-A, Sidhartha Extension, Pocket-B, New Delhi-110014
पंजीकृत कार्यालय : डी-481, दूसरी मंजिल, टाइप-II क्वार्टर्स, मन्दिर मार्ग, (सामने मन्दिर मार्ग पुलिस स्टेशन), नई दिल्ली-110001

गोबिंद शुगर मिल्स लिमिटेड
ZUARI SUGAR
पंजी. कार्यालयः बिरला मिल कम्प्लैक्स, पी.ओ. बिरला लाइन्स, जीटी रोड, नजदीक क्लोक टॉवर, कमला नगर, उत्तरी दिल्ली-110007
वेबसाइटः www.zuarisugar.com, ईमेलः ig.gsml@adventz.com
फोनः +91-124-4827800, CIN: L15421DL1952PLC354222

दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(प्रति शेयर डाटा को छोड़कर लाखों में)

विवरण	31.12.2019 को समाप्त तिमाही	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.12.2018 को समाप्त तिमाही
1. प्रचालनों से कुल आय	14,347.14	56,665.08	12,517.64
2. अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)(कर, विशेष और/या असाधारण मदों से पूर्व)	(1,907.22)	(2,628.17)	(2,158.85)
3. कर से पूर्व अवधि के लिये शुद्ध लाभ /(हानि)(विशेष और/या असाधारण मदों से के बाद)	(1,907.22)	(2,628.17)	(2,158.85)
4. कर से बाद अवधि के लिये शुद्ध लाभ /(हानि)(विशेष और/या असाधारण मदों के बाद)	(1,378.74)	(3,582.47)	(2,102.88)
5. अवधि के लिये कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से युक्त]	(1,374.06)	(3,558.94)	(2,139.16)
6. इक्विटी शेयर पूंजी	447.30	373.09	373.09
7. आरक्षित (पुनः मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)	–	(2,399.45)	–
8. आय प्रति शेयर (10 र. प्रति का) (जारी और बदं प्रचालनों के लिये)			
1. मूल	(30.82)	(97.31)	(54.42)
2. तनुकृत	(30.82)	(97.31)	(54.42)

टिप्पणीः
1. उपरोक्त सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। कथित परिणामों का पूर्ण प्रारूप मेट्रोपॉलिटन स्टोक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. की वेबसाइट (www.msei.in) और कंपनी वेबसाइट (www.zuarisugar.com) पर उपलब्ध है।
2. पूर्व अवधि के आंकड़े, जहां भी अनिवार्य हुआ, पुनः एकत्रित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

छिते एवं कृते बोर्ड
गोबिंद शुगर मिल्स लिमिटेड
स्थानः गुरुग्राम — ह./- आरएस राघवन
तिथिः 03 फरवरी, 2020 — प्रबंध निदेशक

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001
बिक्री उद्घोषणा सूचना

आर.सी. नं. 180/2001 — पंजाब एंड सिंध बैंक बनाम वुमेन पैशन

बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा

सीडी # 1. मै. वुमन पैशन, 5/96, गुरु मैंशन, ऊपरीतल, पदम सिंह रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005, साथ हीः जे-7/144, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027
सीडी # 2. रमण मेहता, 5/96, गुरु मैंशन, ऊपरीतल, पदम सिंह रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005, साथ हीः 176, एनईपीजेड, नोएडा, जिला, गाजियाबाद (उ.प्र.)
सीडी # 3. रंजना मेहता, 5/96, गुरु मैंशन, ऊपरीतल, पदम सिंह रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005
सीडी # 4. सुरेश मेहता, साथा हीः 4778, अग्रवाल मार्केट, हौज काजी, दिल्ली-110006, साथ हीः जे-7/144, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027, साथ हीः 176, एनईपीजेड, नोएडा, जिला, गाजियाबाद (उ.प्र.)

1. जैसा कि, सुट के संस्थापन की तिथि से रिकवरी प्रमाणपत्र के अनुसार रु. 75,000/- की लागतों तथा चार्जेज के साथ प्रमाणपत्र देनदारों से 21% प्रति वर्ष ब्याज के साथ प्रतिवादियों के विरुद्ध रु. 1,34,74,021.48/- की राशि की वसूली के लिये पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II द्वारा ओ.ए. नं. 126/1998 तिथि 14.8.2000 में वूसली प्रमाणपत्र सं. 180/2001 तैयार किया गया है।
2. तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 28.2.2020 को 3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच (यदि जरूरी हो, 12.00 बजे अप. के बाद) 5 मिनट के स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन-लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp पर होगी।
4. यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त सीडी'ज की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
5. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शेष के मामले में तुरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाए, ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी।
6.ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे।
7.यह बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।
7.1 संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन, इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रुटि अथवा खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।
7.2 आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी रु. 34,00,000/- (रुपये चौंतीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) रु. 3,40,000/- (रुपये तीन लाख चालिस हजार मात्र) है।
7.3 जो इच्छुक बोलीदाता 26.2.2020 के 4 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में पैन कार्ड, पहचान के प्रमाण, आवास के प्रमाण के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 28.2.2020 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगा।
7.4 बोलीदाता रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
7.5 असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली/सीएच अर्थात् पंजाब एंड सिंध बैंक से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
7.6 सफल/ उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के उपरांत धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद अगले कार्य दिवस तक रिवकरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता ''आर.सी. नं. 180/2001'' के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे इस तरह से भेजना होगा ताकि वह अगले कार्य दिवस के 4.00 बजे अप. तक इस अधिकारण में पहुंच जाएं अन्यथा ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
7.7 सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के समक्ष रजिस्ट्रार डीआरटी- II, दिल्ली के पक्ष में देय रु. 1000/- तक 2% तथा से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउन्डेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता ''आर.सी. नं. 180/2001'' के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए।
7.8 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।
8. संपत्ति की बिक्री ''**जैसा है जहां है आधार**'' ''**तथा जो भी वहां है आधार**'' पर की जाएगी।
9. अधोहस्ताक्षरी को किसी या सभी बोली को स्वीकार करने अथवा अनुपयुक्त पाते हैं तो अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है।

क्रम सं.	बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण जहाँ सम्पत्ति डिफॉल्टर तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का है, के नाम के साथ	संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व	ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय हैं	दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
1.	सम्पत्ति प्लॉट नं. 176, माप 710.42 वर्ग यार्ड्स, एनईपीजेड, गौतम बुध नगर, उ.प्र.	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

(अविनाश चन्द्रा)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO SEBI CIRCULAR NO. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 DATED OCTOBER 10, 2016 FOR

EMAAI PHARMA LIMITED

CIN: U24239MH1992PLC066831
Registered Office: Shop No 4, Nekjat Maratha Sadan, T. B. Kadam Marg, Byculla, Mumbai- 400 027.
Tel: +91 81082 73000; Email: jainmi@hotmail.com

FOR THE IMMEDIATE ATTENTION OF PUBLIC SHAREHOLDERS OF EMAAI PHARMA LIMITED

This Exit Offer Public Announcement (**"PA"**) is being issued by Mr. Madan I. Jain (for and on behalf of promoters & promoter group of Emaai Pharma Limited (**"EPL"** or **"EMAAI"** or "the **Company**") (the "**Acquirer**"). **EPL** was listed on Ahmedabad Stock Exchange, which have been categorized as non-operational by Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**). Consequently, the Company was moved to the Dissemination Board (**"DB"**) of the National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**). The Acquirer is making an offer to acquire the fully paid up Equity Shares of the Company held by Public Shareholders (**"Exit Offer"**) for cash at a price of Rs. 0.13 (Paise Thirteen only) per Equity Share (**Exit Price**").

BACKGROUND OF THE COMPANY

1) Name and registered Office

Name of the Company	Emaai Pharma Limited
CIN	U24239MH1992PLC066831
Registration Number	066831
Date of Incorporation	May 19, 1992
Registered Office	Shop No 4, Nekjat Maratha Sadan T. B. Kadam Marg, Byculla Mumbai- 400027, Maharashtra, India

2) Share Capital
As on the date of this exit offer PA, Share Capital of Emaai Pharma Limited is as follow:

Particulars	No. of Equity Shares (Face Value of Rs. 10/- each)	Total Amount (Rs.)
Authorised Share Capital	45,00,000	4,50,00,000
Issued, Subscribe and paid up Equity Share Capital	41,10,000	4,11,00,000

3) Shareholding pattern
As on the date of this exit offer PA, the Shareholding pattern of Emaai Pharma Limited is as follow:

Category	No of Equity Share Holders	Number of Share Holders	% Equity Share Capital
Promoters/Acquirers/other entities in promoter group	21,56,700	67	52.47%
Public Shareholders	19,53,300	3,845	47.53%
Total	**41,10,000**	**3,912**	**100.00%**

4) Financial Summary
A brief financial summary of the Company (audited) for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 are as under:
(Amount in Rs. lakhs, except EPS)

Particulars	31st March, 2019	31st March, 2018	31st March, 2017
Paid up Equity Share Capital	411.00	411.00	411.00
Reserve & Surplus	-	-	-
Net Worth	411.00	411.00	411.00
Total Revenue	-	-	-
Profit (Loss) After Tax	(1.83)	-	-
EPS (In Rs.)	(0.04)	-	-

SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/110 dated October 10, 2016 (**"SEBI Circular"**), has stipulated the procedure for exit of Exclusively Listed Companies (ELC) from the Dissemination Board. As provided, in clause (i) of Annexure A of SEBI Circular, EPL has appointed **CapitalSquare Advisors Private Limited,** a SEBI Registered Merchant Banker as an Independent Valuer from NSE's panel of expert valuers. The said Independent Valuer after taking into consideration the applicable valuation methodologies, has issued EPL's Valuation Report dated January 30, 2020 and has determined the Fair Value of Equity Share of EPL as Rs. 0.13 which was rounded off to Rs. 0.13 per Equity Share. The said valuation report will be available for inspection at the Registered Office of EPL during the office hours from 10.00 AM to 5.00 PM (except Saturday, Sunday and public holidays) up to the closure of the exit offer period from the date of this Public Announcement and the copy of the valuation report has been submitted to the NSE.

The Acquirer now seeks to acquire 19,53,300 Equity Shares having face value Rs. 10.00 each at the exit price of Rs. 0.13 per fully paid Equity Share of the Company from the Public Shareholders of EPL. In view of the above, to provide exit opportunity to all the public shareholders of EPL, we are inviting you to tender your fully paid up Equity Shares of Rs. 10.00 each:

Schedule of exit offer:

Date of opening of the Exit Offer	**February 13, 2020 (Thursday)**
Date of closing of the Exit Offer	**February 20, 2020 (Thursday)**

The Acquirer will send by registered post/speed post to all the Public Shareholders the offer letter to buy the shares through this Exit Offer. The Public Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form, who are desirous of tendering their Equity Shares in the Exit Offer, must transfer their equity shares from their respective depository account to the depository account of the Registrar as per the instructions given in the offer letter, who shall hold the shares on behalf of the Acquirer in trust, in **off-market mode.** All the Public Shareholders who wish to tender their Equity Shares in the Exit Offer are requested to send the duly filled in Form of Acceptance along with delivery instruction slip duly acknowledged by the concerned depository along with the necessary enclosures, to the Registrar to the Offer, **Bigshare Services Private Limited** having its registered office at 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai 400 059, India clearly marking the envelope **"EMAAI PHARMA LIMITED – Exit Offer"**.

PLEASE NOTE THAT NO SHARES WILL BE ACCEPTED IN PHYSICAL MODE PURSUANT TO PR NO.: 51/2018 DATED DECEMBER 03, 2018 ISSUED BY SEBI WHEREIN REQUESTS FOR EFFECTING TRANSFER OF SECURITIES SHALL NOT BE PROCESSED AFTER MARCH 31, 2019 UNLESS THE SECURITIES ARE HELD IN THE DEMATERIALIZED FORM WITH A DEPOSITORY.

The Acquirer declares and undertakes to acquire the shares of all the Public Shareholders who have not offered the shares under the Exit Offer up to a period of 1 (one) year from the date of closure of Exit Offer Exit Price as per the valuation report. Such Public Shareholders may tender their Equity Shares by submitting the required documents during one year w.e.f. February 21, 2020 (Friday) to close on February 22, 2021 (Monday). The payment to the public shareholders who have tendered the shares during the exit offer period will be paid in 15 days from the closure of the exit offer.

The Acquirer shall certify to the satisfaction of designated stock exchange that appropriate procedure has been followed for providing exit to public shareholders of the Company. Subsequently, the designated stock exchange upon satisfaction shall remove the Company from the dissemination board. The promoters of EPL undertake to redress the grievances of all the public shareholders pursuant to the removal of the name of the Company from the said Dissemination Board.

In case of any queries regarding the Exit Offer, the public shareholders can contact the Company at the above mentioned address.

Sd/-
Place : Mumbai — Mr. Madan I. Jain (for and on behalf of the Promoters
Date : February 04, 2020 — & Promoter Group of Emaai Pharma Limited)

www.readwhere.com

मां की हत्या, भाई पर जानलेवा हमला

बंगलुरु, 4 फरवरी (भाषा)।

कर्नाटक के बंगलुरु में 33 साल की एक महिला इंजीनियर ने अपनी मां की कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी और भाई को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इसके बाद वह घर से फरार हो गई।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की घटना में घायल हुए भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कहा कि महिला इंजीनियर की तलाश जारी है और उसके इरादे की जांच की जा रही है। बंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाली महिला ने पहले अपनी मां और 30 वर्षीय भाई को बताया था कि उसका तबादला हैदराबाद कर दिया गया है और उसे शायद वहां जाना पड़े। उसके भाई ने पुलिस को बताया कि सोमवार की सुबह में उसने अपनी बहन को कुछ ढूंढ़ते हुए देखा तो उसकी मदद करने की बात कही, लेकिन उसने इनकार कर दिया।

उसके भाई ने पुलिस को बताया कि कुछ मिनट के बाद महिला ने भाई पर जानलेवा हमला कर दिया और जब वह मदद के लिए चिल्लाया और मां को बुलाया तो उसने मां की हत्या कर दी।

दलित युवती के विवाह समारोह में उपद्रव

ग्वालियर (मध्य प्रदेश), 4 फरवरी (भाषा)।

इंदरगंज थाना क्षेत्र में दलित युवती के विवाह समारोह में मारपीट और उपद्रव करने के आरोप में पुलिस ने पास के छात्रावास में रहने वाले 25 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी छात्रों की तलाश कर रही है। वहीं, विवाह समारोह में उपद्रव की घटना से नाराज होकर शहर के सफाईकर्मियों ने मंगलवार सुबह हड़ताल कर दी और फूलबाग इलाके में स्थित आंबेडकर उद्यान में धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन ने एहतियातन इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है।

नगर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि इस सिलसिले में 25 आरोपियों के खिलाफ भादंवि की विभिन्न धाराओं और अन्य संबद्ध धाराओं व एससी-एसटी कानून के प्रावधानों में मामला दर्ज किया है। इनमें दो छात्र वीर तोमर और अन्नू तोमर नामजद हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसके माध्यम से आरोपियों की पहचान कर उन्हें तलाशा जा रहा है। अधिकारी ने शिकायतकर्ता सीताराम खरे के हवाले से बताया कि तीन फरवरी की रात जयेंद्रगंज के मराठा मैरिज होम में उनकी बेटी की शादी हो रही थी। बाराती समेत सभी लोग भोजन कर रहे थे, उसी दौरान पास के राजपूत छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने समारोह में पानी और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इसका विरोध करने पर 25-30 छात्र लाठी और सरिया लेकर आ गए और समारोह में आए लोगों के साथ मारपीट करते हुए जमकर उपद्रव किया। शादी में रखा समान तोड़ दिया और महिलाओं व लड़कियों के साथ छेड़खानी की।

सकलेचा ने बताया कि सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक उपद्रवी छात्र वहां से भाग चुके थे। घटना के विरोध में रात में लोगों ने इंदरगंज चौराहे पर चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने रात को छात्रावास की भी तलाशी ली, लेकिन उपद्रवी छात्र वहां नहीं मिले। सकलेचा ने बताया कि प्रशासन ने एहतियातन इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है और आरोपी छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।

उधर, सफाईकर्मी महासंघ, ग्वालियर के जिलाध्यक्ष जयराम दास ने कहा कि सफाईकर्मियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आंबेडकर उद्यान में धरना दिया। पुलिस इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे नहीं तो उनका समाज सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा।

नाबालिग से बलात्कार के आरोप में एक गिरफ्तार

भोपाल, 4 फरवरी (भाषा)।

भोपाल पुलिस ने नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में उसके 37 वर्षीय पड़ोसी को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी सुदेश तिवारी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार रात बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में मनोज प्रजापति को हिरासत में लिया गया है। प्राप्त शिकायत के आधार पर उन्होंने बताया कि सोमवार रात बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। आरोपी उसे चॉकलेट की लालच देकर उसे अपने घर के भीतर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। तिवारी ने बताया कि इस दौरान बच्ची की मां अपने घर में अंदर थी, जबकि उसके पिता घर में नहीं थे। वहीं प्रजापति के घर के अन्य सदस्य भी बाहर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि आरोपी शादीशुदा है और उसकी एक तीन साल की बच्ची है। साथ ही उसकी पत्नी आठ महीने की गर्भवती है।

विक्रय सूचना
बेस्ट टेक्सटाइल्स लिमिटेड
(परिसमापनाधीन)
बी-85, ओखली इण्डस्ट्रियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110020, भारत
ई-नीलामी
ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता, 2016 के तहत

आदेश दिनांक 18 फरवरी, 2019 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ द्वारा नियुक्त परिसमापक, मनोज कुमार आनन्द द्वारा परिसमापन सम्पदा का भाग निर्मित करने वाले बेस्ट टेक्सटाइल्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के स्वामित्व के वाहनों की बिक्री। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेब पोर्टल https://bankauctions.in पर ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जायेगी। इच्छुक आवेदक www.bankauctions.in पते पर सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर अपलोड सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज का विवरण देख सकते हैं। विक्रय ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न होगा (प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित)

वाहन का विवरण	बिक्री की रीति	नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि	संविदा वृद्धि राशि
सैंट्रो GL Met BS-IV मॉडल 2012 DL3CBZ-0510	ई-नीलामी	20.02.2020 (11.00 पूर्वा. से 2.00 अप.)	57125/-	रु. 6000 (जमा करने की अन्तिम तिथि 18.02.2020)	5000
होंडा एकॉर्ड मॉडल 2013 DL3CCC-2264	ई-नीलामी	20.02.2020 (11.00 पूर्वा. से 2.00 अप.)	548000/-	रु. 55000 (जमा करने की अन्तिम तिथि 18.02.2020)	5000

नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से संचालित की जायेगी। ऑनलाइन ई-नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा ऑनलाइन विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तों सहित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज www.bankauctions.in पर उपलब्ध हैं। सम्पर्क : श्री विकास कुमार (मोबाइल : 8142000809), ई-मेल : Email: vikas@bankauctions. in

वाहनों के निरीक्षण की तिथि : 13 से 15 फरवरी, 2020 को 10.00 बजे प्रातः से 6.00 बजे सायं तक 2, कम्युनिटी सेंटर, तीसरी मंजिल, (निकट पीवीआर/मैक्डोनॉल्ड) नारायणा, नई दिल्ली-110028.

इच्छुक संविदाकारों को निम्नलिखित बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से (डीडी बेस्ट टेक्सटाइल्स लिमिटेड सीआईआरपी के तहत परिसमापन, नई दिल्ली के पक्ष में) ईएमडी राशि जमा करनी अपेक्षित है

बैंक का नाम : ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
खाता धारक का नाम : बेस्ट टेक्सटाइल्स लिमिटेड
सीआईआरपी के तहत परिसमापन बैंक खाता सं. : 00071242000062
आईएफएससी कोड : ORBC0100007

ह./-
मनोज कुमार आनन्द
परिसमापक
बेस्ट टेक्सटाइल्स लिमिटेड
आईपी पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-001/IP-P00084/2017-18/10180
तिथि : 05/02/2020 ई-मेल आईडी : anandmanoja@gmail.com
स्थान : नई दिल्ली सम्पर्क नं. : 9811280787

मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड
(पूर्व में धानुका कर्मशियल लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय: 523-ए,सोमदत्त चैम्बर-II, 9, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110066
CIN: L30007DL1994PLC260191 | दूरभाष: 011-26171326 |
info@dhanukacommercial.com | www.moneyboxxfinance.com |

सूचना

सेबी (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 साथ में पठित विनियमन 47 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी के दिसम्बर 31, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार, अनुमोदन एवं रिकार्ड में ग्रहण करने, साथ में प्रीफन्सियल बेसिस पर इक्वीटी शेयर्स आबंटन पर विचार एवं अनुमोदन हेतु निर्देशक मंडल की बैठक बुधवार, फरवरी 12, 2020 को आयोजित करनी तय की गई है।

इस सूचना में निहित जानकारी साथ में कम्पनी की वेबसाइट i.e. www.moneyboxxfinance.com एवं साथ में स्टॉक एक्सचेन्जों की वेबसाइट i.e. www.bseindia.com जहाँ पर कम्पनी के शेयर्स सूचीबद्ध हैं, पर भी उपलब्ध है।

कृते मनीबौक्स फाईनेन्स लिमिटेड
हस्ता०/-
राधिका गर्ग
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या 36587
तिथि : फरवरी 04, 2020
स्थान : नई दिल्ली

कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड
पंजी. कार्या.: 905, न्यू दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001
CIN: L74110DL1980PLC010678 फोन: 91-11-40045955
ई मेल: compliance@kotiaenterprises.com, वेबसाइट: www.kotiaenterprises.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

(रु लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त वर्ष से तिथि 31.12.2019 अनंकेक्षित	समाप्त पिछला वर्ष 31.03.2019 अंकेक्षित
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	680.46	4253.61	9005.52
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/व असाधारण मदों से पूर्व)	19.67	117.84	138.22
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	19.67	117.84	138.22
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	14.56	87.20	99.21
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल]	18.45	109.89	99.21
6	इक्विटी शेयर पूंजी	702.05	702.05	702.05
7	पिछले वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दिखाए अनुसार रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)	-	-	-
8	प्रति शेयर आय (असाधारण मदों के बाद) (प्रत्येक ₹ 10/-) बेसिक : डायल्यूटिड	0.21 0.21	1.24 1.24	1.41 1.41

नोट्सः
1. 04 फरवरी, 2020 को आयोजित बैठक में 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई है और फिर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
2. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज की गई उपरोक्त 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
3. अपवादात्मक और/व असाधारण मदें, Ind-AS नियम के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में समायोजित हैं।

कृते कोटिया एंटरप्राइजेज लिमिटेड
हस्ता./-
अंकित अग्रवाल
(प्रबंध निदेशक)
DIN: 05254327
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 04 फरवरी, 2020

JINDAL SAW LIMITED
CIN - L27104UP1984PLC023979
Regd. Off.: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403
Corp. Office : Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019

(₹ Crores)

S. No.	Particulars	Standalone Quarter ended 31.12.2019 Unaudited	Standalone Nine months ended 31.12.2019 Unaudited	Standalone Year ended 31.03.2019 Audited	Standalone Quarter ended 31.12.2018 Unaudited	Consolidated Quarter ended 31.12.2019 Unaudited	Consolidated Nine months ended 31.12.2019 Unaudited	Consolidated Year ended 31.03.2019 Audited	Consolidated Quarter ended 31.12.2018 Unreviewed
1.	Total income from continuing operations	2,748.35	7,776.32	10,050.59	2,398.78	3,009.89	8,802.50	12,263.17	2,991.71
2.	Net profit/(loss) from continuing operations for the period/ year (before tax, exceptional items and share of profit/(loss) of associate and joint venture)	210.87	586.21	739.00	216.23	146.92	437.21	609.71	181.47
3.	Net profit/(loss) from continuing operations for the period/ year before tax (after exceptional items and share of profit/(loss) of associate and joint venture)	176.42	498.19	739.00	216.23	108.08	373.89	987.61	181.47
4.	Net profit/(loss) from continuing operations for the period/ year after tax (after exceptional items and share of profit/(loss) of associate and joint venture)	119.69	568.69	498.09	150.16	64.57	433.54	775.99	121.75
5.	Total comprehensive income for the period /year [Comprising profit/(loss) for the period/ year (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	119.36	567.70	498.74	152.01	64.30	432.32	734.59	134.29
6.	Equity share capital	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95	63.95
7.	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet			6,301.56				6,218.41	
8.	Earnings per share (of ₹ 2/- each)								
	(1) Basic	3.74	17.78	15.58	4.70	2.77	16.38	26.97	4.35
	(2) Diluted	3.74	17.78	15.58	4.70	2.77	16.38	26.97	4.35

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/nine months/annual financial results are available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.jindalsaw.com.

On behalf of Board of Directors of Jindal Saw Limited
Sd-
Sminu Jindal
Managing Director
DIN : 00005317
Place: New Delhi
Date: February 4, 2020

HEXA TRADEX LIMITED
CIN - L51101UP2010PLC042382
Regd. Office : A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403
Corp. Office : Jindal Centre,12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2019

(₹ lakhs)

Particulars	Standalone Quarter ended 31.12.2019 Unaudited	Standalone Nine months ended 31.12.2019 Unaudited	Standalone Year ended 31.03.2019 Audited	Standalone Quarter ended 31.12.2018 Unaudited	Consolidated Quarter ended 31.12.2019 Unaudited	Consolidated Nine months ended 31.12.2019 Unaudited	Consolidated Year ended 31.03.2019 Audited	Consolidated Quarter ended 31.12.2018 Unreviewed
Total income from operations	0.13	1.78	50.51	21.83	3.77	19.73	5,557.42	5,505.39
Net profit/(loss) before tax	(45.58)	(150.60)	(199.24)	(29.87)	(41.45)	(1,579.46)	4,281.72	4,888.65
Net profit/(loss) after tax	(34.11)	(134.95)	(137.55)	(21.56)	(14.64)	(1,093.11)	4,716.73	5,245.88
Total comprehensive income [Comprising profit/(loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(30.87)	466.19	334.63	(31.03)	743.88	(1,489.19)	1,277.48	1,503.71
Equity share capital	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91
Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the audited balance sheet			24,434.43				27,604.80	
Earnings per share (of ₹ 2/- each)								
(1) Basic	(0.06)	(0.24)	(0.25)	(0.04)	(0.03)	(1.98)	8.54	9.50
(2) Diluted	(0.06)	(0.24)	(0.25)	(0.04)	(0.03)	(1.98)	8.54	9.50

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/nine months/annual financial results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/nine months/annual financial results are available on the websites of the stock exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website, www.hexatradex.com.

On behalf of Board of Directors of Hexa Tradex Limited
Sd-
Raj Kamal Aggarwal
Director
DIN : 00005349
Place: New Delhi
Date: February 4, 2020

अद्भुत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : डी-15, पम्पोश एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
दूरभाष : 011-45210051 | **ई-मेल** : adhbhut.ind@rediffmail.com
वेबसाइट : http://www.adhbhutinfra.com
सीआईएन : L51503DL1985PLCO20195

सदस्यों के लिए पोस्टल बैलट एवं ई-वोटिंग सूचना

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के अनुसार सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने 03 जनवरी, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज समस्त सदस्यों के पास 5 फरवरी, 2020 को पोस्टल बैलट प्रपत्र सहित पोस्टल बैलट की सूचना (अ) जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी भागीदारों के रिकार्ड में दर्ज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा (ब) जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत नहीं हैं उनके पास पोस्टेज प्रीपेड स्वपता लिखित बिजिनेस रिप्लाई लिफाफे सहित भौतिक माध्यम से भेजा जा चुका है। निम्नलिखित मामलों हेतु इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान सहित पोस्टल बैलट द्वारा कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पोस्टल बैलट भेजे गये हैं :

मद सं.	प्रस्ताव का विवरण
1.	वित्त वर्ष 2019-20 हेतु मैसर्स गुरवीर मक्कड़ एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स के त्यागपत्र के कारण आकस्मिक रिक्ति भरने हेतु विधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स एसएसआरए एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स (एफआरएन सं. : 014266एन) की नियुक्ति।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी के सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की सेवाएँ ग्रहण की हैं। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया सूचना में तथा सीडीएसएल की वेबसाइट **https://www.evotingindia.com/** पर उपलब्ध है।

पोस्टल बैलट तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान बुधवार, 05 फरवरी, 2020 को 9.00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगा तथा बृहस्पतिवार, 05 मार्च, 2020 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगा। सूचना तथा पोस्टल बैलट प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट पर लिंक **https://www.adhbhutinfra.com** में तथा सीडीएसएल की वेबसाइट **https://www.evotingindia.com/** पर उपलब्ध है। यह बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (**www.bseindia.com**) पर भी उपलब्ध है जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलट सूचना नहीं प्राप्त हुई है अथवा जिन्हें ई-मेल द्वारा पोस्टल बैलट नहीं प्राप्त हुए हैं अथवा जो भौतिक पोस्टल बैलट प्रपत्र के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं वे इसे कम्पनी की वेबसाइट अथवा लिंक **https://www.adhbhutinfra.com** से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा डुप्लीकेट पोस्टल बैलट प्रपत्र हेतु अपना निवेदन ई-मेल **beetalrta@gmail.com** पर श्री पुनीत मित्तल के पास भेज सकते हैं।

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने मैसर्स एस. खुराना एण्ड एसोसिएट्स, कार्यकारी कम्पनी सचिवों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट के संचालन हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्यों से ध्यान दिये जाने का निवेदन है कि वे पूर्ण रूप से भरे और हस्ताक्षरित पोस्टल बैलट प्रपत्र संवीक्षक के पास शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 तक भेज दें।

पोस्टल बैलट के परिणामों की घोषणा कम्पनी की वेबसाइट के लिंक **https://www.adhbhutinfra.com** पर शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को की जायेगी। संवीक्षक की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट **https://www.adhbhutinfra.com** पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट **https://www.evotingindia.com/** तथा बीएसई लिमिटेड पर भी अपलोड किये जायेंगे।

ई-मतदान से सम्बन्धित किसी पूछताछ या मुद्दे के लिए सदस्य **www.evotingindia.com** पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू") तथा सदस्यों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल भेज सकते हैं, ई-मतदान सम्बन्धी समस्त भावी पत्राचार, यदि कोई हो, निम्नलिखित को सम्बोधित किये जाने चाहिए :

अद्भुत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
डी-15, पम्पोश एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
ई-मेल : adhbhut.ind@rediffmail.com वेबसाइट : www.adhbhutinfra.com
श्री अनुभव धाम
पूर्णकालिक निदेशक

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड
ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू.) मुम्बई-400013
श्री राकेश दलवी
दूरभाष : 1800225533
ई-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड
"बीटल हाउस" तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एल.एस.सी. के पीछे, निकट दादा हरसुख दास मन्दिर, नई दिल्ली-110062
श्री पुनीत मित्तल, दूरभाष नं. : 011-29961281-83 फैक्स नं. : 011-29961284, ई-मेल : beetalrta@gmail.com, वेबसाइट : www.beetalfinancial.com

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते अद्भुत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
अनुभव धाम
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 02656812
दिनांक : 04.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : लोटस ग्रीन सिटी सेक्टर 23 एवं 24, भिवाड़ी अलवर बाइपास 75 मीटर रोड, धारूहेड़ा, रेवाड़ी-123401 भारत दूरभाष : 91-7419885077,
ई-मेल : newtimeinfra2010@gmail.com
वेबसाइट : http://www.newtimeinfrain/
सीआईएन : L24239HR1984PLC040797

सदस्यों के लिए पोस्टल बैलट एवं ई-वोटिंग सूचना

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के अनुसार सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने 03 जनवरी, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज समस्त सदस्यों के पास 5 फरवरी, 2020 को पोस्टल बैलट प्रपत्र सहित पोस्टल बैलट की सूचना (अ) जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी भागीदारों के रिकार्ड में दर्ज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा (ब) जिनके ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकृत नहीं हैं उनके पास पोस्टेज प्रीपेड स्वपता लिखित बिजिनेस रिप्लाई लिफाफे सहित भौतिक माध्यम से भेजा जा चुका है। निम्नलिखित मामलों हेतु इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान सहित पोस्टल बैलट द्वारा कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पोस्टल बैलट भेजे गये हैं :

मद सं.	प्रस्ताव का विवरण
1.	वित्त वर्ष 2019-20 हेतु मैसर्स गुरवीर मक्कड़ एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स के त्यागपत्र के कारण आकस्मिक रिक्ति भरने हेतु विधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स एसएसआरए एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स (एफआरएन सं. : 014266एन) की नियुक्ति।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी के सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की सेवाएँ ग्रहण की हैं। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया सूचना में तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर उपलब्ध है। पोस्टल बैलट तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान बुधवार, 05 फरवरी, 2020 को 9.00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगा तथा बृहस्पतिवार, 05 मार्च, 2020 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगा। सूचना तथा पोस्टल बैलट प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट पर लिंक www.newtimeinfra.in में तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ पर उपलब्ध है। यह बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलट सूचना नहीं प्राप्त हुई है अथवा जिन्हें ई-मेल द्वारा पोस्टल बैलट नहीं प्राप्त हुए हैं अथवा जो भौतिक पोस्टल बैलट प्रपत्र के माध्यम से मतदान करना चाहते हैं वे इसे कम्पनी की वेबसाइट अथवा लिंक www.newtimeinfra.in से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा डुप्लीकेट पोस्टल बैलट प्रपत्र हेतु अपना निवेदन ई-मेल beetalrta@gmail.com पर श्री पुनीत मित्तल के पास भेज सकते हैं।

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने मैसर्स एस. खुराना एण्ड एसोसिएट्स, कार्यकारी कम्पनी सचिवों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पोस्टल बैलट के संचालन हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्यों से ध्यान दिये जाने का निवेदन है कि वे पूर्ण रूप से भरे और हस्ताक्षरित पोस्टल बैलट प्रपत्र संवीक्षक के पास शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 तक भेज दें।

पोस्टल बैलट के परिणामों की घोषणा कम्पनी की वेबसाइट के लिंक www.newtimeinfra.in पर शुक्रवार, 6 मार्च, 2020 को की जायेगी। संवीक्षक की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.newtimeinfra.in पर तथा सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com/ तथा बीएसई लिमिटेड पर भी अपलोड किये जायेंगे। ई-मतदान से सम्बन्धित किसी पूछताछ या मुद्दे के लिए सदस्य www.evotingindia.com पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू") तथा सदस्यों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेज सकते हैं, ई-मतदान सम्बन्धी समस्त भावी पत्राचार, यदि कोई हो, निम्नलिखित को सम्बोधित किये जाने चाहिए :

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
लोटस ग्रीन सिटी सेक्टर 23 एवं 24, भिवाड़ी अलवर बाइपास 75 मीटर रोड, धारूहेड़ा, रिवाड़ी-123401 भारत
ई-मेल : newtimeinfra2010@gmail.com वेबसाइट : www.newtimeinfra.in
श्री आशीष पण्डित
पूर्णकालिक निदेशक

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड
ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एन.एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल (पू.) मुम्बई-400013
श्री राकेश दलवी
दूरभाष : 1800225533
ई-मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड
"बीटल हाउस" तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एल.एस.सी. के पीछे, निकट दादा हरसुख दास मन्दिर, नई दिल्ली-110062
श्री पुनीत मित्तल, दूरभाष नं. : 011-29961281-83 फैक्स नं. : 011-29961284,
ई-मेल : beetalrta@gmail.com, वेबसाइट : www.beetalfinancial.com

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
आशीष पण्डित
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 00139001
दिनांक : 04.02.2020
स्थान : नई दिल्ली

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
Resolution Recovery & Law कलस्टर (दक्षिण और पूरब) 92/ई1, आर के मार्किट, मुनिरका, नई दिल्ली-110067,
फोन : 26108530, 26108531, ई-मेल: rrl_7670@obc.co.in

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	खाते का नाम (कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता)	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रु. में)	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख
1	(1) मैसर्स पंकज टेक्सटाइल्स प्रोप. श्री पंकज केडिया पुत्र राम चंदर केडिया द्वारा, 309, तेलिवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-110032 (2) श्री पंकज केडिया पुत्र श्री राम चंदर केडिया, क. डी-179, भूतल, रामप्रस्था, गाजियाबाद-201011, ख 309, तेलिवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-110032 (3) श्रीमती सुलोचना गुप्ता पत्नी श्री नरेंद्र गुप्ता (गारंटर), क. डी-142, भूतल, रामप्रस्था, गाजियाबाद-201011, ख 305-306, तेलिवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-110032 (4) श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी रोहित गुप्ता (गारंटर), क. डी-142, भूतल, रामप्रस्था, गाजियाबाद-201011, ख 309, तेलिवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-110032 (5) श्रीमती पायल गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता पुत्र श्री नरेंद्र गुप्ता (गारंटर), क. डी-142, भूतल, रामप्रस्था, गाजियाबाद-201011, ख 309, तेलिवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-110032	(1) साम्यिक बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति नं. 305-306, खसरा नं. 643 में से, तेलीवाड़ा, चन्दावली शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित, जिसका भूतल का क्षेत्रफल 125 वर्ग गज, और प्रथम तल का क्षेत्रफल 135 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती सुलोचना गुप्ता पत्नी श्री नरेन्द्र गुप्ता के नाम पर है। (2) साम्यिक बंधक व्यवसायिक सम्पत्ति नं. II/309 खसरा नं. 642 में से, तेलीवाड़ा, चन्दावली शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 121.02 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती मंजू गुप्ता पत्नी श्री रोहित गुप्ता और श्रीमती पायल गुप्ता पत्नी श्री राजेश गुप्ता के नाम पर है।	₹ 56,79,231.46 दिनांक 31.12.2019 से भविष्य का ब्याज, संविदात्मक दर पर चुकौती की तिथि तक ब्याज एवं आकिस्मक प्रभार इत्यादि	01-01-2019 / 30-01-2020
2	मैसर्स अल्का क्रिएशन्स कॉर्यालय डी-218-ए, फेज-I, विवेक विहार, दिल्ली-110095, और: श्रीमती अल्का चौधरी (प्रोपराइटर) पत्नी श्री कुंवर पाल सिंह द्वारा, निवासी 6-एच/237, सेक्टर-5, राजिंदर नगर, गाजियाबाद, यू.पी. और श्री संजीव कुमार (गारंटर) पुत्र श्री कुंवर पाल सिंह, निवासी 6-एच/237, सैक्टर-5, राजिंदर नगर, गाजियाबाद, यू.पी.	साम्यिक बंधक व्यवसायिक कॉर्यालय नं. 4, क्षेत्रफल 18.56 वर्ग गज और कॉर्यालय नं. 5, क्षेत्रफल 17.49 वर्ग गज (प्रथम तल), प्लॉट नं. 1, आर्या नगर, कॉलोनी, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती अल्का चौधरी पत्नी श्री संजीव कुमार के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में - 60फीट रोड, पश्चिम में - 10 फीट गली, उत्तर में - कॉर्यालय नं. 3, दक्षिण में - कॉर्यालय नं. 6	₹ 19,82,739.00 दिनांक 31.12.2019 तक और साथ में भविष्य का ब्याज, संविदात्मक दर पर चुकौती की तिथि तक ब्याज एवं आकिस्मक प्रभार इत्यादि	04-10-2018 / 01-02-2020
3	(1) श्री हरमीत सिंह पुत्र श्री तरलोचन सिंह (उधारकर्ता) निवासी : प्लॉट नं. सी-सी21/20, ब्लॉक-सी, गॉव-नंगलकलां के अंतर्गत, टीडीआई सिटी कुंडली, सोनीपत हरियाणा-131028 और: 73-सी, केडी-ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली-110052 (2) श्री गगनजीत सिंह पुत्र श्री तरलोचन सिंह (सह-उधारकर्ता) निवासी : प्लॉट न. सी-सी21/20, ब्लॉक-सी, गॉव-नंगलकलां के अंतर्गत, टीडीआई सिटी कुंडली, सोनीपत हरियाणा-131028 और: 73-सी, केडी-ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली-110052 (3) श्रीमती गुरप्रीत कौर पत्नी श्री गगनजीत सिंह (सह-उधारकर्ता) निवासी : प्लॉट नं. सी-सी21/20, ब्लॉक-सी, गॉव-नंगलकलां के अंतर्गत, टीडीआई सिटी कुंडली, सोनीपत हरियाणा-131028 और: 73-सी, केडी-ब्लॉक, अशोक विहार, दिल्ली-110052 (4) टीडीआई इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कार्यालय 9, के जी मार्ग नई दिल्ली-110001	साम्यिक बंधक प्लॉट नं. सी-सी21/20, ब्लॉक-सी, जोकि गॉव नांगलकलां, टीडीआई सिटी, कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा-131028 में स्थित, क्षेत्रफल 249.86 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री हरमीत सिंह और श्री गगनजीत सिंह के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में - अन्य की भूमि, पश्चिम में - 12मी. चौड़ी रोड, उत्तर में - सी-सी21/19, दक्षिण में - सी-सी21/21	₹ 32,99,926.68 दिनांक 31.12.2019 तक और साथ में भविष्य का ब्याज, संविदात्मक दर पर चुकौती की तिथि तक ब्याज एवं आकिस्मक प्रभार इत्यादि	01-06-2019 / 30-01-2020

दिनांक : 04-02-2020, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

www.readwhere.com

मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में 11 को सुनाई जाएगी सजा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक आश्रय गृह में कई लड़कियों के यौन शोषण व शारीरिक उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराए गए ब्रजेश ठाकुर व 18 अन्य को अदालत 11 फरवरी को सजा सुनाएगी। सीबीआइ के वकील ने ठाकुर को उम्र कैद की सजा देने की अदालत से अपील की जिसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने मंगलवार को अपना फैसला 11 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया। सीबीआइ ने मामले के अन्य दोषियों को भी अधिकतम सजा देने की मांग की। वहीं दोषियों ने अदालत से कम से कम सजा दिए जाने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को सात फरवरी, 2019 को बिहार के मुजफ्फरपुर की स्थानीय अदालत से दिल्ली के साकेत जिला अदालत परिसर की पॉक्सो अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) की ओर से 26 मई 2018 को बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने के बाद सामने आया था।

बता दें कि अदालत ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में 20 जनवरी को ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य को कई लड़कियों के यौन शोषण व शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया था। इन आरोपों में अधिकतम उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ठाकुर ने 2000 में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बिहार पीपुल्स पार्टी (बिपीपा) के टिकट पर चुनाव लड़े थे और हार गए थे। अदालत ने अपने 1,546 पन्नों के फैसले में ठाकुर को

अभियोजन ने मांगी उम्र कैद, बचाव पक्ष का जज से नरमी की अपील

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक इस मामले में सुनवाई प्रतिदिन चली और करीब छह माह के भीतर पूरी कर ली गई।

धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 324 (खतरनाक हथियारों या माध्यमों से चोट पहुंचाना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), उकसाने, पॉक्सो कानून की धारा 21 (अपराध होने की जानकारी देने में विफल रहने) और किशोर न्याय कानून की धारा 75 (बच्चों के साथ क्रूरता) के तहत भी दोषी ठहराया है।

हालांकि मामले में एक आरोपी विक्की को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। महिला आरोपियों में से एक मुजफ्फरपुर की बाल संरक्षण इकाई की पूर्व सहायक निदेशिका, रोजी रानी को पॉक्सो कानून के तहत धारा 21 (1) (अपराध होने की जानकारी देने में विफल रहने) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया। चूंकि इस अपराध के लिए अधिकतम सजा छह महीने की जो वह पहले ही काट चुकी हैं, लिहाजा उसे अदालत ने जमानत दे दी। मुजफ्फरपुर के बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के पूर्व प्रमुख दिलीप कुमार वर्मा, जिला बाल संरक्षण इकाई के बाल संरक्षण अधिकारी रवि रोशन, सीडब्लूसी के सदस्य विकास कुमार और अन्य आरोपी विजय कुमार तिवारी, गुड्डू पटेल, किशन कुमार और रामानुज ठाकुर को पॉक्सो कानून के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न, और भारतीय दंड संहिता व पॉक्सो कानून के तहत आपराधिक षड्यंत्र, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, चोट पहुंचाने, बलात्कार के लिए उकसाने और किशोर न्याय कानून की धारा 75 के तहत दोषी ठहराया गया। दो आरोपियों – राम शंकर सिंह और अश्विनी को आपराधिक षड्यंत्र और बलात्कार के लिए उकसाने के अपराधों का दोषी पाया गया।

राम शंकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, किशोर न्याय कानून की धारा 75 और पॉक्सो कानून की धारा 21 के तहत भी दोषी ठहराया गया। महिला आरोपियों–शाइस्ता प्रवीन, इंदु कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी को आपराधिक षड्यंत्र, बलात्कार के लिए उकसाने, बच्चों के साथ क्रूरता और अपराध होने की रिपोर्ट करने में विफल रहने का दोषी पाया गया। ठाकुर की तरफ से पेश हुए वकील पी के दुबे और निशांक मट्टू ने संवाददाताओं से कहा कि वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। दिलीप का पक्ष रख रहे वकील ज्ञानेंद्र मिश्रा ने भी कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वे फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। अदालत ने सीबीआइ की तरफ से पेश किए 69 गवाहों के बयान दर्ज किए। सीबीआइ का पक्ष लोक अभियोजक अमित जिंदल ने रखा। इसने 44 लड़कियों के बयान दर्ज किए जिनका आश्रय गृह में शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया गया था। इनमें से करीब 13 मानसिक रूप से कमजोर थीं। कुछ आरोपियों की तरफ से पेश हुए वकील धीरज कुमार ने कहा कि अदालत ने बचाव पक्ष के 20 गवाहों को सुना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक इस मामले में सुनवाई प्रतिदिन चली और करीब छह माह के भीतर पूरी कर ली गई।

असम में बस दुर्घटना में छह लोगों की मौत, 30 घायल

ग्वालपारा (असम), 4 फरवरी (भाषा)।

असम के ग्वालपारा जिले में मंगलवार को तेज रफ्तार बस के गहरी खाई में गिरने से छह लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि बस धुबरी से गुवाहाटी की ओर जा रही थी, तभी यह सड़क किनारे एक बिजली के खंभे से टकरा गई। टकराने के बाद बस पलट कर खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक यात्री ने बाद में दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि एक वैन में यात्रा कर रहे पुलिस और सेना के जवानों ने यात्रियों को बचाने का काम शुरू किया। घटना में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया जबकि अन्य को ग्वालपारा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कहना मुश्किल है कि किसने किसका शोषण किया : अदालत

चिन्मयानंद बनाम विधि छात्रा

प्रयागराज, 4 फरवरी (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद द्वारा विधि छात्रा के यौन शोषण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि इसमें किसने किसका शोषण किया है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने सोमवार को भाजपा नेता चिन्मयानंद को जमानत देते हुए कहा कि वास्तव में दोनों ने एक–दूसरे का इस्तेमाल किया है।

न्यायमूर्ति चतुर्वेदी ने इस मामले की सुनवाई शाहजहांपुर से लखनऊ की निचली अदालत में स्थानांतरित कर दी है। दरअसल, छात्रा ने आशंका जताई थी कि मामले की सुनवाई चिन्मयानंद के पैतृक शहर शाहजहांपुर में होने पर वह अपने रसूख से इसे प्रभावित कर सकते हैं।

चिन्मयानंद के ट्रस्ट द्वारा संचालित शाहजहांपुर विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने ही उन पर महीनों तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। नेता को बलात्कार (370–सी) के आरोप में 20 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया। 376–सी धारा उस मामले में लागू होती है, जब आधिकारिक रूप से शक्तिशाली पद पर बैठा कोई व्यक्ति अपने अधिकार का दुरुपयोग कर महिला को अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। इसी से जुड़े एक अन्य मामले में पीड़िता पर आरोप है कि उसने चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की वसूली करने का प्रयास किया था। हाई कोर्ट ने छात्रा को चार दिसंबर, 2019 को जमानत दे दी थी।

सोमवार को चिन्मयानंद की जमानत याचिका मंजूर करते हुए न्यायमूर्ति चतुर्वेदी ने उन आरोपों पर संज्ञान लिया कि छात्रा और उसके दो मित्रों ने कुछ वीडियो के माध्यम से नेता को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया था। छात्रा ने नेता की मालिश करने के दौरान ये वीडियो बनाए थे। हालांकि, छात्रा का आरोप है कि वह चिन्मयानंद के गुंडों की धमकी से डरकर वहां गई थी। बाद में उसने वीडियो क्लिप बनाने के लिए 'स्पाई कैमरों' का इस्तेमाल किया।

न्यायाधीश ने इस पर भी संज्ञान लिया कि छात्रा का परिवार आरोपी व्यक्ति के उदार व्यवहार से लाभान्वित हुआ है। अदालत ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसा लगता है कि यह मामला पूरी तरह से किसी लाभ के बदले कुछ काम करने का है। यहां महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आवेदनकर्ता को जमानत दी जाए या नहीं? जमानत के आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि जैसा कि पहले भी इंगित किया गया है, दोनों ही पक्षों ने अपनी–अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, अब इस स्थिति में यह तय करना मुश्किल है कि किसने किसका उत्पीड़न किया है। वास्तव में दोनों ने एक–दूसरे का इस्तेमाल किया है।

अदालत ने कहा कि रेकार्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जिससे साबित हो कि छात्रा पर कथित उत्पीड़न की अवधि के दौरान, उसने अपने परिजनों से इसका जिक्र भी किया हो। जज ने कहा कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह मामला पूरी तरह से किसी लाभ के बदले काम करने का है। अदालत ने कहा कि हालांकि, एक समय के बाद अधिक हासिल करने के लालच में लगता है कि छात्रा ने अपने साथियों के साथ आरोपी के खिलाफ षड्यंत्र रचा और अश्लील वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया।

सामूहिक बलात्कार मामले में आठ लोगों को सजा

देहरादून, 4 फरवरी (भाषा)।

यहां की एक अदालत ने सामूहिक बलात्कार मामले में आठ लोगों को जेल की सजा सुनाई है।

विशेष पॉक्सो न्यायाधीश रमा पांडे ने डेढ़ साल पहले एक बोर्डिंग स्कूल में एक नाबालिग छात्रा के साथ उसके सीनियर छात्रों द्वारा किए गए सामूहिक बलात्कार और गर्भपात कराने के मामले में सोमवार को मुख्य रूप से दोषी बालिग छात्र सरबजीत को सर्वाधिक 20 साल कारावास की सजा सुनाई जबकि उसके तीन अन्य नाबालिग साथियों को ढाई–ढाई साल की कैद की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता जीडी रतूड़ी ने बताया कि सरबजीत को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी पाया गया।

इस मामले में स्कूल प्रबंधन के भी चार लोगों को अदालत ने सजा सुनाई है जिनमें स्कूल के प्रधानाचार्य जीतेंद्र कुमार शर्मा को तीन साल और निदेशक लता गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी दीपक मल्होत्रा और उनकी पत्नी तनु मल्होत्रा को नौ–नौ साल के कारावास की सजा दी गई है। इन सभी को घटना का पता चलने के बाद स्कूल की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसे महीनों तक छिपाने, पीड़ित छात्रा का गर्भपात कराने और बात उजागर करने पर उसे स्कूल से निकाले जाने की धमकी देने का दोषी पाया गया है। अदालत ने स्कूल प्रबंधन पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है जो पीड़िता को दिए जाएंगे।

ICL™
Your Career with image

ICL ORGANIC DAIRY PRODUCTS LIMITED

Our Company was originally incorporated as **"ICL Organic Dairy Products Private Limited"** on February 21, 2013 under the provisions of the Companies Act, 1956 bearing Corporate Identification Number U74120UP2013PTC055187 issued by the Registrar of Companies, Kanpur, Uttar Pradesh. Subsequently our company was converted into Public Limited Company and the name of our Company was changed to **"ICL Organic Dairy Products Limited"** vide a fresh Certificate of Incorporation dated January 23, 2019 bearing Corporate Identification Number U74120UP2013PLC055187 issued by the Registrar of Companies, Kanpur, Uttar Pradesh. For further details of change in name and registered office of our Company, please refer to section titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no 75 of the Prospectus.

Registered office: A-105, 3rd Floor, Sector-63, Gautam Buddha Nagar, Noida, Uttar Pradesh – 201301, India.
Contact Person: Ms. Neha Mittal, Company Secretary & Compliance Officer. **Tel No.:** 0120-4544142/4544143/4319744
E-Mail ID: cs@icldairy.com; **Website:** www.icldairy.com; **CIN:** U74120UP2013PLC055187

OUR PROMOTERS:
(I) MR. ROOP KISHORE GOLA AND (II) MR. AVADHESH KUMAR GOLA

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF 20,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF ICL ORGANIC DAIRY PRODUCTS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹20/- PER EQUITY SHARE, INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹10/- PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹408.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,02,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹20/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹20.40 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTIONS BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 19,38,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹20/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹387.60 LAKHS IS HERE IN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE".

THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 33.99% AND 32.29% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAIDUP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

ISSUE PROGRAMME: ISSUE OPEN
ISSUE EXTENDED UPTO FEBRUARY 07, 2020

This is with respect to the corrigendum published by the Company in the newspapers on February 01,2020 regarding the additional disclosures as below:

Corrigendum to the Prospectus dated January 27, 2020

On Page no.20 of the Prospectus dated January, 27, 2020, Point 6 of the Risk Factors should be read as below:

6. One of Our group company had come out with an IPO which was under subscribed:

One of our group company "ICL Multitrading India Limited" had filed the prospectus dated November 10, 2018 for their proposed IPO on the Emerge platform of NSE, which was devolved due to under subscription.

SEBI vide its Order Ref. WTM/GM/CFD/66/2019-20 dated January 16, 2020 has passed the following Order:

"Further, I hereby direct an investigation into the events surrounding the abovementioned SME-IPO of ICL and the allegations raised by the Noticee against ICL. Such investigation shall look into the roles played by ICL and CCV in the entire matter and shall be concluded expeditiously. CCV and ICL are hereby directed to extend all necessary co-operation to the investigation and any failure to do so on their part may lead to drawing of adverse inferences against them."

Note: ICL refers to ICL Multitrading India Ltd
CCV refers to Corporate Capital Ventures Private Limited (Merchant Banker)

The above contents are reproduced as verbatim as appeared in the SEBI's Order dated 16.1.2020

In this respect, in order to allow the investors to fully absorb the additional disclosure provided by our company through public advertisement on February 1, 2020, regarding the issuance of SEBI Order calling for investigation of ICL Multi Trading India Limited (the "Group Company") and Corporate Capital Ventures Private Limited (the "Merchant Banker"), our Company has decided to extend the issue closure date of the captioned IPO by 3 working days i.e. till Friday, February 7, 2020

All concerned are hereby advised to read the Order Ref. WTM/GM/CFD/66/2019-20 dated January 16, 2020 carefully before investing in the current issue of ICL Organic Dairy Products Ltd which is presently open for subscription and extended till February 7, 2020

For ICL Organic Dairy Products Ltd
Sd/-
Director

Place: Noida
Date: February 4, 2020

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT)

JANUS CORPORATION LIMITED

Corporate Identification Number: U74999MH1998PLC117279

Our Company was originally incorporated as a private limited company under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai dated November 30, 1998 with the name 'Passion Marketing Private Limited' Pursuant to approval of the shareholders at an extraordinary general meeting held on May 21, 2013, the name of our Company was changed to 'Janus Corporation Private Limited' and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai on May 29, 2013. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to approval of the shareholders at an extraordinary general meeting held on June 4, 2013 and consequently, the name of our Company was changed to 'Janus Corporation Limited' and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to public limited company was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai on June 17, 2013. For further details of our Company, see "General Information" and "History and Certain Other Corporate Matters" on pages 33 and 71, respectively.

Registered Office: D-203, Crystal Plaza, Opp. Infinity Mall, New Link Road, Andheri (West), Mumbai – 400053, Maharashtra, India
Tel: +91 22 6236 3222 | **Website:** www.januscorp.co.in | **E-mail:** info@januscorp.co.in
Contact Person: CS Surbhi, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTER OF THE COMPANY: LEMON MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED AND SACHIN B. PURI

BASIS OF ALLOTMENT

PUBLIC ISSUE OF 15,99,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH OF JANUS CORPORATION LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 50.00 PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 40.00 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 799.50 LAKHS ("THE ISSUE"). OF THE ISSUE, 81,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 40.50 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 15,18,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 50.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 759.00 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.86% AND 26.45%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 141 OF THE PROSPECTUS.

As per Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended, as present issue is a fixed price offer the allocation in the net offer to the public category shall be made as follows:
a) Minimum fifty percent to retail individual investors; and
b) Remaining to:
i. Other investors including corporate bodies or institutions, irrespective of the number of specified securities applied for;
c) The unsubscribed portion in either of the categories specified in (a) or (b) above may be allocated to the applicants in the other category.
If the retail individual investor category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, accordingly the retail individual investors shall be allocated that higher percentage

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH AND THE ISSUE PRICE OF ₹ 50 IS 5 TIMES OF THE FACE VALUE

ISSUE OPENED ON: JANUARY 27, 2020 | CLOSED ON: JANUARY 30, 2020

PROPOSED LISTING: THURSDAY, FEBRUARY 6, 2020*

The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated February 5, 2019 from BSE Limited ("BSE") for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, BSE shall be the Designated Stock Exchange. The trading is proposed to be commenced on or about **THURSDAY, FEBRUARY 6, 2020***.

Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE SME Platform.

All Applicants were allowed to participate in the Issue through APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA") process by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs"). Further, for Retail Individual Investors (individual Investors biding for amount upto ₹ 2 Lacs) use of UPI Id in Application Form is mandatory while applying for equity IPOs through Designated Intermediaries (Syndicate members, Registered Stock Brokers, Registrar and Transfer agent and Depository Participants). All Other Category of Investors shall mandatorily use only Application Supported by Blocked Amount (ASBA) facility for making payments.

SUBSCRIPTION DETAILS

The Issue has received 404 applications (after removing applications not banked) for 19,08,000 Equity Shares resulting in 1.19 times subscription (including reserved portion of Market Maker). The details of the applications received in the Issue (before technical rejections) are as follows:

Detail of the Applications Received (Before Technical Rejection):

Category	No. of Applicants	%	No. of Equity shares	%	Subscription
Market Maker	1	0.25%	81,000	4.25%	1.00
Retail Individual Investors	375	92.82%	11,25,000	58.96%	1.48
Other Investors	28	6.93%	70,2000	36.79%	0.92
Total	**404**	**100.00%**	**19,08,000**	**100.00%**	**1.19**

The details of applications rejected by the Registrar on technical grounds / withdrawal are detailed below:

Technical rejection / Withdrawal

Category	No. of Applications	No. of Equity Shares
Market Maker	Nil	Nil
Retail Individual Investors	5	15,000
Other Investors	Nil	Nil
Total	**5**	**15,000**

After eliminating Technically Rejected applications, the following table gives the details of Category wise net valid applications:

Category	No. of Applicants	%	No. of Equity Shares (Valid)	%.	Subscription	Proportionate No. of Equity Shares (Allocated) After Rounding Off*
Market Maker	1	0.25%	81,000	4.28%	1.00	81,000
Retail Individual Investors	370	92.73%	11,10,000	58.64%	1.19	9,30,000
Other Investors	28	7.02%	7,02,000	37.08%	1.19	5,88,000
Total	**399**	**100.00%**	**18,93,000**	**100.00%**	**1.18**	**15,99,000**

In view of the explanation provided under regulations 253 (2) of the SEBI (ICDR) Regulation, 2018, the Retail Category has applied for 61.26% and 38.74% by Non-Retail Investor; accordingly, we have derived the issue size for different categories. Further, owing to rounding off, an additional share has been proportioned to be allotted in retail investors.

Allocation: The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange - BSE on February 3, 2020.

A. Allocation to Market Maker (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Market Maker, at the issue price of ₹ 50/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times. The total number of shares allotted in this category is 81,000 Equity Shares.

B. Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the issue price of ₹ 50/- per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The total number of shares allotted in this category is 9,30,000 Equity Shares to 310 successful applicants. The Category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Receives	% to Total	Total No. of Shares Applied in each category	% of Total	Proportionate Shares Available	Allocation per Applicant Before Rounding Off	Allocation per Applicant After Rounding Off	Ratio of Allottees to Applicants	Total No. of Shares Allotted	Surplus/ Deficit
3000	370	100.00	1110000	100.00	930000	2513.51	3000	31:37	930000	0
Total	**370**	**100.00**	**1110000**	**100.00**	**930000**				**930000**	**0**

C. Allocation to Other Investors (After Technical Rejections): The Basis of Allotment to the Other Investors, at the issue price of ₹ 50/-per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category was subscribed 1.190 times. The total number of shares allotted in this category is 5,88,000 Equity Shares.

The Category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Receives	% to Total	Total No. of Shares Applied in each category	% of Total	Proportionate Shares Available	Allocation Per Applicant Before Rounding Off	Allocation Per Applicant After Rounding Off	Ratio of Allottees to Applicants	Total No. of Shares Allotted	Surplus/ Deficit
6000	5	17.86	30000	4.27	25128	5025.6	3000	1:1	15000	-10128
		0.00		0.00			3000	3:5	9000	9000
9000	2	7.14	18000	2.56	15077	7538.5	6000	1:1	12000	-3077
		0.00		0.00			3000	1:2	3000	3000
12000	1	3.57	12000	1.71	10051	10051	9000	1:1	9000	-1051
15000	8	28.57	120000	17.09	100513	12564.13	12000	1:1	96000	-4513
		0.00		0.00			3000	1:4	6000	6000
18000	2	7.14	36000	5.13	30154	15077	15000	1:1	30000	-154
24000	1	3.57	24000	3.42	20103	20103	21000	1:1	21000	897
30000	1	3.57	30000	4.27	25128	25128	24000	1:1	24000	-1128
54000	8	28.57	432000	61.54	361846	45230.75	45000	1:1	360000	-1846
		0.00		0.00			3000	1:8	3000	3000
Grand Total	**28**	**100.00**	**702000**	**100.00**	**588000**				**588000**	**0**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on February 3, 2020 has taken on record the Basis of Allocation of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for the transfer of the Equity Shares to various successful applicants.

The Refund/allotment intimation will be dispatched to the address of the Applicants as registered with the depositories on or about February 5, 2020. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will be processed on or prior to February 5, 2020. In case the same is not received within ten days, investors may contact Registrar at the address given below.

The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on SME Platform of BSE Limited within six working days from the date of the closure of the Issue.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated January 16, 2020 ("Prospectus").

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED at www.bigshareonline.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1st floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai- 400 059, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 22 6263 8200 | **Fax No.:** +91 22 6263 8299
Email: ipo@bigshareonline.com | **Website:** www.bigshareonline.com

FOR **JANUS CORPORATION LIMITED**
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place: Mumbai
Date: February 4, 2020

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF JANUS CORPORATION LIMITED.

Raka

www.readwhere.com

कॉर्ड्स केबल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 94, प्रथम तल, शम्भु दयाल बाग मार्ग, निकट ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेज–III, ओल्ड ईश्वर नगर, नई दिल्ली–110020, दूरभाष : 011–40551280, * फैक्स : 011–40551281, * वेबसाइट : www.cordscable.com * ईमेल : ccil@cordscable.com * सीआईएन : L74999DL1991PLC046092

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/नौमाही हेतु सीमित समीक्षा प्रतिवेदन के साथ अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 13 फरवरी, 2020 को आयोजित की जायेगी।

उपर्युक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.cordscable.com) तथा स्टॉक एक्सचेंजों, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइटों (www.bseindia.com) तथा (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है। सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार हेतु ट्रेडिंग विंडो समस्त निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके घनिष्ठ सम्बन्धियों (जैसा कि संहिता में परिभाषित है) हेतु 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/नौमाही हेतु कम्पनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घण्टे पश्चात तक बन्द रहेगी।

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते कॉर्ड्स केबल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
ह./-
स्थान : नई दिल्ली — गरिमा पन्त
तिथि : 04 फरवरी, 2020 — कम्पनी सचिव

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

प्रकाशन नोटिस ओए0 संख्या 160/2019

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सैक्शन 19 की उप–सैक्शन (4) सपठित ऋण वसूली अधिकरण (प्रोसीजर) नियम 1993 के नियम 5 के उप–नियम (2क) के अंतर्गत सूचना

जारी संख्या 64 — दिनांक: 01.02.2020

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मैसर्स इण्डियन स्वीट्स एवं अन्य

[illegible]

अतः ये उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध रू. 22,99,791.45/- की वसूली हेतु ओ.ए. सं. 160/2019 ... [illegible] ... दिनांक 01 फरवरी, 2020 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड

[illegible]

सूचना

[illegible] ... बजे सायं कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जायेगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड
ह./-
स्थान : नई दिल्ली — (शालू गर्ग)
स्थान : 03.02.2020 — कम्पनी सचिव
एम.नं. : A44353
सी–304, संसद विहार अपार्टमेंट्स,
प्लॉट सं. 02, सेक्टर–3, एन.एस.एल.टी. द्वारका–110078

ASSOCIATED FINMAN LIMITED

Regd. Office: 59/17, Ground Floor, Babubali Apartments, New Rohtak Road, New Delhi-110005
Email Id: associatedfinman1984@gmail.com; Tel No.: +91 1132963621
CIN: L65910DL1984PLC018871, Website: www.associates.net.in

NOTICE

Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday 13th February, 2020 at 03:00 P.M. at the registered office of the company inter-alia to Consider and approve the Unaudited Financial Results along with Limited Review Report of the Company for the Quarter ended December 31, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at http://www.associates.net.in and may also be accessed on the Stock Exchange websites at https://www.msei.in Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report Trading" which would end 48 hours after the results are made public on 13th February 2020.

For Associated Finman Limited
Sd/-
Place: Delhi — (Sandeep Jangir)
Date: 05.02.2020 — Company Secretary & Compliance Officer

PRECISION ELECTRONICS LIMITED

Regd. Office: D-1081, New Friends Colony, New Delhi-110025
CIN: L32104DL1979PLC009590

Notice of Board Meeting

Notice is hereby given that pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, meeting of Board of Directors of the Company shall be held on Thursday, February 13, 2020 at 11.30 a.m. to consider inter-alia the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2019.

The notice is also available on Company's website www.pel-india.com and Bombay stock exchange www.bseindia.com.

For Precision Electronics Limited
Sd/-
Veenita Puri
Place: Noida — Company Secretary &
Date: 05.02.2020 — Compliance Officer

लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 504–टी–2–एनडी
प्लॉट सं. 6/4 जैना टीएच एफ डिस्ट्रिक्ट सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
(ई) leadingleashing@gmail.com,
(वेब) www.llflltd.com
सीआईएन : L65910DL1983PLC016712
दूरभाष : 011–65632288

सूचना

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों तथा अनिवार्य समझे जाने वाले अन्य प्रकार्यों पर विचार करने तथा रिकार्ड पर लेने के लिए शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को 4:00 बजे सायं कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जायेगी।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
ह./-
स्थान : नई दिल्ली — (अमी जिनेन शाह)
स्थान : 03.02.2020 — पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 06792048
8, गिरिराज, द्वितीय तल, खोटोचिवाड़ी, वी.पी. रोड, मुम्बई–400004, महाराष्ट्र

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

(पूर्व में ए.यू. फाईनेंसर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (CIN:L36911RJ1996PLC011381)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1)) कब्जा सूचना

जबकि, (अधोहस्ताक्षरकर्ता) एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54)" और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमों के नियम (3) के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ... [illegible] ... 06 सितम्बर 2018 ... LSDWM05716-170521601 ... 1250421/- ... [illegible]

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती बनलता समल की सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर, एवं फिक्चर स्थित सम्पत्ति नं. एफ-150, खसरा नं. 138, राम पार्क एक्सटेंशन, ग्राम हुकीकतपुर (खुदावश), परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद - 201102, उ.प्र. क्षेत्रफल 100 वर्ग गज पर स्थित है। जिसकी चारों सीमाएं :-

पूर्व : रास्ता — पश्चिम : रास्ता
उत्तर : अन्य सम्पत्ति — दक्षिण : अन्य सम्पत्ति

दिनांक: 30 जनवरी, 2020 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: गाजियाबाद — एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड–248171

समक्ष वसूली अधिकारी–प्रथम, ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
मांग तथा उपस्थित होने की सूचना

(ऋण वसूली व दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुभाग 25 से 29 के साथ पढ़ते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत नोटिस)

आर.सी. संख्या 19/2019, टी.ए. संख्या 291/2018 — जारी संख्या 576, दिनांक 20.09.2019

इण्डियन ओवरसीज बैंक — बनाम — पीताम्बर सिंह एवं अन्य
लक्सर, जिला– हरिद्वार, उत्तराखण्ड

सेवा में,
सीडी. 1: पीताम्बर सिंह पुत्र श्री शादी राम, निवासी: ग्राम– जेतपुर, पोस्ट एवं जिला– लक्सर, जिला– हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
सीडी. 2: रविश कुमार पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, निवासी ग्राम– जेतपुर, पोस्ट एवं जिला– लक्सर, जिला– हरिद्वार, उत्तराखण्ड। — सर्टिफिकेट देनदार

(i) यह सूचित करना है कि आप पर रू0 14,64,246.00/– ... [illegible] ... @10.00% ... 11.12.2019 ... टी.ए. 291/2018 ... रू0 62,000.000 ... [illegible]

(ii) आप को यह मांग पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर उपर्युक्त निर्धारित राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल रहने पर ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 और नियम के अनुसार वसूली की जाएगी।

(iii) उक्त धनराशि के अतिरिक्त आप निम्नलिखित के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
ए) इस प्रमाण पत्र/निष्पादन प्रक्रिया की सूचना के तुरंत बाद की अवधि हेतु देय ब्याज राशि सभी लागत, प्रभार और खर्चे।
बी) इस सूचना को दिए जाने और इस प्रक्रिया में होने वाली सभी लागतें, प्रभार और व्यय, जिसे देय राशि की वसूली हेतु प्रक्रिया में किया गया है।

(iv) यदि आप द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता उस स्थिति में आपको आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06.03.2020 को समय 11:00 पूर्वान्ह उपस्थित हों।

अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 20 दिसम्बर, 2019 से जारी।

रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी, देहरादून

मिडईस्ट (इंडिया) लि.

CIN:L63090DL1977PLC008684
पंजी. कार्यालय: भूतल, 8/15, मेहराम नगर, नई दिल्ली–110037
Tel: 011-25675344, 69333390
Email id: nsparameswaran@mescosteel.com
Website: www.mideastindialtd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29(1)(ए) तथा विनियमन 47(1) (ए) के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैण्डएलॉन तथा समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.mideastindialtd.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia. com पर भी देखी जा सकती है।

मिडईस्ट (इंडिया) लि. के लिए
हस्ता./-
रीता सिंह
स्थानः नई दिल्ली — निदेशक
तिथिः 5.2.2020 — DIN: 00082263

EON ELECTRIC LIMITED

Registered Office: 1048, Sector-14, Sonepat - 131 001, Haryana, India
Corporate Office: C-81, 2nd Floor, Hosiery Complex, Phase-II, Noida-201305, Uttar Pradesh, India
CIN: L31200HR1989PLC035580 P:+91-11-41005454
W: www.eonelectric.com E: corporate@eonelectric.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Eon Electric Limited shall be held on Friday, the 14th day of February, 2020 at New Delhi to consider and approve, inter-alia, the Un-audited Financial Results of the Company for the 3rd quarter and Nine months ended on December 31, 2019 of the Financial Year 2019-20, in accordance with the provisions of Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The Notice is also available on the website of the Company at www.eonelectric.com as well as on the websites of Stock Exchanges - The BSE Limited at www.bseindia.com and The National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For Eon Electric Limited
Sd/-
Place: Noida — Kul Bhushan Satija
Date: February 04, 2020 — Chief Financial Officer

AUTO PINS (INDIA) LIMITED

Registered Office: 2776 Pyarelal Motor Market Kashmere Gate, Delhi-110006
Landline: (91)-11-23978748
CIN: L34300DL1975PLC007994
Web: http://www.autopinsindia.com
E-Mail: autopins@vsnl.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, 14th February, 2020 at 04:00 P.M. at the Registered Office of the Company situated at 2776, Pyarelal Motor Market, Kashmere Gate, Delhi-110006, inter alia, to consider and approve the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the Third Quarter and Nine Months ended 31st December, 2019.

The said notice may be accessed on the Company's website www.autopinsindia.com and of the Stock Exchange website www.bseindia.com

By Order of the Board
For Auto Pins (India) Limited
Sd/-
Place: Delhi — Rajbir Singh
Date: 04.02.2020 — Managing Director

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम)
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Navaratna Undertaking of Govt. of India)
पूर्वी क्षेत्र / Eastern Region
पांचवी मंजिल, उकील हाउस, 41, शेक्सपीयर सरणी, कोलकाता-700 017 (प.बं.), दूरभाष-033 2283 7101-05

कॉनकोर नीचे उल्लेखित कार्य के निष्पादन हेतु एकल पैकेट प्रणाली में ई-निविदा आमंत्रित करती है:-

निविदा सं.	सीओएन/ईआर/इलेक्ट/ओनाल एएमसी-I/2020
कार्य का नाम	कंटेनर टर्मिनल-नाजिरहाट, शालीमार, दुर्गापुर, सिंगूर, ठाकुरपुकुर स्टाफ क्वार्टर और पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय पर सबस्टेशन और विद्युत प्रतिष्ठानों के वार्षिक रखरखाव से संबंधित सेवाएं
अनुमानित लागत	रु. 40.45 लाख
अनुबंध की अवधि	24 महीने
बयाना राशि जमा	रु. 80,897/- (ई-भुगतान के जरिए)
दस्तावेज की कीमत (अप्रतिदेय)	रु. 1180/-(रु.1000/- + 18% की दर से जीएसटी) ई-भुगतान के जरिए
निविदा प्रसंस्करण शुल्क (अप्रतिदेय)	रु. 2390/- जीएसटी सहित (ई-भुगतान के जरिए)
बिक्री की तारीख (ऑनलाइन)	05.02.2020 (14.30 बजे) से 25.02.2020 (18.00 बजे) तक
निविदा जमा करने की तारीख एवं समय (ऑनलाइन)	26.02.2020 को 15.00 बजे तक
निविदा खुलने की तारीख एवं समय	27.02.2020 को 15.30 बजे

कॉनकोर के पास बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। परिपूर्ण विवरण के लिए www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें।

हस्ता/- मुख्य महाप्रबंधक/पूर्वी क्षेत्र

गुडईअर इंडिया लिमिटेड

(CIN: L25111HR1961PLC008578)
पंजीकृत कार्यालय: मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला फरीदाबाद)–121004, हरियाणा, भारत
कॉर्पोरेट कार्यालय: 1ला तल, एबीडब्ल्यू एलीगैन्स टावर, प्लॉट नं. 8, कॉमर्सियल सेन्टर, जसोला, नई दिल्ली–110025, भारत
टेलीफोन: 0129–6611000, **फैक्स:** 0129–2305310
ईमेल: goodyearindia_investorcell@goodyear.com, **वेबसाईट:** www.goodyear.co.in

सूचना

सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और डिसक्लोजर आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 एवं 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि गुडईयर इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के अलावा 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार अनुमोदन की जायेगी।

इस सूचना में वर्णित जानकारी हमारी वेबसाईट www.goodyear.co.in/investor-relations के साथ हीं बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

गुडईअर इंडिया लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तिथि: 4 फरवरी, 2020 — सोनाली खन्ना
स्थान: नई दिल्ली — हेड लीगल, अनुपालन एवं कम्पनी सचिव

डेल्टन कैवल्स लिमिटेड

CIN: L31300DL1964PLC004255
Website: www.deltoncables.com
पंजी. कार्यालयः डेल्टन हाउस 4801, भारत राम रोड 24, दरियागंज, नई दिल्ली–110002
Phone: 011-23273907
Email: dcl@deltoncables.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक अन्य बातों के अलावे 31 दिसम्बर 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन के लिये बुधवार, 12 फरवरी 2020 को आयोजित की जायेगी।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.deltoncables.com तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

डेल्टन कैबल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तिथिः 5.2.2020 — विकास रावत
स्थानः नई दिल्ली — (कम्पनी सचिव)

भारत एकांश लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : म.नं. 116, एफ/एफ, ग्राम कोटला, मयूर विहार फेज–I, निकट हुकुम सिंह डेयरी, दिल्ली–110091
सीआईएन : L74899DL1985PLCO20973,
दूरभाष : 9355777335–36,
वेबसाइट : www.bharatekanshlimited.com
ई-मेल : bharat.ekansh.ltd@gmail.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा अनुमोदन के लिए भारत एकांश लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक सोमवार, 10 फरवरी, 2020 को आयोजित की जायेगी, इसके पश्चात इन परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जायेगी। पुनः निदेशक मण्डल की बैठक की सूचना डाउनलोड करने हेतु कम्पनी की वेबसाइट www.bharatekanshlimited.com पर उपलब्ध है।

कृते भारत एकांश लिमिटेड
स्थान : नई दिल्ली — भावना तलरेजा
स्थान : 04.02.2020 — कम्पनी सचिव

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Government of India Undertaking)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का सख्याक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एक मांग पत्र निम्न प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांको को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणियों तथा सम्पत्ति के मालिको से भुगतान की मांग करते हुये सम्बन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों में भुगतान करने के लिये निमित्त किया। सम्बन्धित ऋणियों द्वारा राशि के भुगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा सपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्बन्धित ऋणियों/मालिको को विशेषता तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करें तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से संबन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चो के अधीन होगा।

क्र0 सं0	शाखा का नाम	ऋणकर्ता का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के तिथि और उसके अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि एवं स्थान
1.	स्योहारा	मैसर्स महक लाइट एंटरप्राइजेज, श्री आसिफ इकबाल पुत्र श्री इकबाल अहमद (प्रोपराइटर) और श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री मुंशी शफीक अहमद (उर्फ मकबूल) (गारंटर/बंधककर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल वाणिज्यिक संपत्ति स्थित रेलवे स्टेशन रोड केनरा बैंक के सामने, मौहल्ला–हयात नगर, स्योहारा, जिला बिजनौर संपत्ति इकबाल अहमद पुत्र मुंशी शफीक अहमद (उर्फ मकबूल) के नाम, क्षेत्रफल 25.56 वर्गमीटर। सामायें:–उत्तरः हाजी अब्दुल रहमान की दुकान, दक्षिणः मुन्ना नूर शाह की दुकान, पूर्वः हाजी खलील अहमद का मकान पश्चिमः रेलवे स्टेशन रोड	30.08.2019 रू0 1232397.00 + ब्याज व अन्य खर्चे 01.08.2019 से	30.01.2020 स्योहारा
2.	सहसपुर	मैसर्स नाजमा हैंडलूम, श्री हकीमुदीन पुत्र मौ. रफी (प्रोप./बंधककर्ता) और श्रीमती नाजमा पत्नी श्री हकीमुदीन (गारंटर/बंधककर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम मेवानवादा, कस्बा सहसपुर, तहसील– धामपुर, जिला बिजनौर, संपत्ति श्री हकीमुदीन पुत्र मौहम्मद रफी और श्रीमती नाजमा पत्नी हकीमुदीन के नाम, क्षेत्रफल 98.09 वर्गमीटर, सीमायें:– उत्तरः तालाब, दक्षिणः रास्ता 8 फिट चौड़ा, पूर्वः इमामुदीन का मकान, पश्चिमः अलीमुदीन का मकान	19.09.2019 रू0 1348711.05 + ब्याज व अन्य खर्चे 01.09.2019 से	30.01.2020 सहसपुर
3.	सहसपुर	मैसर्स नाजमा हैंडलूम, श्री हकीमुदीन पुत्र मौ. रफी (प्रोप./बंधककर्ता) और श्रीमती नाजमा पत्नी श्री हकीमुदीन (गारंटर/ बंधककर्ता)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम मेवानवादा, कस्बा सहसपुर, तहसील– धामपुर, जिला बिजनौर, संपत्ति श्री हकीमुदीन पुत्र मौहम्मद रफी के नाम, क्षेत्रफल 133.80 वर्ग मीटर। सीमायें–उत्तरः विक्रेता का मकान, दक्षिणः इमामुदीन का मकान, पूर्वः रास्ता मुस्तर्क, पश्चिमः अलाउदीन का मकान	19.09.2019 रू0 1348711.05 + ब्याज व अन्य खर्चे 01.09.2019 से	30.01.2020 सहसपुर
4.	सहसपुर	श्री रियासत पुत्र दीन मौहम्मद (ऋणकर्ता/ बंधककर्ता), श्री इशरत अली पुत्र दीन मौहम्मद (ऋणकर्ता/ बंधककर्ता) और श्री ताजास्युम हुसैन पुत्र श्री नावामुल हुसैन (गारंटर)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय मकान स्थित ग्राम महमूदपुर, सहसपुर, तहसील– धामपुर, जिला बिजनौर संपत्ति श्री रियासत पुत्र दीन मौहम्मद के नाम, क्षेत्रफल 112.86 वर्गमीटर। सीमायें:– उत्तरः रास्ता उसके बाद इस्लामुदीन का मकान, दक्षिणः यूसुफ और यूनुस का मकान, पूर्वः खालिक और जाकी का मकान पश्चिमः मदरसा	27.05.2019 रू0 1114299.64 + ब्याज व अन्य खर्चे 17.05.2019 से	30.01.2020 सहसपुर
5.	सहसपुर	श्री संजीव कुमार पुत्र श्री वीर सिंह (ऋणकर्ता/बंधककर्ता) और श्री अनुज कुमार पुत्र श्री रामपाल (गारंटर)	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आवासीय संपत्ति स्थित ग्राम महमूदपुर, परगना स्योहारा, तहसील– धामपुर, जिला बिजनौर। संपत्ति श्री संजीव कुमार पुत्र श्री वीर सिंह के नाम, क्षेत्रफल 40.00 वर्गमीटर, सीमायें:– उत्तरः कविता पत्नी रामवीर की खुली भूमि, दक्षिणः रास्ता 12 फिट चौड़ा, पूर्वः विक्रेता की भूमि, पश्चिमः योगेंद्र का मकान	16.09.2019 रू0 355844.00 + ब्याज व अन्य खर्चे 01.04.2019 से	30.01.2020 सहसपुर

दिनांकः– 04.02.2020 — स्थानः– स्योहारा, सहसपुर — प्राधिकृत अधिकारी

स्टेट बैंक आफ इंडिया

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा, 1ला तल, 23, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली– 110015
फोनः 25419177, 25412977, ई–मेलः sbi.05169@sbi.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक के पास चार्ज्ड चल एवं अचल परिसंपत्तियों की बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत निम्न संपत्तियों का कब्जा कर लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाए की वसूली के लिए नीचे वर्णित मामले में चार्ज्ड संपत्तियों की **''जैसा है जहां है आधार''** तथा **''जो भी वहां है आधार''** पर तथा नीचे वर्णित नियमों एवं शर्तों पर ई–नीलामी (सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत) आयोजित की जाएगी।

क्रम सं.	ऋणधारकों का नाम	गारन्टरों का नाम	बकाया राशि जिसकी वसूली के लिए संपत्तियों की बिक्री की जा रही है	संपत्तियों का विवरण	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (रु. लाख में)
1.	मै. जैन साड़ीज प्रॉप्राइटर श्री अनिल अरोड़ा	श्री सुशील कुमार अरोड़ा	रु. 2,57,40,391 तथा 28.8.18 से ब्याज तथा अनुषांगिक खर्चे, एवं लागत मांग सूचना तिथिः 28.8.2018	क) तेलीवाड़ा इलाका, शाहदरा, दिल्ली 32 की आबादी में स्थित खसरा नं. 642, ग्राम चन्द्रावली में अंतिम मंजिल तक छत के अधिकार के साथ शॉप नं. II/ 305 बी 2) II/ 305 बी, तेलीवाड़ा, शाहदरा–32 में पड़ी साड़ियों, ड्रेस मैटीरियल तथा सुट्स का सभी भंडार	6.3.2020 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 200 लाख रु. 7.65 लाख कुलः रु. 207.65 लाख
2.	मै. जैनजी साड़ीज प्रॉप्राईटर श्री सुशील कुमार अरोड़ा	श्री अनिल कुमार अरोड़ा	रु. 2,66,46,934 तथा 26.9.18 से अनुषांगिक लागत एवं ब्याज मांग सूचना तिथिः 26.9.2018	क) तेलीवाड़ा इलाका, शाहदरा, दिल्ली 32 की आबादी में स्थित खसरा नं. 642, ग्राम चन्द्रावली में अंतिम मंजिल तक छत के अधिकार के साथ शॉप नं. II/ 304 बी 2) II/ 304 बी, तेलीवाड़ा, शाहदरा–32 में पड़ी साड़ियों, ड्रेस मैटीरियल तथा सुट्स का सभी भंडार	6.3.2020 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 259.00 लाख रु. 8.07 लाख कुलः रु. 267.07 लाख
3.	मै. ज्वैलर्स इंडिया 26 एवं 76 ऑरबिन्दो प्लेस मार्केट हौज खास दिल्ली– 16	1. श्री अनिल पंडित 2. श्री आनंद गुप्ता 3. श्रीमती रुचिका आनंद (सभी पार्टनर्स एवं गारन्टर्स)	रु. 6,53,19,524.41 तथा 1.7.19 से ब्याज एवं खर्चे	1) अनिल पंडित के नाम में शॉप नं. 105, 1ला तल, ऑरविन्दो प्लेस, मार्केट–16, माप 2601 वर्ग फीट। मांग सूचना तिथिः 2.7.19 2) श्री आनंद गुप्ता एवं श्रीमति रुचिका गुप्ता के नाम में फ्लैट नं. 10ए, 2रा तल, ब्लॉक ए, ग्रीन पार्क, दिल्ली–16 मांग सूचना तिथिः 2.7.19	9.3.2020 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 939 लाख रु. 118.80 लाख कुलः 1057.80 लाख

धरोहर राशि (ईएमडी) (लाख में)	बोली वृद्धि राशि (लाख)	भागीदारी के लिये अनुरोध पत्रः केवाईसी दस्तावेज ईएमडी का प्रमाण आदि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय
आरक्षित मूल्य का 10% अर्थात 4.14 लाख	रु. 0.50 लाख	4.3.2020 के 4.00 बजे अप. क्रम सं. 1 एवं 2 के लिये 7.3.2020 ते 4.00 बजे अप. तक क्रम सं. 3 के लिये

1. संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समयः 2.3.2020 को 11 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक, सम्पर्क व्यक्ति, शाखा में मो. नं. 8826922884, 8800447600
2. ई–नीलामी ''जैसा है जहां है तथा जो भी वहाँ है आधार'' पर ऑन लाइन आयोजित होगी। यह नीलामी बैंक के स्वीकृत सेवा प्रदाता ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (Auctiontiger) अहमदाबाद, ई–मेलः delhi@auctiontiger.net की वेब पोर्टल https://sbi.auctiontiger.net पर आयोजित होगी। ई–नीलामी निविदा दस्तावेज से शामिल ऑन लाइन ई–नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाईट https://sbi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है।
3. इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को खाता सं. 30040821493 भारतीय स्टेट बैंक खाता एसएआरबी शाखा नई दिल्ली, आईएफएससी कोडः SBIN0001181 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा अथवा प्राधिकृत अधिकारी भारतीय स्टेट बैंक खाता तनावग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा, नई दिल्ली के पक्ष में देय किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा।
4. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में इन संपत्तियों पर कोई अधिभार नहीं है। लेकिन अपने स्वयं के हित में इच्छुक बोलीदाता अपनी बोली जमा करने से पूर्व अधिभारों, नीलामी पर रखी गई संपत्तियों के टाइटल तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकारों/बकायों की स्वयं जांच कर लें। यह ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा प्रतिनिधित्व का द्योतक नहीं है तथा उसे ऐसा नहीं माना जाएगा। संपत्ति की बिक्री वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिभारों चाहे बैंक को ज्ञात हो या नहीं, के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत क्रेडीटर किसी थर्ड पार्टी के दावे/अधिकारों/बकायों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. यह बिक्री वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

ई–नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें अधोलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित हैंः
http://tenders.gov.in, https://bankeauctions.com). www.quikr.com www.magicbricks.com

सरफैसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का ई–नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी तथा शेष बकाया यदि कोई हो, ब्याज एवं लागतों के साथ वूसल की जायेगी।

तिथिः 5.2.2020, स्थानः नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक**

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 19वीं के.एम. हापुड़–बुलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावठी जिला बुलंदशहर– 203408 (उत्तर प्रदेश)
सीआईएन L33200UP1993PLC015474
ई–मेल cs_cfhl@jindalgroup.com
वेबसाइट www.consofinvest.com
फोन : 011-26139256, 40322100

सूचना

[illegible]

कृते कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लि.
दिनांक : 04.02.2020
स्थान : नई दिल्ली — कम्पनी सचिव

रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड

[illegible]

सूचना

[illegible]

वास्ते रीबा टेक्सटाइल्स लिमिटेड
हस्ता./-
स्थान : नई दिल्ली — कम्पनी सेक्रेटरी
तिथि : 04-02-2020 — एम. नंबर : A46655

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Govt. of India Navratna Undertaking)
Regd. Office : CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hospital, New Delhi-110076
(Tel: 011-41673128/41673114)

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

नीचे दिये गये विवरण के अनुसार ''कॉनकॉर के लिए वर्ष 2020–21 हेतु व्यापक बीमा नीति'' के लिए आईआरडीए अनुमोदित एजेंसियों से दो निविदा प्रणाली में ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

ई–निविदा सूचना सं.	कॉन/सीएमएल/इंश्योरेंस/2020–21
कार्य का नाम	कॉनकॉर के लिए वर्ष 2020–21 हेतु व्यापक बीमा नीति
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	05.02.2020 (1100 बजे) से 18.02.2020 (1500 बजे) तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	19.02.2020, 1500 बजे
तकनीकी निविदाएं खुलने की तिथि एवं समय	20.02.2020, 1500 बजे

योग्यता मापदंडों एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.co.in या www.tenderwizard.com/CCIL लॉग ऑन करें।

कार्यपालक निदेशक
(आंतरिक एवं वाणिज्यिक)

सांगल पेपर्स लिमिटेड, (सीआईएन : L21015UP1980PLC005138)

पंजीकृत कार्यालय : ग्राम भैंसा, 22 किमी, मेरठ–मवाना रोड, मवाना, मेरठ, उ.प्र.–250401, दूरभाष : 01233–271515, 274324
ई–मेल : sangalinvestors1980@gmail.com,
वेबसाइट : sangalpapers.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 29(1) तथा किसी अन्य प्रयोज्य कानून(नों), यदि कोई हो, के अनुसार एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ–साथ 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित स्टैण्ड अलोन वित्तीय परिणामों एवं बैठक की कार्यसूची में अन्य मामलों पर विचार, अनुमोदन तथा रिकार्ड पर लेने के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक सं. 06/2019–2020 बुधवार, 12 फरवरी, 2020 को 12:00 बजे दोपहर कम्पनी के पंजीकृत पते ग्राम भैंसा, 22 किमी, मेरठ–मवाना रोड, मवाना, मेरठ, उ.प्र.–250401 पर आयोजित की जायेगी। निदेशक मण्डल की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.sangalpapers.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com से एक्सेस की जा सकती है।

कृते सांगला पेपर्स लिमिटेड
ह./-
स्थान : मवाना — अर्पित जैन
तिथि : 04.02.2020 — कम्पनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी
एम. सं. : A48332

ujjivan SMALL FINANCE BANK

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन
डी-7, सेक्टर-3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण की धारा 13 (2) के अधीन मांग सूचना

[illegible]

शाखा एवं ऋणी/गारंटर का नाम	प्रतिभूति परिसंपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
शाखा : विज्ञान विहार — 1. सलेख चंद पुत्र राम चंद ... [illegible]	[illegible]	27.12.2019	03.10.2019	रु. 4,60,566/- ... [illegible]

[illegible]

दिनांक: 04.02.2020 — प्राधिकृत अधिकारी

प्रारूप संख्या आईएनसी–25ए

[illegible]

सेलेस्टियल टैक वेंट्स लिमिटेड
(CIN: U72300DL2009PLC190508)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : 842, वार्ड नं. 6, मैन बाजार, महरौली, नई दिल्ली–110030 में स्थित है, के मामले में
.... आवेदक

[illegible]

कृते सेलेस्टियल टैक वेंट्स लिमिटेड
तिथि : 05.02.2020 — राहुल गुप्ता (निदेशक)
स्थान : नई दिल्ली — DIN: 02566363

Form No. INC-26

[Pursuant to rule 20 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be published in the newspaper for Grant the License under section 8 for existing companies
Before the Central Government Regional Director, Northern Region, New Delhi
In the matter of sub-section (1) of Section 8 of Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of
CROSSROADS INFOTECH PRIVATE LIMITED
CIN: U72300DL2008PTC181352
having its registered office at C-152 Nirman Vihar, Delhi-110092
.... Petitioner

[illegible]

C - 152 Nirman Vihar, Delhi-110092
For and on behalf of the Applicant
(YOGENDRA SINGH)
DIRECTOR
DIN-05263371
Date: 01-02-2020
Place: New Delhi
Address : A 7/1, Rail Vihar, Block - A, Indirapuram, Sipra Sun City, Ghaziabad-201010

www.readwhere.com

वुहान में मंगलवार को नवनिर्मित अस्पताल में वायरस से संक्रमित व्यक्ति को ले जाते मास्क पहने चिकित्सा कर्मचारी।

कोरोना वायरस : मरने वालों की संख्या चार सौ के पार

बेजिंग, 4 फरवरी (भाषा)।

चीन में घातक कोरोना वायरस से संक्रमित 64 और लोगों की सोमवार को मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 425 हो गई और इसके 20,438 मामलों की पुष्टि हुई है।

चीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि सोमवार को जिन 64 लोगों की मौत हुई वे सभी हुबेई प्रांत से थे। आयोग ने बताया कि 3,235 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है। नए 5,072 संभावित मामले सामने आए हैं। 492 मरीज गंभीर रूप से बीमार हैं। आयोग ने बताया कि 2,788 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और 23,214 लोगों के वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। चीन में सोमवार तक इसके कुल 20,438 मामले सामने आए थे और मृतक संख्या 425 पर पहुंच गई थी। सरकारी समाचार एजंसी 'शिन्हुआ' की खबर के अनुसार कुल 632 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।

गौरतलब है कि फिलिपीन और हांगकांग में भी इससे एक-एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। भारत के केरल में इसके तीन मामले सामने आए हैं।

भारत में 15 में से एक को कैंसर से मौत होने की आशंका

संयुक्त राष्ट्र, 4 फरवरी (भाषा)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की एक रिपोर्ट में दस भारतीयों में से एक को अपने जीवनकाल में कैंसर होने और 15 में से एक की इस बीमारी से मौत होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में कैंसर के 11.6 लाख नए मामले सामने आए थे।

'विश्व कैंसर दिवस' (मंगलवार) से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके साथ काम करने वाली 'इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर' (आइएआरसी) ने दो रिपोर्ट जारी की है। एक रिपोर्ट बीमारी पर वैश्विक एजंडा तय करने पर आधारित है और दूसरी रिपोर्ट इसके अनुसंधान एवं रोकथाम पर केंद्रित है। 'वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट' के अनुसार भारत में 2018 में कैंसर के लगभग 11.6 लाख मामले सामने आए और कैंसर के कारण 7,84,800 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है, 'दस भारतीयों में से एक व्यक्ति के अपने जीवनकाल में कैंसर की चपेट में आने और 15 भारतीयों में से एक के इसके कारण जान गंवाने की आशंका है।' विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रोकथाम एवं देखभाल सेवाओं में निवेश की कमी के कारण 2040 तक कैंसर के मामले 81 फीसद बढ़ने की आशंका जताई। जिनेवा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने एक रिपोर्ट में कहा कि इन देशों ने अपने सीमित संसाधनों को कैंसर से लड़ने के बजाय संक्रामक रोगों का मुकाबला करने और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में लगा रखा है।

उसने कहा कि इन देशों में कैंसर से मौत के मामले भी अक्सर अधिक पाए जाते हैं। डब्लूएचओ के सहायक महानिदेशक रेन मिनघुई ने कहा, 'यह अमीर और गरीब देशों में कैंसर सेवाओं को लेकर मौजूद असमानताओं से निपटने के लिए चेतावनी है।' उन्होंने कहा, 'अगर लोगों की प्राथमिक सेवाओं और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच होगी तो कैंसर का जल्दी पता लग सकेगा, प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सकेगा और उससे पार पाया जा सकता है। कैंसर कहीं भी किसी के लिए भी मौत का निश्चित कारण नहीं बनना चाहिए।' रिपोर्ट में कहा गया कि अगले एक दशक में 25 अरब डॉलर से अधिक का निवेश 70 लाख लोगों को कैंसर से बचा सकता है। डब्लूएचओ के गैर संचारी रोगों के प्रबंधन से संबंधित विभाग से जुड़े एंड्रे इल्बावी ने कहा, 'कैंसर पर नियंत्रण करना महंगा नहीं होना चाहिए।' वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक विश्व में कैंसर के मामलों में 60 फीसद बढ़ोतरी की आशंका है और कैंसर से होने वाली 25 फीसद मौतों का जिम्मेदार तंबाकू है।

असर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गरीब देशों के नागरिक खतरे में हैं। उसने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रोकथाम एवं देखभाल सेवाओं में निवेश की कमी के कारण 2040 तक कैंसर के मामले 81 फीसद बढ़ने की आशंका जताई।

मुशर्रफ की मौत की सजा निरस्त किए जाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

इस्लामाबाद, 4 फरवरी (भाषा)।

पाकिस्तान के एक वकील ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मौत की सजा रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को मुशर्रफ के खिलाफ छह साल तक चले देशद्रोह के गंभीर मामले में उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ नीत पाकिस्तान मुसलिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सरकार ने नवंबर 2007 में असंवैधानिक तरीके से आपातकाल लगाने को लेकर पूर्व सैन्य प्रमुख के खिलाफ 2013 में देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। इस आपातकाल के चलते शीर्ष अदालत के कई न्यायाधीशों को उनके घर में कैद होना पड़ा था और 100 से अधिक न्यायाधीशों को पद से हटा दिया था। देशद्रोह के गंभीर मामले में मुशर्रफ के खिलाफ चले मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट ने 13 जनवरी को असंवैधानिक घोषित कर दिया था जिससे पूर्व राष्ट्रपति को सुनाई गई मौत की सजा निरस्त हो गई थी। डॉन समाचारपत्र ने मंगलवार को खबर दी कि सोमवार को दायर अपील में, याचिकाकर्ता वकील तौफिक आसिफ का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील हामिद खान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अवैध घोषित कर इसे निरस्त करने का अनुरोध किया।

जापान ने क्रूज में सवार 37 हजार यात्रियों को कोरोना वायरस की जांच के लिए अलग रखा

योकोहामा (जापान) 4 फरवरी (एएफपी)।

जापान ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मंगलवार को एक क्रूज में सवार सभी 3,711 यात्रियों को अलग रखने का प्रबंध किया है। सरकारी प्रवक्ता योशीहीदी सुगा ने बताया कि योकाहामा बे पर सोमवार को पहुंचे इस क्रूज में आठ लोगों को बुखार जैसे लक्षण थे। टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों में कई उपचार अधिकारी सोमवार शाम योकोहामा तट पर 'डायमंड प्रिंसेज' क्रूज पर सभी 2,666 यात्रियों और चालक दल के 1,045 सदस्यों की जांच के लिए जाते दिखाई दिए।

दरअसल जापान ने यह कदम 80 वर्षीय एक व्यक्ति के वायरस से पीड़ित पाए जाने के बाद उठाया है। वह 25 जनवरी को हांगकांग पहुंचा था। क्रूज के संचालक 'कार्निवल जापान' ने एक बयान में कहा कि व्यक्ति को वह व्यक्ति हमारे साथ पोत पर था लेकिन वह उसमें बने चिकित्सा केन्द्र में नहीं गया।

पिता के अलग वार्ड में होने के दौरान दिव्यांग किशोर की मौत

बेजिंग, 4 फरवरी (एएफपी)।

चीन में कोरोना वायरस के कहर के बीच एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां बुखार से पीड़ित पिता को कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका के कारण अलग वार्ड में भेजे जाने के बाद उसके दिव्यांग बेटे की मौत हो गई। बच्चे की मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। उधर कम्यूनिस्ट पार्टी के स्थानीय नेता और महापौर को जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है।

सेरेब्रल पल्सी के कारण यान चेंग व्हीलचेयर का मोहताज हो गया था और अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर था। वह बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था और खुद खा भी नहीं पाता था। चेंग के पिता यान शिआवेन को 22 जनवरी को बुखार आने के बाद और संभावित कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका के चलते पृथक वार्ड में भेज दिया गया था। चेंग की मां की मौत कई साल पहले ही हो गई थी। जब उसके पिता को पृथक वार्ड में भेज दिया गया तो उसके दैनिक कार्य करने और उसे खिलाने-पिलाने के लिए कोई भी घर पर नहीं था। शिआवेन ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की थी कि वे उसके घर जाएं और बच्चे का खयाल रखें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होंगान काउंटी सरकार के एक बयान के अनुसार, किशोर की मौत 29 जनवरी को हो गई थी। काउंटी सरकार ने कहा, यान शिओवन पृथक वार्ड में होने के कारण अपने बेटे यान चेंग की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों, गांव के लोगों और चिकित्सकों से यान चेंग का ध्यान रखने की अपील की थी। अधिकारियों ने बताया कि कम्यूनिस्ट पार्टी के स्थानीय नेता और महापौर को जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने के कारण बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चे की मौत का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

सेरेब्रल पल्सी के कारण यान चेंग व्हीलचेयर का मोहताज हो गया था, अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर था।

ट्रंप रिपब्लिकन के आयोवा कॉकस में जीते, डेमोक्रेटिक को नतीजों का इंतजार

वाशिंगटन, 4 फरवरी (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा निर्वाचित होने से पहले रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों से मुकालबा कर रहे हैं और इसी कड़ी में सोमवार को हुए आयोवा कॉकस चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। वहीं विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के आयोवा कॉकस के नतीजे तकनीकी परेशानी की वजह से मंगलवार तक घोषित नहीं किए जा सके। राष्ट्रपति पद के लिए नवंबर 2020 में चुनाव होना है।

रिपब्लिकन पार्टी के आयोवा कॉकस का चुनाव होने के साथ ही 2020 राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई है। डेस मोइंनेस रजिस्टर अखबार की ओर से जारी अंतिम आंकड़ों के मुताबिक ट्रंप को पार्टी कॉकस में 95 फीसद समर्थन मिला। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक ट्रंप को 97 फीसद मत मिले वहीं आठ फीसद परिसीमा में उन्होंने जीत दर्ज की। इलिनॉयस से प्रतिनिधिसभा के पूर्व सदस्य जो वाल्स को 1.4 फीसदी मत मिले जबकि एक और प्रतिद्वंद्वी मैसाच्युसेट्स के पूर्व गवर्नर बिल वेल्ड को 1.2 फीसद मतों से संतोष करना पड़ा। ट्रंप के चुनाव अभियान के लिए बनाए गए आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया, रिपब्लिकन पार्टी कभी इतनी एकजुट नहीं थी। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के करीब एक दर्जन प्रत्याशियों में से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के लिए सोमवार रात को घंटो तक जमे लोगों को उस समय निराशा हाथ लगी जब चुनाव के नतीजे घोषित नहीं किए गए। राज्य के पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि मंगलवार देर शाम को नतीजों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस देरी की वजह हैकिंग या हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि, आधिकारिक नतीजे आने से पहले ही डेमोक्रेट के संभावित उम्मीदवारों पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन, वर्नमोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स आदि ने जीत के दावे के किए।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली में राजनीतिक दलों को सभी 50 प्रांतों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया कॉकस या प्राइमरी के जरिए होती है। इससे राजनीतिक दल राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुनते हैं। प्राइमरी के विजेताओं को अंततः डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार घोषित करती हैं।

राष्ट्रपति चुनाव
अंतिम आंकड़ों के मुताबिक ट्रंप को पार्टी कॉकस में 95 फीसद समर्थन मिला

करदाता चार्टर का सांविधिक दर्जा होगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

बजट में घोषित करदाता चार्टर का सांविधिक दर्जा होगा और यह देश के आम लोगों को सशक्त बनाएगा। यह लोगों को आयकर विभाग से समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्राप्त करने में मदद करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी ने मंगलवार को यह बात कही। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाला शीर्ष निकाय है। मोदी ने कहा कि इस चार्टर को बहुत जल्द अधिसूचित किया जाएगा। इसके एक बार लागू हो जाने के बाद भारत इस तरह की कर व्यवस्था अपनाने वाला दुनिया का तीसरा या चौथा देश होगा।

मोदी ने पत्रकारों से कहा- हम करदाताओं पर भरोसा करने की अवधारणा पर ही अब तक काम कर रहे हैं और ऐसे में शुद्धतया एक कानून अनुपालन एजंसी के तौर पर हमारा पूरा ध्यान सेवा उन्मुख विभाग बनने की ओर है। हम लोगों के अंदर स्व-भाव से कानून अनुपालन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हम भी कुछ अनुशासन का पालन कर रहे हैं। इसके तहत हम आप लोगों को ये कुछ सेवाएं एक तय समयसीमा में उपलब्ध कराने की इच्छा रखते हैं। यह करदाता का अधिकार होना चाहिए कि वह इन सेवाओं की उम्मीद कर सके। इससे पहले मोदी ने कहा था कि यह चार्टर मौजूदा चार्टर के तहत प्रशासनिक प्रणाली का हिस्सा होगा। अब हम इसे सांविधिक मान्यता दे रहे हैं। एक बार यह कानून बन जाएगा तो इसे लागू करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले उम्मीद थी कि इसे लागू करना पड़ेगा लेकिन अब यह बाध्यता होगी। इस तरह यह करदाता को सशक्त करेगा। ऐसा करने वाले हम तीसरे या चौथे देश होंगे। मेरे हिसाब से अभी अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा में यह हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ी सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लेने जा रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आम बजट 2020-21 पेश करने के वक्त करदाता चार्टर लाए जाने की घोषणा की थी। 'विवाद से विश्वास योजना' के बारे में मोदी ने कहा कि सबसे नवीन कदम कानूनी वादों को कम करना है और देखिए प्रत्यक्ष कर श्रेणी के तहत 4.83 लाख मामलों का निपटारा अपीलीय प्राधिकरणों में फंसा है। इन मामलों में कुछ लाख करोड़ रुपए फंसे हैं। 'विवाद से विश्वास योजना' के तहत करदाता को 31 मार्च, 2020 तक अपना सिर्फ बकाया कर जमा कराना होगा जबकि उसका जुर्माना और ब्याज माफ होगा। हालांकि यह योजना 30 जून 2020 तक खुली रहेगी। लेकिन जो लोग 31 मार्च के बाद कर का भुगतान करेंगे उन्हें कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। इसी तरह अप्रत्यक्ष कर श्रेणी के लिए पिछले बजट में सरकार 'सबका विश्वास' योजना लाई थी।

NEWAGE MARKETING LIMITED
Regd. Office: 58/17, Ground Floor, Bahubali Apartments New Rohtak Road New Delhi-110005
Email Id: newagemarketing1984@gmail.com; **Tel No.:** +91 11-28711851
CIN: L51909DL1984PLC018695, **Website:** www.newagemarketing.in

NOTICE

Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ("Listing Regulations") that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday 13th February 2020, at 11:00 A.M. at the registered office of the company inter-alia to Consider and approve the Unaudited Financial Results along with Limited Review report of the Company for the Quarter ended December 31, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's website at *http://www.newagemarketing.in* and may also be accessed on the Stock Exchange websites at *https://www.msei.in* Pursuant to this, the Company has decided that the close period (i.e. closure of trading window) under the "Code of Company to Regulate, Monitor and Report Trading" which would end 48 hours after the results are made public on 13th February 2020.

For **Newage Marketing Limited**
Sd/-
(Kamlesh Kumar)
Company Secretary & Compliance Officer
Place: Delhi
Date:05.02.2020

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED
CIN: L51909DL1984PLC019485
9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi - 110006
Email ID: cs@neccgroup.com, Tel No.: 011-23517516-19

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby give notice that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Thursday, February 13, 2020** inter-alia to consider and approve un-audited financial results of the Company for the third quarter ended on December 31, 2019.

Further, it is informed that as per Company's Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the 'Trading Window' is already closed from Saturday, January 04, 2020. The window will be opened from the conclusion of 48 hours from the declaration of un-audited Financial Results of the Company.

The information is also available on the Website of the Company **www.neccgroup.com** and on the website of Stock Exchanges i.e. **www.bseindia.com** and **www.nseindia.com**.

On behalf of the Board of Directors
Sd/-
(Sunil Kumar Jain)
Chairman & Managing Director
DIN: 00010695
Date : 04.02.2020
Place : Delhi

साराभाई को आमंत्रित करने पर टला एनआइडी का दीक्षांत समारोह

अमदाबाद, 4 फरवरी (भाषा)।

गुजरात में स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआइडी) ने सात फरवरी को निर्धारित अपना सालाना दीक्षांत समारोह अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते टाल दिया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखर आलोचक और प्रख्यात नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर भी साराभाई ने भाजपा सरकार की आलोचना की है। एनआइडी के एक अधिकारी ने बताया कि दीक्षांत समारोह की नई तारीख के बारे में शीघ्र ही फैसला किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए साराभाई को दिए गए आमंत्रण के बारे में एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि विभिन्न लोगों के सुझाव पर कुछ लोगों को संभावित मुख्य अतिथि चुना गया था और अंतिम निर्णय दी गई तारीखों पर उनकी उपलब्धता के आधार पर लिया गया था।

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए नं. 762 / 2019
यूको बैंक..................आवेदक
बनाम
श्री विजय नागपाल..................प्रतिवादी

सेवा में, **(1) एवीजे डेवलपर्स (इंडिया) प्रा. लि. इसके निदेशकों के माध्यम से पंजीकृत कार्यालयः एवीजे बिजनेस पार्क, प्लॉट नं.सी, पहला तल, कम्युनिटी सेंटर, आनन्द विहार, दिल्ली-110092.**

चूंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने रु.1,00,05,997.48 (एक करोड़ पाँच हजार नौ सौ सतानबे रूपये एवं अड़तालिस पैसा मात्र) की वसूली के लिए आपके विरुद्ध एक मुकदमा दाखिल किया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना सम्भव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको **28.03.2020 को प्रातः 10.30 बजे एलडी. रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा। **आज 22 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।**

कोर्ट की मोहर
अधिकरण के आदेशानुसार
कृते रजिस्ट्रार

सरकार भारत की आत्मा का बंटवारा कर रही है: कांग्रेस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 4 फरवरी।

कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग के आधार पर विभाजित करने का आरोप लगाया और दावा किया कि 1947 में देश की जमीन का बंटवारा हुआ था, लेकिन 2020 में यह सरकार भारत की आत्मा का बंटवारा कर रही है।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग में लेते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उपरोक्त आरोप लगाते हुए यह सवाल भी किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों, पुलिस कार्रवाई में 27 लोगों के मारे जाने और जीडीपी के गिरकर 4.5 फीसद हो जाने का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि सरकार ने पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की काल्पनिक बातें की हैं, जबकि इस दूर के सपने के लिए कोई रूपरेखा भी नहीं पेश की।

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि इस सरकार में लोगों को हिंदू-मुसलमान, हिंदी भाषी और गैरहिंदी भाषी, देशभक्त और देशद्रोही में बांटा जा रहा है। 1947 में देश की जमीन का बंटवारा हुआ था, लेकिन 2020 में भारत को बांटा जा रहा है।

थरूर ने यह सवाल भी किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर में कई नेताओं को महीनों से हिरासत में रखे जाने का जिक्र क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि इस सरकार में न सबका साथ है, न सबका विकास और न ही सबका विश्वास है।

प्रारूप संख्या आईएनसी-26
(कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
केन्द्र सरकार के समक्ष (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी के (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (क) के मामले में
तथा
निआ प्लास्ट प्राइवेट लिमिटड
जिसका पंजीकृत कार्यालय: एम-88-ए (फर्स्ट फ्लोर), अशोक विहार, नई दिल्ली दिल्ली-110052 मे
के मामले में ... आवेदक

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करती है, जिसके तहत **शनिवार, 23 नवम्बर, 2019** को असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **'केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली'** से **'हरियाणा राज्य'** में स्थानांतरित करने में सक्षम बन सके।

कोई व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है वह अपने **हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ-पत्र भरकर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर सुपुर्द कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग दूसरा तल पर्यावरण भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह (14) दिनों भीतर सुपुर्द कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं। साथ ही इसकी एक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के उपरोक्त अंकित पते पर भी भेजनी होगी।

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से
निआ प्लास्ट प्राइवेट लिमिटड
प्रदीप मदान
निदेशक
डीआइएन: 00827471
दिनांक: 05 फरवरी, 2020
स्थान: नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओए नं. 1347 / 2018
यूको बैंक..................आवेदक
बनाम
तरूण कुमार किंगवानी एवं अन्य..................प्रतिवादी

सेवा में,
(1) तरूण कुमार किंगवानी (प्रतिवादी सं.01)
पुत्र श्री राजकुमार किंगवानी, निवासी 89-ए, कछनपुर खादर, सरिता विहार, दिल्ली-110076
(2) रोहित किंगवानी (प्रतिवादी सं.02)
पुत्र श्री राज कुमार किंगवानी, निवासी 89-ए, कछनपुर खादर, सरिता विहार, दिल्ली-110076

चूंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने रु.40,78,340/- (चालीस लाख अठहत्तर हजार तीन सौ चालीस रूपये मात्र) की वसूली के लिए आपके विरुद्ध एक मुकदमा दाखिल किया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको **17.04.2020 को प्रातः 10.30 बजे एलडी. रजिस्ट्रार** के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। यह ध्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई और निर्णय लिया जाएगा। आज 27 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।

कोर्ट की मोहर
अधिकरण के आदेशानुसार
कृते रजिस्ट्रार

Form G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the corporate debtor	GENERAL GARMENTS DELHI PVT.LTD.
2.	Date of incorporation of corporate debtor	20/12/1993
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Companies Act / Registrar of Companies (RoC-Delhi)
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U74899DL1993PTC056533
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	B-II/19,Mohan Co-operative Industrial Estate , Badarpur , New Delhi-110044
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	8-11-2018
7.	Date of invitation of expression of interest	5-2-2020
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be sought by emailing at email: cirpgeneralgarment@gmail.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Available at https://www.ibbi.gov.in/legalframework/act (official website of IBBI) or can be sought by emailing at:- cirpgeneralgarment@gmail.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	20-02-2020
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	22-02-2020
12.	Last date for submission of objections to provisional list	27-02-2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	1-3-2020
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants.	27-02-2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Eligible Resolution applicant may communicate with Resolution Professional at the address mentioned against serial No. 21 for obtain RFRP, Evaluation Matrix, Information Memorandum and further information
16.	Last date for submission of resolution plans	29-03-2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	In electronic form to the email ID or by Speed Post or Registered Post of by hand at address given at S. No. 21
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	21-04-2020
19.	Name and registration number of the resolution professional	Ritu Rastogi IBBI/IPA-001/IP-P00204/2017-18/10393
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional, as registered with the Board	Ritu Rastogi D-1B,9A,Janakpuri D-Block ,New Delhi-110058 Email :- cirpgeneralgarment@gmail.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Ritu Rastogi D-1B,9A,Janakpuri D-Block, New Delhi-110058 Email: cirpgeneralgarment@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	other details can be sought by emailing at :- cirpgeneralgarment@gmail.com
23.	Date of publication of Form G	5-2-2020

Ritu Rastogi
Resolution Professional for **BENLON INDIA LIMITED**
IBBI/IPA-001/IP-P00204/2017-18/10393
Date : 5.2.2020
Place : Delhi

www.readwhere.com

खबर कोना

दक्षिण अफ्रिका और इंग्लैंड के बीच केपटाउन में पहले एकदिवसीय मुकाबले के दौरान दक्षिण अफ्रिका के खिलाड़ी विकेट के लिए अपील करते हुए।

बंगलोर यूनाईटेड को हराकर गोकुलम आइडब्ल्यूएल के सेमीफाइनल में

बंगलुरू, 4 फरवरी (भाषा)।

गोकुलम केरल ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मंगलवार को यहां बंगलोर यूनाईटेड एफसी को 5-1 से हराकर इंडियन वुमेन्स लीग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। गोकुलम केरल की जीत के साथ केंकरे एफसी का भी अंतिम चार में जगह बनाना तय हो गया जिसने श्रीभूमि एफसी पर पांच अंक की बढ़त बना रखी है। बंगलोर को सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीद जीवंत रखने के लिए जीत की जरूरत थी लेकिन इस हार के साथ टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है।

राष्ट्रमंडल स्पर्धाओं से जुड़े प्रस्ताव को हाउस आफ लाड्र्स का समर्थन

नई दिल्ली, 4 फरवरी (भाषा)।

राष्ट्रमंडल खेल 2022 की अतिरिक्त निशानेबाजी और तीरंदाजी स्पर्धाओं की मेजबानी के भारत के प्रस्ताव का ब्रिटेन के हाउस आफ लाड्र्स ने विस्तृत चर्चा के बाद समर्थन किया है। पिछले महीने भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) ने निशानेबाजी को हटाए जाने के कारण बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार की धमकी वापस ले ली थी और इसकी जगह निशानेबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी का औपचारिक प्रस्ताव सौंपने का फैसला किया था जिसमें जीते हुए पदक खेलों की तालिका में जुड़ेंगे। ब्रिटेन के हाउस आफ लाड्र्स ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

टी20 विश्वकप अभ्यास के लिए आइपीएल : कोहली

हैमिल्टन, 4 फरवरी (भाषा)।

कोहली ने मंगलवार को कहा कि उनकी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदिवसीय शृंखला से टी20 विश्व कप की तैयारियों को मजबूत करने की योजना नहीं बना रही क्योंकि आगामी आइपीएल उसके लिए 'सही मंच' है। कोहली ने बुधवार को होने वाले पहले एकदिवसीय की पूर्व संध्या पर कहा, 'हम पहले ही पांच टी20 मैच खेल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टी20 के पर्याप्त मैच नहीं है। हमारे पास आइपीएल भी है और यह डेढ़ महीने तक चलेगा। तो हम शायद उसका उपयोग करेंगे।' भारतीय कप्तान ने कहा, 'अभी विश्व कप में काफी समय है और हम अभी 50 ओवर के प्रारूप में अलग तरीके से नहीं खेलना चाहते हैं।' कप्तान को लगता है कि प्रत्येक प्रारूप को एक जैसा सम्मान देना जरूरी है।

अंडर- 19 विश्व कप

पाकिस्तान को दस विकेट से हराकर फाइनल में भारत

पोटचेफ्सट्रूम, 4 फरवरी (भाषा)।

यशस्वी जायसवाल के शतक और दिव्यांश सक्सेना के साथ उनकी पहले विकेट की अटूट शतकीय साझेदारी से गत चैंपियन भारत ने आइसीसी अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 10 विकेट की रेकार्ड जीत के साथ लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई।

पाकिस्तान के 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की अंडर-19 टीम ने जायसवाल (नाबाद 105) और सक्सेना (नाबाद 59) के बीच पहले विकेट की 176 रन की अटूट साझेदारी की बदौलत 14.4 ओवर शेष रहते बिना विकेट खोए 176 रन बनाकर जीत दर्ज की।

मैन आफ द मैच जायसवाल ने 113 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके और चार छक्के मारे जबकि सक्सेना की 99 गेंद की पारी में छह चौके शामिल रहे। भारत इसके साथ ही पहली टीम बन गया जिसने अंडर-19 विश्व कप का नाकआउट मैच 10 विकेट से जीता।

जायसवाल इस पारी के दौरान टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर भी बने। वह अब तक पांच मैचों में 312 रन बना चुके हैं। इससे पहले सुशांत मिश्रा (28 रन देकर तीन विकेट), कार्तिक त्यागी (32 रन पर दो विकेट) और रवि बिश्नोई (46 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टीम 43.1 ओवर में 172 रन पर सिमट गई। पाकिस्तान ने अंतिम छह विकेट सिर्फ 26 रन जोड़कर गंवाए।

पाकिस्तान की ओर से कप्तान रोहेल नजीर ने 102 गेंद में छह चौकों की मदद से सर्वाधिक 62 रन की पारी खेली। सलामी बल्लेबाज हैदर अली (56) ने भी अर्धशतक जड़ा। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 62 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी भी की। इन दोनों के अलावा मोहम्मद हारिस (21) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए। भारत अब रविवार को होने वाले फाइनल में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगा।

हैदर अली का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते यशस्वी जायसवाल

मैन आफ द मैच जायसवाल ने 113 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके और चार छक्के मारे जबकि सक्सेना की 99 गेंद की पारी में छह चौके शामिल रहे।

भारत पहली टीम बना जिसने अंडर-19 विश्व कप का नाकआउट मैच 10 विकेट से जीता।

स्कोर कार्ड

यशस्वी जायसवाल नाबाद 105, दिव्यांश सक्सेना नाबाद 59, अतिरिक्त : 12, कुल : 35.2 ओवर में बिना विकेट खोए : 176 रन गेंदबाजी : ताहिर 6-1-17-0, कासिम 8-0-37-0, आमिर खान 5-1-20-0, अफरीदी 7-0-50-0, आमिर अली 5.2-0-38-0, फहद 4-0-12-0

टी20 शृंखला की सफलता को दोहराने की कोशिश

हैमिल्टन, 4 फरवरी (भाषा)।

प्रमुख खिलाड़ियों की चोट से परेशान भारतीय टीम में पृथ्वी साव जैसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी के लिए दरवाजे खुल गए हैं जो बुधवार से यहां शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय शृंखला में आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी क्षमता दिखाने को तैयार है।

पिछले साल हुए विश्व कप के बाद भारतीय टीम के लिए यह तीसरी एकदिवसीय शृंखला है। टीम ने इससे पहले वेस्ट इंडीज (विदेशी सरजमीं पर) और घरेलू शृंखला में आस्ट्रेलिया को मात दी है। न्यूजीलैंड की टीम विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मिली शिकस्त के बाद पहली बार एकदिवसीय मुकाबले में उतरेगी।

पिछली बार एकदिवसीय प्रारूप में इन दोनों टीमों का जब सामना हुआ था तब न्यूजीलैंड ने मैनचेस्टर में खेले गए विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत को 18 रन से हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया था। भारत ने हालांकि उस हार का बदला रविवार को समाप्त हुए टी20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला को 5-0 से जीत कर लिया।

मौजूदा समय में हालांकि इस एकदिवसीय शृंखला का ज्यादा महत्व नहीं है क्योंकि दोनों टीमें इस साल आस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी कर रही हैं।

भारत : विराट कोहली, पृथ्वी साव, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), मनीष पांडे, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दूबे, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, नवदीप सैनी।

न्यूजीलैंड : टाम लैथम (कप्तान और विकेटकीपर), मार्टिन गुप्टिल, रास टेलर, कालिन डी ग्रैंडहोमे, जिमी नीशम, स्काट कुगलेइजन, टाम ब्लंडेल, हेनरी निकोल्स, मिशेल सेंटनर, हैमिश बेनेट, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, काइल जैमीसन, मार्क चैपमैन।

रोहित की जगह मयंक टीम में, टैस्ट टीम में पृथ्वी साव की वापसी

हैमिल्टन, 4 फरवरी (भाषा)।

न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टैस्ट मैचों की शृंखला में बतौर सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव की मंगलवार को वापसी हुई है जबकि बुधवार से यहां शुरू हो रही तीन मैचों की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शृंखला के लिए चोटिल रोहित शर्मा की जगह मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि लोकेश राहुल मध्यक्रम में बल्लेबाजी करेंगे जिससे पहले एकदिवसीय में अग्रवाल का साव के साथ पारी की शुरुआत करना लगभग तय है।

बीसीसीआइ ने एक बयान में कहा, 'रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 के दौरान उपकप्तान रोहित की पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था।' उन्होंने कहा, 'सोमवार को हैमिल्टन में उनका एमआरआई स्कैन हुआ।

मिशेल मार्श की आस्ट्रेलियाई टीम में वापसी

मेलबर्न, 4 फरवरी (एपी)।

आस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय शृंखला के लिए हरफनमौला खिलाड़ियों मिशेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल को टीम में शामिल किया है। मार्श ने पिछले साल सितंबर में एशेज शृंखला के बाद से अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है। उन्होंने जनवरी 2018 के बाद एकदिवसीय और अक्तूबर 2018 के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय नहीं खेला है।

मैक्सवेल ने पिछली बार अक्तूबर में आस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए क्रिकेट से ब्रेक लिया था। मैथ्यू वेड को भी दोनों टीमों में शामिल किया गया है जबकि सीन एबोट और झाय रिचर्डसन को टी20 टीम में जगह मिली है। बिग बैश लीग में सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर चुने गए मार्कस स्टोइनिस को किसी भी टीम में जगह नहीं मिली है।

टीमें

एकदिवसीय : आरोन फिंच (कप्तान), एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, एश्टन एगर, जोश हेजलवुड, मार्नस लाबुशेन, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जम्पा।

टी20 : आरोन फिंच (कप्तान), एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, सीन एबाट, एश्टन एगर, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, झाय रिचर्डसन, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जम्पा।

मुकाबला सीरिज ए फुटबॉल मैच के दौरान नेपोली के ड्राइस मर्टेन सैम्पडोरिया के विरूद्ध बढ़त बनाने के बाद

मीराबाई ने अपना ही रेकार्ड तोड़ा, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक

कोलकाता, 4 फरवरी (भाषा)।

पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने मंगलवार को राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के 49 किग्रा वर्ग में 203 किग्रा वजन उठाकर अपना ही राष्ट्रीय रेकार्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। मणिपुर की इस 25 साल की खिलाड़ी ने स्त्रैच में अपने दूसरे प्रयास में 87 किग्रा वजन उठाया जबकि क्लीन एवं जर्क में 115 किग्रा के साथ उन्होंने कुल 203 किग्रा वजन उठाया।

मंगलवार के इस प्रयास के साथ विश्व रैंकिंग में मीराबाई चीन की जियांग हुईहुआ (212 किग्रा) और हाऊ झीहुई (211 किग्रा)

फाइल फोटो

और कोरिया की री सोंग गुम (209 किग्रा) के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं। इससे पहले मीराबाई का राष्ट्रीय रेकार्ड 201 किग्रा का था जो उन्होंने पिछले साल सितंबर में थाईलैंड में विश्व चैंपियनशिप के दौरान बनाया था जहां वह चौथे स्थान पर रहीं थी।

रानी के गोल से भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 1-0 से हराया

आकलैंड, 4 फरवरी (भाषा)।

कप्तान रानी रामपाल के गोल से भारत ने मौजूदा दौरे के चौथे मैच में मंगलवार को यहां ग्रेट ब्रिटेन पर 1-0 से जीत दर्ज की। रानी ने मैच के 47वें मिनट में गोल किया जो इस मुकाबले का इकलौता गोल साबित हुआ।

इस दौरे के शुरूआती मैच में न्यूजीलैंड की डेवलपमेंट टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम उनकी सीनियर टीम के खिलाफ दो मैच गंवा बैठी। टीम ने इस मुकाबले को हालांकि पूरे दमखम के साथ खेला और शुरुआत से आक्रामक रुख अपनाया। टीम को इसका फायदा भी हुआ लेकिन वे पेनल्टी कार्नर को गोल में बदलने में सफल नहीं हुए।

टीम की रक्षापंक्ति में भी अच्छा तालमेल दिखा और खिलाड़ियों ने बेहतर तरीके से एक दूसरे को पास दिए। पहले तीन क्वार्टर गोल रहित रहने के बाद चौथे क्वार्टर में रानी ने सर्किल से दमदार शाट लगाकर ब्रिटेन की गोलकीपर को छका दिया।

भारत ने 1-0 से बढ़त हासिल करने के बाद इंग्लैंड को कोई मौका नहीं दिया। भारतीय कोच शोर्ड मारिन ने कहा, 'हमने मैच में कई मौके बनाए लेकिन हमें उन मौकों को गोल में बदलने पर काम करना होगा।

पारो एफसी के खिलाफ बंगलुरु एफसी का पलड़ा भारी

थिम्पू, 4 फरवरी (भाषा)।

इंडियन सुपर लीग की चैंपियन बंगलुरु एफसी बुधवार को एएफसी कप के शुरुआती दौर के पहले चरण के मुकाबले में स्थानीय टीम पारो एफसी के खिलाफ जीत की दावेदार होगी। बंगलुरु एफसी को 2015 से 2018 तक एएफसी कप में खेलने का अनुभव है जहां हर बार टीम नाकआउट चरण तक पहुंची थी।

टीम एक बार फिर से टूर्नामेंट में शानदार वापसी करना चाहेगी। मुकाबले का पहला चरण यहां के चंगलिमिथांग स्टेडियम में खेला जाएगा जबकि दूसरे चरण का मुकाबला 12 फरवरी को बंगलुरु में खेला जाएगा।

स्तब्ध पिछले महीनेब्रायंट और उनकी बेटी हेलिकाप्टर दुर्घटना में मारे गए

'ब्रायंट की मौत ने जिंदगी के प्रति नजरिया बदला'

हैमिल्टन, 4 फरवरी (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मंगलवार को कहा कि एनबीए के दिग्गज कोबे ब्रायंट की हेलिकाप्टर दुर्घटना में हुई मौत ने उनके लिए जिंदगी के मायने बदल दिए हैं। दो बार के ओलंपिक चैंपियन ब्रायंट को बास्केटबाल के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। पिछले महीने 41 साल के ब्रायंट और उनकी 13 साल की बेटी गियाना सहित सात लोगों की हेलिकाप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी।

कोहली ने मंगलवार को कहा, 'सबसे पहले तो यह हर किसी को स्तब्ध करने वाली खबर थी। मैं उन्हें खेलते देखते हुए बड़ा हुआ हूं। लेकिन कोई ऐसा हो जिसका आप अनुसरण करते हैं उसकी मौत हो तो आपके लिए जिंदगी का नजरिया बदल जाता है।'

भारतीय कप्तान ने कहा, 'आखिर में जिंदगी काफी अस्थिर हो सकती है। यह बहुत अप्रत्याशित है। कई बार हम दबाव में होते हैं कि कल क्या करना है और ऐसे में आज जिंदगी का लुत्फ उठाना भूल जाते हैं। हमारे पास जो भी है उसकी सराहना की जानी चाहिए और उसका आभारी होना चाहिए।'

“ 'सबसे पहले तो यह हर किसी को स्तब्ध करने वाली खबर थी। मैं उन्हें खेलते देखते हुए बड़ा हुआ हूं। लेकिन कोई ऐसा हो जिसका आप अनुसरण करते हैं उसकी मौत हो तो आपके लिए जिंदगी का नजरिया बदल जाता है।'

“ जिंदगी अस्थिर हो सकती है। यह बहुत अप्रत्याशित है। कई बार हम दबाव में होते हैं कि कल क्या करना है और ऐसे में आज जिंदगी का लुत्फ उठाना भूल जाते हैं। हमारे पास जो भी है उसकी सराहना की जानी चाहिए और उसका आभारी होना चाहिए।'

-विराट कोहली

न्यूजीलैंड के कार्यवाहक कप्तान को नए खिलाड़ियों पर भरोसा

हैमिल्टन, 4 फरवरी (भाषा)।

न्यूजीलैंड के कार्यवाहक कप्तान टाम लैथम बुधवार को शुरू होने वाली एकदिवसीय शृंखला में मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ वापसी करने के लिए नए खिलाड़ियों पर भरोसा कर रहे हैं।

पहले मुकाबले की पूर्व संध्या पर लैथम ने कहा, 'हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व कप के फाइनल को कई बार देखा है। हमारे लिए यह एक ऐसा अनुभव था जहां हम सही जगह नहीं पहुंच सके थे। लेकिन आपको भी पता होगा कि यह एक अविश्वसनीय मैच था।'

उन्होंने कहा, 'हमारे लिए अब यह जरूरी है कि अब जो मुकाबले खेल रहे हैं उस पर ध्यान दें। पिछले दो वर्षों में हमने भारत के खिलाफ काफी मुकाबले खेले हैं। ऐसे में हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं होगा जो आश्चर्यचकित करने वाला हो। हमारे लिए विश्व कप मैच को फिर से देखने की जगह इस शृंखला पर ध्यान देने की कोशिश करना ज्यादा जरूरी है।'

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 80, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com